खण्ड-376, अंक-6
बुधवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(12 मार्च, 1986 ई0)

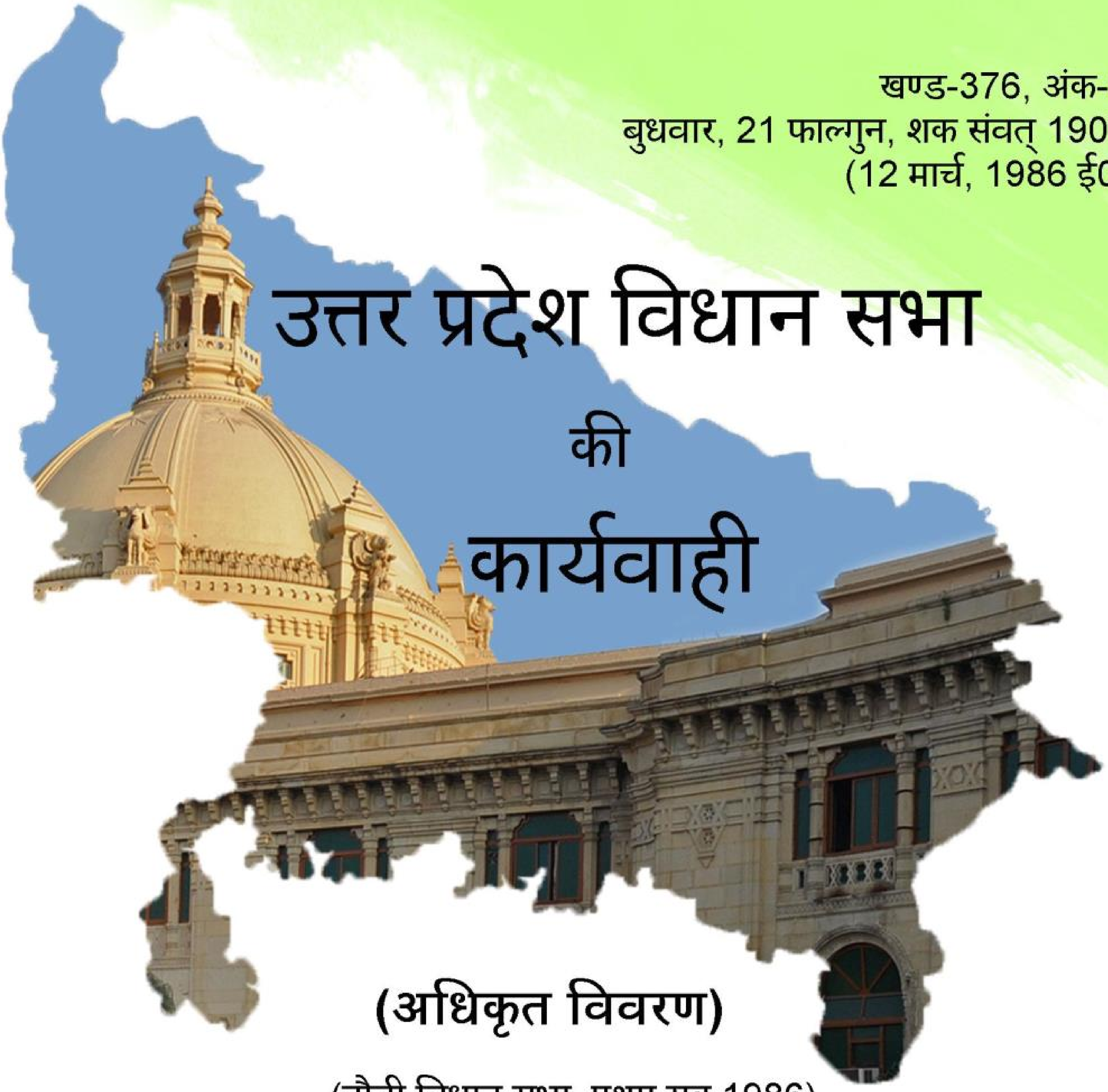

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 12 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| अचल सिंह, श्री | फतेहपुर | नरेश चन्द्र, श्री | लखनऊ |
| अच्युतानन्द तिवारी, डा0 | गोरखपुर | नारायण हरि शर्मा, श्री | अलीगढ़ |
| अजीजुर्रहमान, श्री | बिजनौर | निरोत्तम सिंह, श्री | बदायूं |
| अजीत सिंह सेठी, श्री | मेरठ | नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री | कानपुर |
| अफजाल अन्सारी, श्री | गाजीपुर | पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री | कानपुर |
| अरविन्द तिवारी, श्री | जालौन | पुष्कर सिंह, श्री | गढ़वाल |
| अरुण प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा | प्रेमवती तिवारी, श्री | लखनऊ |
| अलमेलु अम्माल, कुमारी | बस्ती | फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| अशोक सेहरा, श्री | आगरा | फागू चौहान, श्री | आजमगढ़ |
| अहिवरन, श्री | शाहजहांपुर | फूल सिंह सौदाई, श्री | मुजफ्फरनगर |
| काजी मोहिउद्दीन, श्री | सहारनपुर | बलजीत सिंह, श्री | मथुरा |
| किरन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर | बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| कुशल पाल सिंह, श्री | मथुरा | बल्देव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी |
| कृष्ण कुमार शर्मा, श्री | गाजियाबाद | बैजनाथ, श्री | देवरिया |
| कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री | फतेहपुर | ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| खान गुफरान जाहिदी, श्री | फतेहपुर | भगवान दास, श्री | मुरादाबाद |
| गुलाब सिंह, श्री | देहरादून | मंगलदेव, श्री | गोण्डा |
| गौरी शंकर भइया, श्री | बलिया | मनोहर लाल, श्री | उन्नाव |
| जगदीश नरायन, श्री | हमीरपुर | महावीर सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | गोरखपुर | महेन्द्र सिंह भाटी, श्री | गाजियाबाद |
| जफर अली नकवी, श्री | लखनऊ | माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| जमुना प्रसाद बोस, श्री | बांदा | मुईद अहमद, श्री | सुल्तानपुर |
| जय नारायण शर्मा, श्री | मेरठ | मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| जागन सिंह, श्री | रामपुर | मुहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| तिलक सिंह, श्री | अलीगढ़ | मैनेजर सिंह, श्री | बलिया |
| दिवाकर विक्रम सिंह, श्री | बस्ती | मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री | रायबरेली |
| नत्थू लाल विकल, श्री | बरेली | रघुवीर सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| नरेन्द्र देव, श्री | मिर्जापुर | रजनीकान्त दत्त, डा0 | वाराणसी |
| नरेन्द्र सिंह, कुंवर | सहारनपुर | रणजीत, श्री | देवरिया |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद | रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री | रायबरेली |

| | |
|---|---|
| राकेशधर त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री | बुलन्दशहर |
| राम आसरे वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम अवतार मिश्र श्री (उर्फ ननकू) | शाहजहांपुर |
| रामगोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राय जियावन, श्री | बस्ती |
| रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री | गोण्डा |
| राम रतन सिंह, श्री | सीतापुर |
| राम लक्षन, श्री | गोरखपुर |
| राम सजीवन, श्री | बांदा |
| रेवती रमण सिंह, कुंवर | इलाहाबाद |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| विजय लक्ष्मी, श्रीमती | बलिया |
| विजय सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| विजय सिंह राणा, श्री | आगरा |
| वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सोन, श्री | आगरा |
| शफीकुर्रहमान बर्क, श्री | मुरादाबाद |
| शारदानन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शिव बालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिव मंगल सिंह, श्री | बलिया |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | गोरखपुर |
| संजय सिंह, डाक्टर | सुल्तानपुर |
| सईदुज्जमा, श्री | मुजफ्फरनगर |
| सरदार सिंह, श्री | मथुरा |
| सरोज वर्मा, श्रीमती | मेरठ |
| सुखपाल पाण्डे, श्री | बस्ती |
| सुग्रीव सिंह, श्री | देवरिया |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| सुरेन्द्र कपिल, श्री | सहारनपुर |
| सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री | रायबरेली |
| सैयद अली अशरफी, श्री | पीलीभीत |
| हरशरन सिंह, श्री | मेरठ |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हर्ष वर्धन, श्री | गोरखपुर |

नोट :—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री; श्री निसार अहमद अन्सारी; लघु उद्योग कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री, एवं हथकरघा राज्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 1986

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**शासन द्वारा पत्रकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वाधीनता संग्राम को उत्तेजित करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने तथा सुविधाएं दिलाने हेतु कथित योजना**

**1—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वाधीनता संग्राम में उन पत्रकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वाधीनता संग्राम को उत्तेजित करने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने की सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

यदि कोई पत्रकार, साहित्यकार तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन/अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन या अन्य सुविधायें देने पर विचार किया जा सकता है। केवल उन पत्रकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को उत्तेजित किया हो, को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

**अधिशासी अभियन्ता सिविल के पदों का उच्चीकरण**

**2—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

विधान सभा 1986 के प्रथम सत्र के प्रथम बुधवार के अता0 प्र0 सं0—151 के उत्तर में दी गई सूचना के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन अपरिहार्य कारणों एवं विशेष परिस्थितियों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे जिनके कारण अधिशासी अभियन्ता सिविल के 24 पदों को केवल 30-9-86 तक ही उच्चीकृत करना पड़ा और 30-9-86 के बाद उन उच्चीकृत पदों को निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियों हेतु 4 चयन दिनांक 27-11-78, 2-11-79, 4-9-80 तथा 15-6-83 को किये गये थे। इन तदर्थ नियुक्तियों के स्थान पर नियमित प्रोन्नति हेतु अगस्त, 1984 में एक चयन किया गया। चयन समिति द्वारा संस्तुत 117 अधिकारियों को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया। इनमें से 78 अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पहले से ही कार्यरत थे।

चयनित अधिकारियों की पूर्ण सूची लागू करने के फलस्वरूप एक वर्ष से अधिक अवधि से तदर्थ रूप से कार्यरत

कतिपय अधीक्षण अभियन्ताओं के प्रत्यावर्तन की सम्भावना थी और प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप अनेकों रिट याचिकायें दायर किये जाने तथा इन अधिकारियों में असंतोष व्याप्त होने की आशंका से इस समस्या के निराकरण हेतु विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 24 पदों को दिनांक 31-12-84 से 30-6-86 तक की अवधि के लिए अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद जैसे-जैसे रिक्त होते जा रहे हैं, उनके समक्ष उच्चीकृत पदों पर कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं को समायोजित किया जा रहा है। इस प्रकार शनैः-शनैः उच्चीकृत किये गये 24 पद स्वतः अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पदों के रूप में परिवर्तित होते जायेंगे और अनुमानतः दिनांक 30-9-86 तक पूर्ण समायोजन के पश्चात् इन उच्चीकृत पदों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 117 अधिकारियों को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी चयन समिति में कौन लोग बैठे हुए थे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

चयन समिति में जो नियुक्त किये गये थे उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है श्री शिवदान सिंह।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

चयन समिति में कौन-कौन लोग बैठे हुए थे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

चयन समिति शासन द्वारा जो बनायी गयी है उसमें जो अधिकारी नामित किये हैं, वह बैठते हैं।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस चयन समिति में कोई अनुसूचित जाति का भी सदस्य है?

श्री भोला शंकर मौर्य—

इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य का प्राविधान नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

चयन समिति जब बनी उस समय 12 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे जिन्हें नहीं लिया गया।

श्री भोला शंकर मौर्य—

वह पात्रता की सूची में नहीं आ रहे थे।

श्री दीप चन्द्र सोनकर

कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं जो उन्होंने कहा है कि रिट याचिकायें दायर किये जाने की सम्भावना थी जिसके फलस्वरूप 24 पदों को दिनांक 31-12-84 से दिनांक 30-9-86 तक की अवधि के लिये उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं अपने मूल उत्तर में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि एक तो असन्तोष पैदा हो जाता 24 अधिकारियों को रिवर्ट करने पर और जिसके

फलस्वरूप बहुत से मुकदमों से भी उलझना पड़ता, इसलिये ऐसा किया गया।

### तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### जनपद उन्नाव के कतिपय गांवों में छिद्रित नलकूपों का केन्द्रीय भू-गर्भ जल परिषद् द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य कराये जाने का कारण

*1—श्री भगवती सिंह विशारद—(अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश चन्द्र वैश्य वैयक्तिक सहायक नलकूप (मध्य) कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 3561-नलकूप (मध्य) 164 वी—3055 डब्लू/बजट/83-84 दिनांक 26 अप्रैल, 1984 के पत्र के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के ग्राम पासाखेड़ा तथा विकास खण्ड असोहा के ग्राम बैगांव एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर में छिद्रित नलकूप में खारा पानी होने के कारण केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् द्वारा सरकार के द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य अब तक न कराये जाने के कारण क्या हैं तथा यह कार्य अब कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के ग्राम पासा खेड़ा तथा विकास खण्ड असोहा के ग्राम बैगांव में एवं विकास खंड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य अब तक इस कारण नहीं कराये जा सके, क्योंकि पहले दो ग्रामों के पास उनके द्वारा ब्लाक बीघापुर के ग्राम राजापुर गढ़ेवा में एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर के पास इसी ब्लाक के ग्राम कीरतपुर में पहले ही अन्वेषणात्मक कार्य किया जा चुका है तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा दूसरे नलकूप का अन्वेषणात्मक कार्य 20 किलोमीटर दूरी पर ही किया जाता है। उपर्युक्त तीनों ग्रामों की दूरी उनके द्वारा निर्मित दोनों नलकूपों से 20 कि0 मी0 से कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

### 'नरेन्द्र ग्लास फैक्ट्री,' गढ़ मुक्तेश्वर को चालू करने की कार्यवाही एवं बेकार श्रमिक

*2—श्री कनक सिंह तथा श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़ मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद में स्थित ग्लास फैक्ट्री 'नरेन्द्रा ग्लास फैक्ट्री' गत 3 जनवरी, 1986 से बन्द पड़ी है तथा उस फैक्ट्री के लगभग 500 श्रमिक बेकार हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त फैक्ट्री को चलवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

यह सही नहीं है कि गढ़मुक्तेश्वर जनपद, गाजियाबाद में स्थित ग्लास फैक्ट्री 'नरेन्द्रा ग्लास वर्क्स' गत 3 जनवरी, 1986 से बन्द पड़ी है, बल्कि सेवायोजकों ने दिनांक 5-1-86 से अपने 231 श्रमिकों को बैठकी पर भेज दिया है व 153 संविदा श्रमिकों को भी कार्य मिलना बन्द हो गया है। बैठकी समाप्त कराने हेतु पक्षों को बुलाकर वार्ता कराई जा रही है।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ग्लास फैक्टरी, गढ़ मुक्तेश्वर के करीब 500 मजदूरों ने पहली तारीख को अपनी हड़ताल की और मांग की कि उनको मकान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए 100 रुपया भत्ता दिया जाये, वर्दी दी जाये और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाये। इस पर मिल मालिकों के आश्वासनों पर 4 तारीख को हड़ताल समाप्त कर दी गयी, लेकिन उसके बाद मिल मालिकों ने तालाबन्दी कर दी, तो क्या मिल मालिकों से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला गया है और माननीय मंत्री जी क्या इस संबंध में कोई आश्वासन देंगे कि फैक्ट्री कब से चालू हो जायेगी और हड़ताल पर जो कर्मचारी थे क्या उनको भत्ता, तनख्वाह आदि देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपने तो कई सवाल एक साथ कर दिये हैं।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न किये हैं और मैं उसी के अनुरूप उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, जैसा कि मूल उत्तर में निवेदन किया गया है, इस समय इसका क्लोजर नहीं है, ले-आफ किया है और जो ले-आफ किया है वह अवैधानिक किया है। अवैधानिक इसलिए है कि जिस तरह की अनुमति उनको लेनी चाहिए थी, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत, वह नहीं ली गयी है और इस कारण 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है। यह 12-1-1986 को जारी किया है। और इम्पलायर द्वारा 23-1-1986 को उत्तर प्राप्त हुआ, जिसको जिलाधिकारी ने डी0 जी0 सी0 के पास आपीनियन के लिए 17-2-1986 को भेज दिया और उनके पास यह मामला लम्बित है। उनके पास से जैसे ही आ जायेगा, कार्यवाही की जायेगी। दोनों पक्षों में वार्ता हुई है, दिनांक 7-3-1986 को वार्ता हुई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है और दूसरी वार्ता 10-3-1986 को प्रस्तावित थी, उसमें क्या हुआ है ? इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। शासन की ओर से पूरा प्रयास है कि जो ले-आफ घोषित किया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और निगोशियेशन्स किये जायें जिससे कि ले-आफ समाप्त हो और मजदूरों को कार्य मिले और रोजी मिले।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उसकी बैठकें मालिकों के बीच में हुई हैं वार्ता के लिए तो इन दोनों मीटिंग्स में मालिकान के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे? यदि हां, तो एकतरफा कोई निर्णय सरकार द्वारा न लेने का क्या कारण है? दूसरा यह है कि जब शासन इस बात को स्वयं समझ रहा है कि उनका जो ले-आफ था वह इल्लीगल था तो इण्डस्ट्रियल एक्ट में जो व्यवस्था है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की, वह कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह जो वार्ता हुई यह दोनों पक्षों को आहूत करके ही वार्ता करायी गयी इसमें 7-3-86 को वार्ता हो भी चुकी है और इसमें आशाजनक परिणाम नहीं निकले और इसलिए उसको पुनः 10-3-86 को प्रस्तावित कराई गई। जैसा कि मैंने स्वयं अपनी ओर से संदर्भ दिया है कि सेक्शन 25 आफ इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही उनसे अपेक्षा की जाती है कि ले-आफ घोषित करने के पूर्व उनको अनुमति

लेनी चाहिए थी जिसको उन्होंने नहीं लिया इसलिए इसको इल्लीगल ले-आफ की संज्ञा दी जा रही है। इसीलिए उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया जो एक प्रोसेस है, पद्धति है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की। उसी पद्धति को हम फालो कर रहे हैं और उसके अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 3 जनवरी से यह फैक्ट्री बन्द पड़ी है और इसमें यह भी लिखा है कि 153 लोग बैठकी पर हैं और अनियमित रूप से यह फैक्ट्री ले-आफ में चल रही है बिना आपकी परमीशन के। तो क्या माननीय मंत्री जी 231 श्रमिकों को जिन्हें जनवरी से अब तक बेकार रखा गया है उनको पारिश्रमिक दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के सेक्शन 25 सी में यह प्राविधान है कि यदि इल्लीगल तरीके से बैठकी की जाती है और ले-आफ घोषित किया जाता है तो 45 दिन तक उस ले-आफ से मजदूरों को 50 परसेन्ट मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन यहां पर मैंने निवेदन किया है कि यहां तो लीगल ले-आफ है ही नहीं इसलिए कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही होगी, जिसमें निर्णय लिया जायेगा और उसमें मजदूरों को जो भी देय होगा, दिया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जब वह मजदूर बेकार बैठे रहेंगे तो उन्हें बेकारी का भत्ता दिलवाइये। यह तो सरकार दिलवा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

जब वह गैर कानूनी है तो कैसे होगा?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लेबर एक्ट में मान्यवर, यह होता है (व्यवधान) जितने दिन मजदूर बेकार रहता है उसको पूरा वेतन दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुन तो लीजिए।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस सदन के प्रबुद्ध सदस्य हैं। उन्होंने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, उन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने डी0 जी0 सी0 की ओपीनियन प्राप्त करने के कारण संदर्भित किया है और जैसे ही इन सारे बिन्दुओं पर उनकी ओपीनियन आयेगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। इसको दिखवा लिया जायेगा। अगर नियमों में इस तरह की व्यवस्था है कि जितने दिनों तक ले-आफ रहता है, उसको बेरोजगारी देने का प्राविधान है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस एक्ट का हवाला दिया है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि ले आफ दो तरह से होता है–एक इल्लीगल और दूसरी लीगल। अगर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया तो 45 दिन का वेतन दिया जायेगा और अगर कारण नहीं दर्शाया है तो इल्लीगल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके यहां के जो लेबर इन्सपेक्टर हैं उन्होंने उन्हें पूरा वेतन

दिलाने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या नोटिस दी है या उसको रेवेन्यू की तरह से वसूल करने की कार्यवाही जिलाधिकारी ने की या नहीं की?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य गुप्ता जी ने कहा है इस प्रतिष्ठान में 3-1-86 और 4-1-86 को उत्पादन कार्य हुआ है और उनको 4-1-86 को नोटिस दी और दिनांक 5-1-86 को सबेरे 7 बजे के पहले 231 श्रमिकों की बैठकी घोषित कर दी गई। इसके अतिरिक्त उन 153 संविदा श्रमिकों को भी सेवा करने का अवसर नहीं मिला। नोटिस तो बाकायदा दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जो विधिक प्रक्रिया का पालन उन्हें करना चाहिए था, शासन और लेबर कमिश्नर तथा डिप्टी लेबर कमिश्नर से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, वह उन्होंने नहीं की। इसीलिए उन्हें नोटिस दिया गया और तदनुसार जैसा कि आपने कहा विधिक राय की आवश्यकता नहीं है। इन सारे प्राविधानों को सुनिश्चित करने के लिए ही जिलाधिकारी ने यह कदम उठाया है।

**बाढ़ एवं जल भराव से निपटने हेतु शासन की योजना एवं केन्द्र से आर्थिक सहायता की मांग**

*3–श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7-2-86 को रेडियो से प्रादेशिक समाचार में यह समाचार प्रसारित कराया गया है कि मुख्य मंत्री उ0 प्र0 ने प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से एक अरब से अधिक की धनराशि की मांग की है? यदि हां, तो बाढ़ और जल भराव से निपटने के लिए क्या शासन ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**जनपद उन्नाव में नवाबगंज ब्लाक की बसहा झील की जल निकासी की व्यवस्था**

*1–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव के अंतर्गत नवाबगंज ब्लाक में बसहा झील का पानी निकालने हेतु 40 लाख रुपया पिछले दो वर्ष से स्वीकृत है किन्तु अभी तक उस ड्रेन का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा प्रत्येक वर्ष उपरोक्त झील के किनारे बसे गांव पानी में डूब जाते हैं और वहां के निवासी विपत्ति के शिकार हो जाते हैं, साथ ही लाखों की फसल नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो उक्त बसहा झील के जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नाव जनपद में बसहा झील की समस्या के निदान हेतु रु0 38.25 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें यह निहित था कि नालों के लिए भूमि बिना मूल्य के उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु प्रस्तावित निर्माण मार्ग पर अवरोध

होने के कारण बिना मूल्य भूमि प्राप्त न हो सकी जिस कारण कार्य नहीं कराया जा सका यद्यपि वर्षा काल में काफी क्षेत्र में पानी का फैलाव हो जाता है परन्तु झील से प्रभावित क्षेत्र में पानी निकलने के उपरान्त रबी की फसल बोई जाती है, जो नष्ट नहीं होती है । बसहा झील की समस्या के निदान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है जिससे तकनीकी दृष्टि से सर्वोत्तम निकासी मार्ग निर्धारित किया जा सके । इसके पश्चात् भूमि मिलने तथा धन की व्यवस्था होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि जनपद उन्नाव के बसहा झील की समस्या के निदान के लिये 38·25 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हुई थी और जिसमें यह निहित था कि नालों के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । मंत्री जी ने यह भी माना है कि इस झील में काफी क्षेत्र में पानी का फैलाव हो जाता है जिससे वहां का जनजीवन और फसलें नष्ट हो जाती हैं । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने, योजना स्वीकृत हुई बतायी है यह किस सन् में स्वीकृत हुई है और यह भी बता दें कि यह जो धनराशि है उसमें खुदाई के लिये भी धन आवंटित किया गया था या नहीं ? तीसरी बात आपने बतायी कि अवरोध उत्पन्न हो गया तो वह अवरोध क्या थे और सरकार ने उनका क्या निराकरण किया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह योजना 1983 में स्वीकृत हुई थी जिसमें यह था कि 6 विभिन्न कार्य कराये जायेंगे । उसमें सवरन ताल डूने की रीमोडलिंग, चिरैय्या नाले की रीमोडलिंग (दो पुलों की रीमोडलिंग सहित) चौबड़ बसहा नाला 60 कि0 मी0 से 65 कि0 मीटर तक का पुनरोद्धार एवं उसका निर्माण, इन्दाना नाले का निर्माण एवं उसका पुनरोद्धार, बसहा डिपरेश से झलोत्तर-स्केप तक निर्माण, पंप हाउस डिलीवरी टैंक का निर्माण तथा फीडर चैनल इत्यादि का निर्माण कार्य ।

इस कार्य के लिए औपचारिक स्वीकृति 4-6-84 को शासन द्वारा दी गई थी । उसमें हमने जो कार्य कराया उसमें 5 लाख रुपया जिलाधिकारी को अवमुक्त कराया गया और उससे वह काम कराया गया । जो अवरोध उत्पन्न हुआ वह जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया जिसके कारण जो भूमि किसानों से निःशुल्क मिलनी थी वह नहीं मिल पायी, लिहाजा काम नहीं हो पाया ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया, तो यह सर्वथा गलत है । बबुरहा नाला बनाने का काम किया जाना था लेकिन सरायजोधा गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवरोध किया गया लेकिन वह भी बाद में समझाने पर तैयार हो गया जिले के अधिकारियों से बातचीत के बाद वह सहमत हो गया । वह चाहता था कि जमीन के बदले जमीन मिल जाय । लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी इस बात में दिलचस्पी रखते थे कि सिर्फ चरैया नाले की सफाई कराई जाय । तो मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि बसहा से बबुरहा नाले का निर्माण कार्य शीघ्र इस वर्ष बरसात से पूर्व करा दिया जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं अपने मूल उत्तर में कह चुका हूं कि इसका सर्वेक्षण करा रहे हैं

जैसे ही धन उपलब्ध होगा, हम इस काम को करा देंगे ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, इसमें विरोधाभास स्पष्ट है पहले कहा कि हम प्रस्तावित निर्माण कराना चाहते थे लेकिन अवरोध उत्पन्न होने के कारण भूमि प्राप्त नहीं हो सकी जिसके कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका । अब सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं तो सर्वेक्षण तो हो चुका है केवल यहां से वित्तीय स्वीकृति देने की बात है । तो वह धन दे दिया जाय और कार्य आरम्भ हो सके । इस कार्य के न होने से करोड़ों रुपये की क्षति उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिये, आपको क्या परेशानी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

कब तक बनाना शुरू हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

वह देख लेंगे, आगे बढ़िये ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया था तो यह गंभीर मामला हो गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन जनप्रतिनिधियों के क्या नाम हैं? और जो उन्होंने उत्पन्न किया वह किस कोटि का था ? क्या वहां विभाग के कर्मचारियों और इंजीनियरों को नहीं जाने दिया या और किसी तरह का था ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अवरोध जो था वह भूमि फ्री न होने का था, इस कारण अवरोध आया । जो डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय विधान सभा सदस्य थे उन्होंने आपस में कहा कि इसे नहीं बनना चाहिए, उस मीटिंग में तय हुआ कि नहीं बनना चाहिये इसलिये नहीं बना ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सदस्यों के नाम क्या हैं ? किन सदस्यों ने अवरोध उत्पन्न किया जिस डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग का उल्लेख कर रहे हैं, वह किस तारीख को हुई ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अभी जो कहा गया उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के नाम क्या हैं और उस मीटिंग में निर्णय क्या हुआ ? क्या यह निर्णय नहीं हुआ कि बबुरहा ड्रेन से पानी निकाला जाय ?

श्री भोला शंकर मौर्य

मान्यवर, जो डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग का निर्णय था वह मैंने बतला दिया । लेकिन नामों की सूचना चाहेंगे कि कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे तो उसके लिए मुझे सूचना मंगानी पड़ेगी ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नही आया है । प्रश्न था यदि हां, तो उक्त बसहा झील के जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? इसमें जबाब दिया गया है कि बसहा का सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो विस्तृत सर्वेक्षण की बात कही गयी है वह कब तक पूरा करा देंगे और कब तक लागू करायेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मूल उत्तर में कहा गया है कि इसका सर्वेक्षण शीघ्र करायेंगे और शासन चिंतित है कि इस जल भंराव को शीघ्र रोका जाये ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, बसहा झील की समस्या विकराल है इससे दो तहसीलें, उन्नाव जिले की, हसनगंज और पुरवा काफी प्रभावित हैं । सारा जन जीवन उससे प्रभावित रहता है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको इजाजत नहीं देता हूं, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, बसहा झील के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की जनधन की हानि हो रही है । मेरा आरोप है कि सिंचाई विभाग ने अपने निहित स्वार्थों के कारण इस पर काम शुरू नहीं किया है । सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और खुदाई का काम कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसको शीघ्र ही मंत्री जी करवा दें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

ठीक है ।

## नहरों के रख रखाव हेतु अधिक धन की व्यवस्था

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों से प्रदेश में नहरों के रख रखाव के लिए वितरित धनराशि में कोई भी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इस काल में मजदूरी के रेट लगभग तीन गुने हो गए हैं जिसके फलस्वरूप नहरों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं रह गया है और उनकी वास्तविक सिंचाई उनकी सिंचन क्षमता के विपरीत गिरती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी तुरन्त मजदूरी के बढ़े हुए रेट के अनुपात में रख रखाव हेतु धन आवंटित करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

विभिन्न विकासशील कार्यों/योजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में नहरों एवं संबंधित कार्यों के रख-रखाव के लिये पिछले दस वर्षों में वार्षिक आवंटित धनराशि में यथासम्भव उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है ।

वर्ष 1986-87 के लिये सामान्य रख रखाव की मद में पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक धन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह प्रश्न पूरे प्रदेश की नहरों के संबंध में है । मैंने मंत्री जी का ध्यान सिंचन क्षमता की ओर आकर्षित किया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मूल प्रश्न था जिसमें पूछा था कि नहरों के रख रखाव में अधिक से अधिक काम 90 प्रतिशत डिसेल्टिंग की सफाई मजदूरों के माध्यम से होती है और उनकी मजदूरी की दरें 10-12 वर्षों में तीन गुनी हो गयी है, तो आप बतायेंगे कि इस तीन गुनी वृद्धि के हिसाब से अपने बजट में इस समय कितने प्रतिशत वृद्धि किया है । क्या उतनी ही सफाई इतनी लागत से आप कराने में सक्षम हैं जितनी 10 साल पहले कराते थे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, 1976-77 से 1985-86 तक जो धन आवंटित किया है इसमें लगातार वृद्धि करते रहे हैं। वर्ष 1976-77 में 5.84 करोड़ रुपये थे वह बढ़कर 12.69 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, नहरों के रख रखाव एवं सफाई की दरें जो 1972 में निर्धारित की गयी थीं, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 1972 से अब तक 317 प्रतिशत मूल्य सूचकांक बढ़ा है। तो क्या मंत्री जी बढ़े हुए मूल्य सूचकांक के आधार पर नहरों की सफाई व रख रखाव की धनराशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं अपने मूल प्रश्न के उत्तर में ही कह चुका हूं, जो हमारे प्रदेश के सीमित संसाधन हैं और जो हमारी योजनाओं की प्रायरिटी है, उन सबको देखते हुए हम धन को बढ़ाते तो रहे हैं, लेकिन उसे प्राईज इन्डेक्स के अनुरूप तो नहीं कर सके हैं और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री कौशिक रमा शंकर–

सिंचाई विभाग में मजदूरों के जरिए से काम कराया जाता है और आपके यहां नहरों ट्यूबवेलों और विश्व बैंक द्वारा किये जाने वाले कार्यों में जो मजदूर लगे हैं, उनके सम्बन्ध में क्या यह बात सही है कि इन्हें जो वेज दिया जाता है वह बहुत ही कम है और 30 दिन काम लेकर केवल 24 दिन की मजदूरी दी जाती है और इसलिए आपके विभाग में ठीक से काम नहीं हो रहा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह आरोप निराधार है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसे उन्होंने दूसरे रूप में बता दिया है, दूसरे मैंने यह जानना चाहा था कि जिन नहरों की सफाई में जितने मजदूर पहले करते थे या काम में लगते थे तो क्या अब भी उनमें उतने ही मजदूर काम कर रहे हैं? यदि नहीं, तो उससे कितने कम मजदूर लग पा रहे हैं और उससे कितनी सिंचन क्षमता घट रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जो सिंचन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए थी, वह बढ़ी नहीं है, लेकिन घटी भी नहीं है। 81-82 में जो 4578 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता थी, वह 84-85 में 4717 लाख हेक्टेयर है। तो इसमें कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। जो हमारे प्रदेश के संसाधन हैं, वह इतने सीमित हैं कि हम एक ही चीज पर उतना खर्च नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि जब नहरों की सफाई ठीक से नहीं होगी और उनका रखरखाव ठीक नहीं होगा तो उससे 30 प्रतिशत सिंचन क्षमता घट जाती है और इस समय 30 प्रतिशत घट भी गई है, क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुए इस बात की शीघ्र व्यवस्था करेंगे अर्थात् सिंचन क्षमता के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

हम इन्हीं कारणों को देखते हुए इस साल अधिक धन उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी उस क्षमता का उल्लेख बार-बार करते हैं, जो उनके कागजों पर डिजाइन के हिसाब से है, लेकिन जब आप पूरा पैसा नहीं देंगे तो क्षमता हर साल घटती चली जायेगी, तो वह अपनी नहरों की सिंचन क्षमता उतनी ही बनाये रखने के लिए उतने मजदूरों का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जो हमारी नहरों की सिंचन क्षमता है, उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं और इसलिए हमने वर्ष 86-87 में इसके लिए धन काफी हद तक बढ़ा दिया है। इससे मैं समझता हूं कि इसकी क्षमता बढ़ेगी। जो बढ नहीं रही थी, बढ़ेगी।

श्री शारदा प्रताप–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो मस्टर रोल पर मजदूर रखे जाते हैं, उनकी दैनिक मजदूरी क्या है?

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा प्रश्न आपने उठाया है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बार-बार माननीय मंत्री जी से पूछा गया कि सिंचन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? और नहरों की सफाई और रख रखाव के लिए धन बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सिंचन क्षमता में बड़ा भारी हेर-फेर होता है। सिंचाई दर गेहूं के लिये 58 रुपये है और अन्य फसलों के लिये 29 रुपये है। इनके अधिकारी दूसरी फसलों को दिखाकर सिंचन क्षमता बढ़ा देते हैं। तो क्या जो सिंचन क्षमता घटती जा रही है उसको देखते हुए नहरों के रखरखाव के लिए कोई समुचित योजना बनाकर इसको प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कराने पर विचार करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, शासन इसके बारे में चिंतित है और इसीलिये 1986-87 में जो बजट प्रस्ताव है उसमें 25.05 करोड़ रुपये एम0 एण्ड आर0 के लिए प्रस्तावित किया है।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी "घ" तारांकित प्रश्न संख्या 10 स्थगित किया गया है।

**कार्बेट कैल्शियम उद्योग भगवन्त नगर, देहरादून में सेवायोजन हेतु संघर्ष एवं उपचार**

*3–कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्बेट कैल्शियम उद्योग भगवन्त नगर, देहरादून में सेवायोजन हेतु स्थानीय लोग संघर्षरत हैं ? यदि हां, तो क्या 13-7-85 को जिलाधिकारी देहरादून को इस संघर्ष के संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया? यदि हां, तो उसमें अंकित मांगें व शिकायतें क्या हैं? क्या यह भी सत्य है कि संघर्ष से चिढ़कर उद्योग के अधिकारियों ने संघर्ष के नेता श्री राम लाल भारद्वाज के विरुद्ध 14-7-85 को या उसके आस-पास पुलिस में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जिससे श्री भारद्वाज को 10 दिनों तक पुलिस हिरासत व जेल

में रहना पड़ा? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत उद्योग में स्थानीय लोगों को सेवायोजित करके सरकार संघर्ष को समाप्त करने पर विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। उक्त प्रतिष्ठान में स्थानीय लोगों को सेवायोजन देने के संबंध में प्रतिष्ठान के प्रबंधकों तथा स्थानीय लोगों के मध्य समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप संघर्ष समाप्त हो गया है।

यह सही है कि जिलाधिकारी, देहरादून को दिनांक 13-7-85 को ग्रामवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था।

ज्ञापन में मुख्यत: स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर उनकी उपेक्षा करने, ग्रामवासियों के पीने के पानी के स्रोत के स्थान पर इकट्ठा होकर अमानुषिक व्यवहार एवं अपमानित करने और ग्राम भगवंतपुर के श्री रतन लाल भारद्वाज के विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने एवं 10 दिन तक पुलिस हिरासत व जेल में रखने की शिकायत की गई है और समस्त शिकायतों की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

जी नहीं। श्री राम लाल भारद्वाज को नहीं अपितु श्री रतन लाल भारद्वाज नामक व्यक्ति को दिनांक 15-6-85 को सायंकाल 6.50 बजे थाना रामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अगले ही दिन उसे सुबह न्यायालय में पेश कर दिया गया था। उसके विरुद्ध भा0द0 वि0 की धारा 308/323 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**लखनऊ शहर एवं देहात में मिट्टी के तेल के थोक एवं फुटकर लाइसेंस की अलग-अलग व्यवस्था**

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर एवं देहात में मिट्टी के तेल के कितने विक्रेता ऐसे हैं जिनके पास फुटकर व थोक दोनों के लाइसेंस हैं? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि थोक व फुटकर विक्रेता के लाइसेंस अलग-अलग व्यक्तियों को ही दिये जायं जिससे मिट्टी के तेल का ब्लैक न हो सके तथा होल सेल विक्रेताओं को जो अनुचित लाभ मिलता है वह समाप्त हो जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

**संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–**

लखनऊ शहर के 12 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 6 मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं के पास फुटकर व थोक दोनों प्रकार की मिट्टी के तेल के लाइसेंस हैं।

शासनादेश संख्या-5667/29-बी-1 दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के द्वारा थोक विक्रेताओं को फुटकर विक्रय का लाइसेंस दिये जाने की अनुमति है। उपरोक्त व्यवस्था को वर्तमान में समाप्त किया जाना जनहित में ठीक न होगा।

**अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खंड-2 बस्ती द्वारा कराये गये कार्यों की विजिलेंस द्वारा जांच**

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1984 तक ड्रेनेज खंड-2 बस्ती के अधिशासी अभियंता द्वारा संपादित कराये गये कार्यों की जांच विजिलेंस से

कराने हेतु मुख्य अभियंता ने संस्तुति की थी? यदि हां, तो शासन ने इस संदिग्ध प्रकरण की जांच विजिलेंस से क्यों नहीं करायी? क्या शासन इसकी जांच विजिलेंस द्वारा करायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मार्च, 1984 तक ड्रेनेज खंड-2 बस्ती के अधिशासी अभियंता द्वारा संपादित कराये गये कार्यों की जांच विजीलेंस विभाग से कराने हेतु मुख्य अभियन्ता की कोई संस्तुति शासन को प्राप्त नहीं हुई। अतएव इस प्रकरण की विजीलेंस द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1983-84 में ड्रेनेज खंड-2 बस्ती के तात्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा जाली मस्टर रोलों की गोपनीय छानबीन सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायी जा रही है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया किया है कि वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1983-84 में ड्रेनेज खंड-2 बस्ती के तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा जाली मस्टर रोलों की गोपनीय छानबीन सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायी जा रही है तो सतर्कता विभाग से जांच कराने के पहले क्या विभाग द्वारा जांच करायी गयी और यदि करायी गयी तो उसकी रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जो जांच करायी गयी है उसको पूर्ण कराकर उसके निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो विजीलेंस द्वारा जांच करायी जा रही है, वह गोपनीय जांच है। अभी उस संबंध में कुछ बताना संभव नहीं हो सकता क्योंकि वह जांच को प्रभावित करेगा। लेकिन हम इसको शीघ्र करा देंगे।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, विजीलेंस को जांच देने से पहले विभागीय जांच करायी गयी होगी तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

वह रिपोर्ट बताना जनहित में नहीं है।

**जनपद फर्रुखाबाद के कतिपय गांवों को गंगा एवं राम गंगा के कटाव से बचाने की कार्यवाही**

*3–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के वि0 खं0 राजेपुर में ग्राम बली पट्टी भाउपुर चौरासी, उगरपुर सौफीना, आरामपुर में गंगा नदी तथा ग्राम खड़ौली महरैया, सीढ़े, चक्रपुर राई में रामगंगा नदी का कटाव अगस्त, 85 तक जारी है? यदि हां, तो उन ग्रामों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद के राजेपुर विकास खंड में ग्राम बल्ली पट्टी, भाउपुर चौरासी, असमपुर तथा ग्राम खंडौली चक्रपुर, राई मेहरमपुर बाढ़ के समय क्रमशः गंगा व राम गंगा नदियों द्वारा कटान से प्रभावित होते हैं। वर्ष 1984-85 तथा 85-86 में ग्राम बल्ली पट्टी के समीप 8 स्टड व 6 लोबार का निर्माण किया गया जिससे

गंगा नदी से हो रहा कटान रुका है। गंगा तथा रामगंगा जैसी बड़ी नदियों से कटान को रोक कर बाढ़ क्षेत्र में स्थित ग्रामों को अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करना न केवल बहुत महंगा होगा वरन तकनीकी दृष्टिकोण से ऐसे कार्यों का प्रभावी होना भी निश्चित नहीं है।

**श्री रमेश चन्द्र, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड द्वितीय, देवरिया द्वारा मकान किराये भत्ते का अनियमित आहरण एवं उसकी जांच**

*4—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में सिंचाई खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता श्री रमेश चन्द्र नई गंडक कालोनी में स्थित सिंचाई विभाग के फील्ड हास्टल में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा इन्होंने इस अवधि में फील्ड हास्टल का निर्धारित दर पर किराया जमा किया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उस अवधि में मकान किराये भत्ते का उक्त अभियन्ता ने आहरण किया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भोला शंकर मौर्य—

श्री रमेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड-2, देवरिया ने देवरिया मुख्यालय स्थित फील्ड हास्टल में दिनांक 25-7-83 से 2-11-83 तक तथा दिनांक 10-11-83 से 10-7-84 तक निवास किया है। केवल बिजली व पानी का किराया ही जमा किया गया है। नियमानुसार आवश्यक किराया जमा करने के आदेश दे दिये गये हैं। इन्होंने दिनांक 9-7-83 से 31-12-83 तक मकान किराया भत्ता रु0 381·61 आहरित किया लेकिन सरकारी नियमों की जानकारी होने पर उक्त किराया सरकारी खजाने में वापस जमा कर दिया। इनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि अधिशासी अभियंता एक वर्ष की अवधि तक फील्ड हास्टल में अवैध ढंग से रहा और उसके लिए उसने रु0 381·61 पैसे मकान किराये भत्ते के रूप में आहरित भी किया तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस पूरी अवधि में उस अधिशासी अभियंता पर कितना भत्ता किराये के रूप में बना और उसने कितनी धनराशि जमा की?

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह मान्यवर, मैं बता चुका हूं कि रु0 381·61 उन्होंने जमा किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, एक प्रश्न मैंने और किया था कि यह रुपया उन्होंने कब जमा किया, क्या यह सवाल लगने के बाद या इससे पहले? दूसरा प्रश्न यह था कि यह धनराशि जो उन्होंने जमा की है, वह किस अवधि की है? एक माह की है या एक वर्ष की और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मैंने पहले भी कहा था कि जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने यह रुपया सरकारी खजाने में वापस कर दिया और अभी हम उनके पूरे आचरण के लिए नियमानुसार कार्यवाही करा रहे हैं, इसके लिए मैंने कल ही आदेश कर दिए हैं कि जो नियमों के खिलाफ भुगतान किया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

कितनी धनराशि सरकारी खजाने में जमा की है और कब की है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

381.61 पै0 उन्होंने जमा किया है।

डा0 दिनेश जौहरी–

बहुत से अधिकारीगण ऐसे फर्जी किराये चार्ज करते रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार आप क्या कार्यवाही करा रहे हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

विभागीय नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अनुसार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कोई स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी की ---

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाही जी जब मैं आपको बुलाऊं तभी तो आप खड़े होंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी मान्यवर, आपकी आज्ञा से ही माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और यह प्रश्न मैं इससे पहले भी कई मर्तबा पूछ चुका हूं कि जो पैसा उन्होंने जमा किया है, वह किस अवधि का है, एक माह का है या एक वर्ष की अवधि का, और कब जमा किया है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

9-7-83 से 31-12-83 तक का मकान किराया भत्ता है जो उन्होंने जमा किया है।

**जनपद बाराबंकी में बड़ेल माइनर की सफाई**

*5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में बाराबंकी ब्रांच से निकलने वाली बड़ेलग माइनर की पिछले कई वर्षों से सफाई नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पल्हरी शुक्लाई, बड़ेल आदि गांवों में स्थित भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो सफाई न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। सफाई की जाती रही है और सिंचाई भी हो रही है। यह बड़ेलग माइनर नहीं बल्कि बड़ेल माइनर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा कन्ट्रोल कपड़े का व्यापार बंद करने का कारण**

*6–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ने कन्ट्रोल कपड़े का व्यापार बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह एडवोकेट)–

जी हां।

शासन ने उ0प्र0 उपभोक्ता, सहकारी संघ द्वारा ही नियंत्रित वस्त्र का वितरण कराये जाने का निर्णय लिया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ यह दोनों कन्ट्रोल कपड़े का व्यापार करते आ रहे हैं। मैंने उनसे स्पष्ट रूप में यह पूछा है कि उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम से इस व्यापार को ले लेने के क्या कारण हैं?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, 8 जनवरी, 1985 तक उपभोक्ता संघ और आवश्यक वस्तु निगम कन्ट्रोल कपड़े और वेजीटेबिल आयल का काम कर रहे थे परन्तु जनवरी, 85 से कपड़े का काम उपभोक्ता सहकारी संघ को दे दिया गया और खाद्यान्न तेलों का काम आवश्यक वस्तु निगम को दे दिया गया।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मेरी सूचना को सत्य मानकर कि उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा कानपुर और फर्रुखाबाद की छींट की साड़ियां काले बाजार में बेंची जा रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या जिस तरह से आवश्यक वस्तु निगम का काम बंद किया गया उसी तरह से उ0प्र0 सहकारी स्ज्ञ का कन्ट्रोल कपड़े के व्यापार को भी बंद किया जायेगा?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

यह संभव नहीं है।

*7–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री सत्यपाल सिंह–
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

## पडरौना विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु ड्रेनों का निर्माण

*8–श्री बालेश्वर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना विधान सभा क्षेत्र में जल जमाव के कारण पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है? क्या सरकार ड्रेन खोदवा कर जल जमाव से जनता को राहत दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जल निकासी के लिए पडरौना विधान सभा क्षेत्र में कुल 198.02 कि0 मी0 लम्बी ड्रेनों का निर्माण कराया गया है, जिससे 6473 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होती है। इसके अतिरिक्त 31.20 कि0 मी0 लम्बी ड्रेनें प्रस्तावित हैं। 1986-87 में धन उपलब्ध होने पर इन नालों के पूर्ण हो जाने पर 600 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को लाभान्वित किया जा सकेगा। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बालेश्वर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि 198.02 किलो मीटर ड्रेनों का निर्माण कराया जा चुका है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे क्षेत्र की बात है, जिन ड्रेनों का निर्माण कराया गया है, उन ड्रेनों से पर्याप्त मात्रा में निकासी नहीं हो पाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उन ड्रेनों का पुनः निर्माण कराने का कष्ट करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह जो 198.02 किलो मीटर ड्रेनें बनी हैं, वह सही रूप में काम कर रही हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे लिखकर भिजवायेंगे, तो मैं उसे दिखवा लूंगा।

श्री बालेश्वर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि धन उपलब्ध होने पर जो ड्रेनें हैं, उनका काम कराया जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि धन कब तक उपलब्ध हो जायेगा और इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, शासन इसमें सजग है, लेकिन सीमित संसाधन को देखते हुए जो भी प्रायरिटी का काम है, उसे पहले

लिया जाता है। यह जो ड्रेनों का काम है, उसके बारे में हमने सर्वेक्षण आदि करा लिये हैं, अब इसको हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास धन उपलब्ध हो जायेगा, हम इस काम को करा देंगे।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, ड्रेनों की सफाई न होने के कारण जल का जमाव हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी उनकी सफाई कराने का कष्ट करेंगे, ताकि जल का जमाव न हो सके?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, वह तो करते ही रहते हैं। वह तो काम ही सिंचाई विभाग का है।

**जनपद आगरा में मलपुरा ड्रेन हेतु अध्याप्त जमीन के प्रतिकर का भुगतान**

*9–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1980 के अंतर्गत मलपुरा ड्रेन की खुदाई में गांव मलपुरा गागरी, मनकेण्डा, लालऊ खाल आदि गांवों की जमीन ली गई थी और यह निश्चित किया गया था कि जिन किसानों की जमीन ली जायेगी उन्हें जमीन का अनुदान दिया जायेगा? क्या यह अनुदान दिया गया? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मलपुरा नाले की खुदाई में ग्राम-मनकेण्डा तथा खाल की कोई भूमि अध्याप्त नहीं की गई। अतएव इन ग्रामों के किसानों को कोई प्रतिकर की धनराशि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम मलपुरा की कुल 5,935 एकड़ भूमि अध्याप्ति की गयी थी जिसके प्रतिकर की धनराशि रु0 2,85,305.80 का भुगतान दिसम्बर, 1984 व जनवरी, 1985 में किया जा चुका है।

ग्राम गागरी की अध्याप्त कुल 5.281 एकड़ भूमि में से 2.478 एकड़ भूमि की प्रतिकर धनराशि रुपया 1,13,031.54 का भुगतान भी दिसम्बर 1984 व जनवरी 1985 में हो चुका है। इस ग्राम की शेष 2.803 एकड़ भूमि तथा लालऊ ग्राम की अध्याप्त 2.007 एकड़ भूमि अर्थात् कुल 4.810 एकड़ भूमि की प्रतिकर धनराशि का भुगतान गजट में विज्ञप्तियां प्रकाशित होने तथा एवार्ड घोषित होने के उपरान्त ही किया जाना संभव हो सकेगा।

*10–श्री मुहम्मद आजम खां–

[मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

*11–श्री राज किशोर सिंह–

[दि0 26-2-86 को तारां0प्र0सं0 11 द्वारा उत्तरित]

**पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों से बिकने वाली वस्तुओं का प्रति इकाई निर्धारण एवं वांछित खाद्यान्न की आपूर्ति**

*12–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से बिकने वाले खाद्यान्नों व मिट्टी तेल की प्रति इकाई दी जाने वाली राशि का निर्धारण क्रमशः किस-किस मानक के आधार पर किया जाता है? क्या यह निर्धारित मात्रा सीमान्त के निवासियों के उदर पूर्ति के लिए पूर्ण हो जाती है? यदि नहीं, तो सरकार इस वांछित खाद्यान्न पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

प्रदेश के पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिकने वाले गेहूं तथा चावल की मात्रा प्रति यूनिट प्रति माह क्रमशः 10 किग्रा0 एवं 8 किग्रा0निर्धारित की गयी है, परन्तु भारत सरकार के निदेशानुसार राशन कार्ड पर दिये जाने वाले गेहूं की मात्रा का प्रतिबन्ध 31 मार्च, 1986 तक के लिए हटा लिया गया है। शासकीय आदेशों के अनुसार मिट्टी तेल की उपलब्धता को देखते हुए शहरी अंचलों में एक माह में अधिक से अधिक दस लीटर प्रति कार्ड धारक एवं इतना ही या उससे कम पांच लीटर मिट्टी तेल ग्रामीण अंचलों के उपभोक्ताओं को वितरित किया जा सकता है। पर्वतीय जनपदों के जिलाधिकारी अपने जनपद की उपलब्धता को देखते हुए इस मात्रा को संशोधित अथवा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न की सम्पूर्ति की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है तथा इन क्षेत्रों के निवासियों को वर्तमान वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाने वाला खाद्यान्न उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अतः खाद्यान्न की सम्पूर्ति की दिशा में किसी विशिष्ट शासकीय प्रयास की आवश्यकता नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने मानक पूछा था कि प्रति यूनिट खाद्यान्न में आपूर्ति का मानक क्या है? माननीय मंत्री जी ने मानक का तो इसमें उल्लेख किया नहीं कि किस मानक के आधार पर आप आपूर्ति निर्धारित करते हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मानक होते हैं उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर। जितनी हमारे पास उपलब्धता होती है और उसके अनुरूप जो हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार मानक बनता है और उसी के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में कभी-कभी राशन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। उस स्थिति में खाद्यान्न की आपूर्ति निश्चित कराने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्या मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है और जिन इलाकों में सप्लाई की जाती है वहां पर भी बहुत ज्यादा कमी है, इस बात को देखते हुए मिट्टी के तेल की आपूर्ति कराने की व्यवस्था निश्चित करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय जो आपूर्ति की जा रही है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं है। माननीय सदस्य अगर जानकारी चाहें तो मैं अलग-अलग स्थिति बता सकता हूं:–यह पिथौरागढ़ में 10 लीटर है, चमोली में 10 लीटर (शहर क्षेत्रों में) 5 लीटर (ग्रामीण क्षेत्रों में) टिहरी गढ़वाल में भी इतना ही है। अल्मोड़ा में 18 लीटर तक एक समय में बिना राशन कार्ड। देहरादून में 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह, नैनीताल में 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह तथा पौड़ी गढ़वाल में 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह है और उत्तर काशी में 18 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए हमने इसको बढ़ाया हुआ है। गेहूं की कोई कमी नहीं है, जितना चाहें ले सकते हैं और यही स्थिति चावल की भी है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे देहरादून जनपद में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहां शहर में 800 ग्राम चीनी की सप्लाई की जा रही है। वहां पर 75 मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी की जो आवश्यकता है क्या उसकी पूर्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें जो मूल प्रश्न है उसमें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के बिकने वाले खाद्यानों व मिट्टी के तेल के बारे में जानकारी मांगी गई है। उसमें चीनी के बारे में प्रश्न नहीं था इसलिए इसमें उत्तर भी चीनी के बारे में नहीं दिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक महीने बाद पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा आरम्भ होगी और वहां का आवागमन अवरुद्ध हो जायेगा। तो क्या, वहां पर अगले तीन महीनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वहां की जलवायु के बारे में, तो पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु तो एक महीने बाद और भी रमणीक हो जायेगी और हम सभी लोग वहां पर जाते हैं। एक महीने बाद वहां पर भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारा काम है और हमारा दायित्व है और उसको हम निभाते रहेंगे।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, आगरा जनपद के एक कस्बे के बाईं तरफ शहरी क्षेत्र है और दाईं तरफ देहाती क्षेत्र है। वहां पर एक तरफ देहाती क्षेत्र के हिसाब से वितरण किया जाता है और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र के हिसाब से वितरण किया जाता है। इसका क्या कारण है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उनको चाहिए कि वह बीच में बैठ जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने ठीक कहा। आगरे की विशेष स्थिति है। यह प्रश्न केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए है और आगरा पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री प्रदीप माथुर–

मथुरा शहर में जो क्षेत्र है, किन्तु नगरपालिका में नहीं आता है, उनको गांव की सुविधा दी जा रही है, क्या उनको शहर की सुविधा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

फिर वही दोहरा रहा हूं, यह प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र के बारे में था।

**कानपुर चमड़ा टेनरियों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन एवं वेज बोर्ड की सिफारिशें**

*13–श्री मनोहर लाल (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर चमड़ा टेनरियों में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन क्या है और उनके वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, ग्रेच्युटी आदि के लिये कोई वेज बोर्ड की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और यह कब तक लागू की जायेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर चमड़ा टेनरियों में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूमतम मासिक वेतन रु0 284/- है। उनके वेतन वृद्धि,

स्थायीकरण तथा ग्रेच्युटी आदि के लिये किसी वेजबोर्ड की स्थापना नहीं की गई है अतः उसकी सिफारिशें तथा उन्हें लागू किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु ड्रेनों की व्यवस्था**

*14—श्री शारदा प्रताप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये ड्रेनों की व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां । ड्रेनों का निर्माण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिसमें भूमि के मूल्य का प्राविधान नहीं होता है । बिना मूल्य के भूमि उपलब्ध कराये जाने पर तथा धन की उपलब्धता के अनुरूप प्रस्तावित ड्रेनों का निर्माण यथा समय किया जायेगा।

श्री शारदा प्रताप—

हमको और आपको भी जानकारी है और सरकार को भी जानकारी है कि जलभराव की स्थिति लखनऊ में कैसी रही । इसको देखते हुए ड्रेनों की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि बिना मूल्य के भूमि उपलब्ध न हो तो क्या ड्रेनों की खुदाई नहीं होगी?

श्री भोला शंकर मौर्य—

रोजगार गारन्टी योजना में भूमि के लिये कोई धन का प्राविधान नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप—

जिन जगहों पर भूमि उपलब्ध है और ड्रेनों का प्रस्ताव हो चुका है, क्या वहां पर इसी बजट सत्र में ड्रेनों के निर्माण के लिए धन का प्राविधान करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

माननीय सदस्य ड्रेनों का नाम बता दें, दिखवा लूंगा ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, यह समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेडानाला है, स्थानीय समिति ने इसके लिये धन भी आवंटित कर दिया था। हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समस्या के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम है, ड्रेनों के निर्माण के लिये। हमारे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है। गूल बने हैं, उनको गहरा करना है ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह प्रश्न लखनऊ के बारे में किया गया था । पूर्वांचल के बारे में लिखकर दे दें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय मंत्री जी ने लखनऊ की स्थिति को जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गाड़ी से जाते समय बाहर देखने का कष्ट करें। थोड़ी बरसात हो जाती है तो लखनऊ की स्थिति नाजुक हो जाती है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे सारी ड्रेनों की व्यवस्था हो जाय? शासन कोई ऐसी योजना केन्द्र सरकार को भेज रहा है या नहीं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

प्रदेश के जो सीमित संसाधन हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रस्ताव बनाया गया है, लखनऊ जनपद उसमें शामिल है।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

क्या मा0 सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चौक में खुनखुनजी की कोठी बीच में पड़ जाने के कारण, बांध बनने में परेशानी के कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों की राय थी कि उस कोठी को तुड़वा दिया जाय, इस कोठी के कारण पिछले साल लखनऊ शहर में बाढ़ आयी, तो क्या उस कोठी को तुड़वाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह जो मूल प्रश्न है, यह लखनऊ शहर की ड्रेनों के बारे में नहीं, लखनऊ देहात की ड्रेनों के बारे में है। अतः यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता। इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि मूल प्रश्न लखनऊ के बारे में है। मुझे आशा है कि मंत्री जी पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। इसलिये मैंने अपेक्षा की थी कि क्या इस प्रकार की योजना पर विचार किया जायेगा कि जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये, हमारे जिले की इस समस्या से निपटने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, क्या यह आश्वासन देने की स्थिति में मा0 मंत्री जी हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मा0 सदस्य लिखवाकर भेज दें तो दिखवा लेंगे।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मंत्री जी की स्थिति यथा नाम तथा गुण की है। ये भोला शंकर मौर्य जी भोले बन जाते हैं। लखनऊ में गोमती नदी में जो बाढ़ आती है, तो लखनऊ के चौक क्षेत्र में खुनखुनजी की कोठी गोमती नदी के किनारे बनी है। जो बांध बनना प्रस्तावित है, वह इस कोठी के बीच में पड़ जाने के कारण नहीं बन पा रहा है। अभी एक मा0 सदस्य ने पूछा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उस कोठी को तुड़वाने का प्राविधान करेंगे, या नहीं? बता दें कि यह विचाराधीन है या नहीं ? जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की राय तोड़ने की है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, . . . .

श्री अध्यक्ष–

आपका मूल प्रश्न से कोई लगाव नहीं है।

*15–श्री मैनेजर सिंह–

[22वें मंगलवार में तारां0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16–श्री अशोक बाजपेयी–

[9वें गुरुवार में तारां0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर ब्रांच नहर की सफाई में हुए अनियमित भुगतान की जांच**

*18–श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर ब्रांच नहर की सफाई (सिलटिंग) गत वर्ष स्याना से लेकर अनूपशहर रोड के बीच में बिना कराये ही लाखों रुपये का भुगतान विभागीय इंजीनियरों ने ले लिया है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ में महुला से चूटीडाढ़ तक घाघरा नदी के कटान को रोकने हेतु गठित कमेटी द्वारा कृत कार्यवाही**

*19–श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि घाघरा नदी के आजमगढ़ जनपद स्थित महुला-गढ़वाल बांध से निकट महुला से चूटीडाढ़ तक भीषण कटान से आजमगढ़ और बलिया जनपद को खतरा पैदा होने की स्थिति आने वाली है? क्या सरकार घाघरा की धारा परिवर्तन की स्थिति से स्थाई रूप से निपटने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा कारगर समाधान निकालने जा रही है? यदि हां, तो वह कमेटी कब से काम करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

प्रश्नगत स्थान पर कटान होने के कारण माह नवम्बर, 1985 में खतरा उत्पन्न हो गया था जिसको युद्ध स्तर पर कार्य कराकर नियंत्रण कर लिया गया है। इस कटाव को रोकने के कारगर उपाय के लिए शासन द्वारा एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति ने स्थल का निरीक्षण करके अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

श्री बालेश्वर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि उस उच्च स्तरीय समिति में कौन-कौन लोग हैं? और अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो महुला गढ़वाल बांध तथा घाघरा की कटान को रोकने के लिए जो समिति 31 दिसम्बर, 1985 को शासन द्वारा बनाई गयी, उसमें निम्नलिखित सदस्य हैं (1) श्री जे0 एम0 गर्ग, मुख्य अभियन्ता नहर एवं बाढ़, अध्यक्ष, (2) श्री ए0 सी0 बागची-सदस्य सचिव। गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का एक प्रतिनिधि, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ, निदेशक, सिंचाई अनुसंधान रुड़की, सहारनपुर।

इस समिति ने अब तक स्थल का निरीक्षण किया है।

श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, जो कमेटी बनी है, कटाव रोकने के लिए, उसने अपना काम शुरू नहीं किया है। मान्यवर, अगर वहां तुरन्त कारगर उपाय न किये गये तो पूरी सड़क कट जायेगी और सैकड़ों गांव घाघरा में बह जायेंगे और भारी नुकसान हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उस समिति के सुझावों को प्राप्त कर, उनका कार्यान्वयन कराने का कष्ट करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और एक दफा इसने स्थल का निरीक्षण किया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस कटाव को रोकने के लिये मांडल स्टडी का काम रुड़की अनुसंधान केन्द्र में चल रहा है।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि दिलदार नगर क्षेत्र में गौसपुर से लेकर शेरपुर गहमर तक गंगा नदी से

प्रबल कटाव है, क्या उसको रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री काजी कलीमुररहमान–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक हुए कटान से किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी? इसमें लगभग 80 एकड़ जमीन प्रभावित है।

श्री भोलाशंकर मौर्य–

नियमानुसार जो क्षतिपूर्ति का प्राविधान है, उसमें कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, वहां स्थिति अत्यन्त गम्भीर है, वहां कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। मान्यवर, वह बंधा कभी भी कट सकता है, उससे बलिया आजमगढ़ की सारी जमीन बहुत ही भीषण स्थिति में आ जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस कमेटी का आपने गठन किया है, क्या आप उसे इस बाबत निर्देश देंगे कि 2 माह या 3 माह के भीतर अपनी संस्तुति दे दें, ताकि उसके आधार पर जल्दी से जल्दी बंधे को कटान से रोका जा सके और हानि न हो?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इसे शीघ्रता से कराने जा रहे हैं। मान्यवर, जो तकनीकी सलाह मिलेगी, उसके अनुरूप हम काम करायेंगे। मान्यवर, इस बीच तकनीकी समिति को यह निर्देश दे देंगे कि वह अपना काम जल्दी निपटा लें और संस्तुति दे दें।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, वहां की स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि 2 माह या 3 माह के अन्दर इस कार्य को करवा लेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, वहां एक बार स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि सेना के लोग मौके पर आये थे। मान्यवर, वहां कटाव को यदि रोका नहीं गया तो तुरन्त सैकड़ों गांव जलमग्न हो जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, जब सिंचाई मंत्री थे, वे भी स्थल निरीक्षण कर आये हैं। उसके बाद उसमें यह तय हुआ था कि अगली बरसात के पहले काम पूरा कर दिया जायेगा। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्या मा0 मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस साल बरसात का मौसम शुरू होने के पहले इस कटान पर पूरा नियंत्रण कर लिया जायेगा और गांवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, तकनीकी सलाहकार समिति जो हमने बनायी है, उसमें हमारे बाढ़ नियंत्रण के विशेषज्ञ भी हैं। शासन पूरी तरह से जागरूक है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र करा लिया जाये। तकनीकी सलाहकार समिति को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वह इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दें ताकि इस काम को हम प्रायरिटी के आधार पर कर सकें।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि अगली बरसात आने से पहले यह कटान नहीं होने पायेगा?

श्री अध्यक्ष–

यदि यह इनके काबू में हो तो वह आज ही इसे करा देंगे।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई ऐसा प्रोपोजल आया है कि कटाव स्थल के दोनों तरफ एक किलोमीटर के अन्तर्गत पक्के ठोकर लगा दिये जायें जिसके कारण धारा मुड़ जायेगी। यदि ऐसा प्रोपोजल आया है तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है, यदि कोई निर्णय इस पर नहीं लिया गया है तो कितनी जल्दी शासन इस पर निर्णय ले पायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं इससे पूर्व अर्ज कर चुका हूं कि तकनीकी सलाहकार समिति जो बनायी गयी है उसने अभी तक अंतरिम रिपोर्ट तक नहीं दी है। हमने कल ही निर्देश दिये हैं कि वह जल्दी इसे हमको दे दें। अभी तक ऐसा कोई प्रोपोजल शासन को प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि ठोकर बना करके काम करें।

**अपर आगरा केनाल की क्षमता बढ़ाने की योजना**

*20–श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री राम सरन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर आगरा कैनाल की पानी की क्षमता 2200 क्यूसिक से बढ़ाकर 4000 क्यूसिक बढ़ाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां।

आगरा नहर आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत नहर के शीर्ष पर आगरा नहर की क्षमता 2200 क्यूसेक्स से बढ़ा कर 4000 क्यूसेक्स करने की योजना पर कार्य प्रगति में है। यह कार्य आवश्यक धन उपलब्ध होने के आधार पर 1990-91 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आगरा नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना किस साल में बनायी गयी थी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, आगरा नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना मूल रूप से 1976-77 में बनायी गयी थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा कर देंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह तो मूल प्रश्न में ही कहा जा चुका है। 1990-91 में हम इसे पूरा करवा देंगे।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा कैनाल के नवीनीकरण के जो प्रस्तावित मूल योजना थी वह कितने कीमत की थी और 1990-91 में जब यह परियोजना पूरी हो जायेगी तो उस समय इसकी लागत क्या होगी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जब यह मूल योजना बनायी गयी थी तो उस समय इसकी लागत 496 लाख रुपया थी। अब यह योजना 1,721-00 लाख रुपये की हो जायेगी।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया भी है कि 1990-91 में इसका आधुनिकीकरण . . .

श्री अध्यक्ष–

आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री बदन सिंह–

माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि आगरा नहर के आधुनिकीकरण हेतु 496 लाख रु0 खर्च होना था, लगभग 10 वर्ष हो गये हैं, कितना पैसा खर्च कर दिया और कितना आधुनिकीकरण हो गया?

श्री भोला शंकर मौर्य–

अब तक इस पर 919 लाख रु0 खर्च हो चुका है।

श्री बदन सिंह–

यह योजना भ्रष्टाचार की शिकार बन गई है, आधुनिकीकरण के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप 1990-91 में जो योजना को पूर्ण करने की बात कह रहे हैं, इस वर्ष 86-87 में कितना धन दिया है और आगरा के आस-पास इस नहर में 2200 क्यूसेक्स के स्थान पर कितनी क्षमता बढ़ गयी है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, ये अपने प्रश्न दोहरा दें।

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद बाराबंकी में रीवां-सीवां ड्रेन पर पुल निर्माण कार्य की प्रगति

1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वि0 खं0 फतेहपुर के ग्राम दशरथपुर में गांव के पूरब फतेहपुर बाराबंकी रोड से मिली हुई रीवां-सीवां ड्रेन पर पुल निर्माण हेतु सिंचाई विभाग ने स्वीकृति दी थी? यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुल का निर्माण स्लेब स्तर तक पूर्ण हो चुका है।

### ड्रेनेज खंड प्रथम एवं द्वितीय, बस्ती तथा बाढ़ खंड फैजाबाद हेतु खरीदे एवं प्रयुक्त किये गये पत्थरों का विवरण

2–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खंड बस्ती प्रथम तथा द्वितीय एवं बाढ़ खंड फैजाबाद में सन् 83-84 व 84-85 में कितने घनफुट स्टोन बोल्डर (पत्थर) किन-किन प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया, कितना पत्थर नदी में डाला गया, कितना पत्थर कम पाये गये कुल कितना रुपया पत्थर तथा डमपीज का प्रत्येक डिवीजन से भुगतान हुआ? क्या शासन पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 83-84 व 84-85 में ड्रेनेज खंड प्रथम एवं द्वितीय, बस्ती तथा बाढ़ खंड, फैजाबाद में क्रय किये गये स्टोन बोल्डर (पत्थर) नदी में डाले गये पत्थर, कम पाये गये पत्थर एवं क्रय किये गये

पत्थर तथा डम्पिंग के भुगतान का विवरण बहुत विस्तृत है, तथा मेरे कक्ष में उपलब्ध है।

**श्री लालधारी राम, तत्कालीन अवर अभियंता सरजू नहर खंड-2 बस्ती के विरुद्ध शिकायतों की जांच**

3—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर खंड-2 बस्ती के अवर अभियंता श्री लालधारी यादव के जो 1978 से 1981 तक कार्यरत थे और जिन्होंने लाखों रुपए की गड़बड़ियां कीं, के विरुद्ध जांच चल रही है और बस्ती जिले में लाखों रुपये की गड़बड़ी करने की शिकायत पत्र प्रश्नकर्ता ने सितम्बर, 85 को मा0 मंत्री जी, सिंचाई विभाग को देकर जांच की मांग की थी? यदि हां, तो कनहर मिर्जापुर तथा सरजू नहर खंड-2 बस्ती के मामलों की जांच हुई है? यदि हां, तो क्या आरोप सिद्ध हुए? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्री लालधारी राम, अवर अभियंता (यांत्रिक) वर्ष 1978 से 1981 की अवधि में कनहर निर्माण मंडल पिपरी मिर्जापुर में कार्यरत थे। उन्होंने दिनांक 6-8-1981 को सरयू नहर खंड-2, बस्ती में कार्यभार ग्रहण किया। सरयू नहर खंड-2, बस्ती से संबंधित इनके द्वारा की गई कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी। संदर्भित सितम्बर, 1985 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच हेतु प्रमुख अभियंता (जांच प्रकोष्ठ) को लिखा गया है।

**जनपद कानपुर (देहात) में वि0 खं0 झींझक स्थित वान नाले की लम्बाई एवं उसकी सफाई**

4—श्री राधेश्याम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर (देहात) के वि0 खं0 झींझक के अंतर्गत वान नाले का कब निर्माण किया गया था ? इसकी लम्बाई कितनी है और इस बीच इसकी सफाई कब-कब कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत नाले का निर्माण वर्ष 1971-72 में किया गया था । इस नाले की लम्बाई 5 कि0मी0 है। इसकी वार्षिक सफाई नाले के अवरोध व ठेके हटाने का कार्य वर्ष 1979-80, 1980-81, 1982-83, 1983-84 व 1985-86 में कराया गया है।

5—श्री राधेश्याम—

क्या यह बात सत्य है कि नाले की सफाई न होने के कारण नाला अवरुद्ध हो गया है और खेतों में पानी भरा रहता है जिससे काश्तकारों को फसल बोने को नहीं मिलती है? यदि हां, तो कब तक इस नाले की सफाई करा दी जायेगी? क्या इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। नाला अवरुद्ध नहीं है । इसकी सफाई वर्ष 1985-86 में वर्षा से पूर्व करा दी गयी थी तथा फसल भी बोई गई है। आगामी वर्षा से पूर्व नाले की वार्षिक सफाई का कार्य कराना प्रस्तावित है। इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हमीरपुर में प्रस्तावित चरखारी बांध का निर्माण एवं सिंचन क्षमता**

6—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद में चरखारी बांध के निर्माण की योजना शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो उससे कितने क्षेत्र को सिंचाई प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्या उक्त क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य कोई योजना पर विचार किया जा रहा है? और उसकी रूप रेखा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

3117 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**थियोसोफिकल मान्टेसरी स्कूल, सीतापुर की सहायक अध्यापिकाओं के विवाद की जांच कार्यवाही**

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थियोसाफिकल मान्टेसरी स्कूल, सीतापुर की तीन सहायक अध्यापिकाओं (श्रीमती पुष्पा सिन्हा आदि) के विवाद को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्रम विभाग को दि0 13 दिसम्बर, 85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा कार्यवाही की प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सेवायोजकों के कथनानुसार प्रतिष्ठान पर अत्यधिक वित्तीय अधिभार बढ़ जाने के कारण प्रश्नगत अध्यापिकाओं की सेवायें 3 मास की नोटिस पर दिनांक 22-11-85 से समाप्त कर दी गई हैं। श्रीमती पुष्पा सिन्हा तथा कु0 दलजीत कौर ने अपनी सेवा समाप्ति का विवाद संसाधन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

**ग्राम दिग्विजयपुर, जनपद उन्नाव में स्वीकृत ट्यूबवेल का निर्माण**

8—श्री गोपाल दास यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दिग्विजयपुर, न्याय पंचायत रायपुर वि0 क्षे0 बीघापुर जनपद उन्नाव में वर्ष 83 व 84 में एक सरकारी ट्यूबवेल बनाना स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या वह ट्यूबवेल बन गया? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है और उक्त ट्यूबवेल बनकर कब तक तैयार हो जायेगा? क्या विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फर्रुखाबाद में खराब नलकूपों को ठीक कराने की व्यवस्था एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच**

9—श्री महरम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में राजकीय नलकूपों में से भारी संख्या में नलकूप खराब पड़े हैं जिसके कारण सिंचाई करने में किसानों को संकट का सामना करना पड़

रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी प्रभावी व्यवस्था करेगी जिससे राजकीय नलकूप तुरन्त ठीक कराये जायं और किसानों को सिंचाई के लिए उचित ढंग से पानी मिल सके?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 25-2-86 को 392 चलित नलकूपों में से 29 नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बन्द हैं।

इनके अतिरिक्त 35 नलकूप निर्माण के एवं 5 नलकूप पुनः निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 8 अन्य असफल नलकूपों का पुनः निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है और 4 असफल नलकूपों का पुनः निर्माण विचाराधीन है। इस प्रकार निर्माणाधीन अथवा असफल नलकूपों की कुल संख्या 52 है जिनसे इस समय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इनके अतिरिक्त 9 नलकूप परित्याग के लिए प्रस्तावित हैं।

दिनांक 25-2-86 में बन्द 29 नलकूपों में से 6 नलकूप चालू कर दिये गये हैं। शेष को भी शीघ्र चालू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

10–श्री महरम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी फर्रुखाबाद जनपद में वर्षों से पचासों राजकीय नलकूपों के खराब हालत में पड़े रहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उच्च-स्तरीय जांच कराके कड़ी कार्यवाही करने पर विचार करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

392 चलित नलकूपों में से जो 29 नलकूप, जनपद फर्रुखाबाद में यांत्रिक व विद्युत दोष से बन्द हैं, उनमें कोई नलकूप वर्षों से खराब नहीं है।

इनके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित 52 नलकूपों से भी सिंचाई सुविधा शीघ्र उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में वर्ष 85–86 में पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद

11–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में धान की वसूली 85-86 में कितनी हुई तथा पिछले वर्ष के अनुपात में यह कितनी है?

श्री हुकुम सिंह–

इस वर्ष 85-86 में प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 4 मार्च, 1986 तक कुल 97,447 मी0 टन धान की वसूली (खरीद) हुई है जबकि गत वर्ष इसी दिनांक तक केवल 43,499 मी0 टन ही धान खरीदा गया था। इस प्रकार इस वर्ष की खरीद गत वर्ष की तुलना में दुगुनी से अधिक है।

## जनपद उन्नाव में थोक लाइसेन्सियों को कोयले का आवंटन

12–श्री राम सरन–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में वर्ष 83-84 व 84-85 में कोयले के थोक लाइसेन्सियों को कितना-कितना कोयले का आवंटन किया गया? जिन लाइसेन्सियों को कोयले का आवंटन नहीं हुआ है तो क्यों तथा उन्हें वर्ष 86 में कोयले का आवंटन करायेंगे? यदि हां, तो कितना?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 83-84 व 84-85 में जनपद उन्नाव के कोयले के विभिन्न थोक लाइ-

सेन्सियों को स्पान्सर की गई कोयले की मात्रा के संबंध में सूचना संलग्न है।

निम्नलिखित तीन लाइसेन्सियों को, उ0 प्र0 सेल्स टैक्स व सेन्ट्रल सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन न होने के कारण, कोयले का आवंटन नहीं किया गया :–

(1) मे0 उन्नाव कोल एजेन्सी ककरारी।

(2) मे0 गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, उन्नाव।

(3) मै0 हसन एण्ड कम्पनी, उन्नाव।

इन तीन लाइसेन्सियों में से नम्बर (1) पर मे0 उन्नाव कोल एजेन्सी, ककरारी, को छोड़ कर शेष दोनों लाइसेन्सियों ने वर्ष 85 हेतु अपने लाइसेन्सों का नवीनीकरण नहीं कराया था। अतः उनके लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये हैं। जहां तक मेसर्स उन्नाव कोल एजेन्सी, ककरारी का सम्बन्ध है, यदि इस फर्म ने वर्ष 1985-86 में यू0 पी0 एस0 टी0 तथा सी0 एस0 टी0 का नम्बर प्राप्त कर लिया तथा जनपद के भट्ठे वालों की कोयले हेतु मांग हुई तो मांग के आधार पर इस फर्म के नाम कोयले की स्पांसरिंग किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 128 पर)।

**उप श्रम आयुक्त उ0 प्र0 वाराणसी द्वारा श्रमिकों के धन का भुगतान**

13–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 इलाहाबाद के अ0 प0 सं0 9208 दि0 7-6-85 के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त उ0 प्र0 वाराणसी को प्रेषित किया गया है, के अनुसार क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, उ0 प्र0, वाराणसी ने सम्बन्धित श्रमिकों को धन का भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

उप श्रमायुक्त, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत वाद में निहित धनराशि का भुगतान उन्हीं के द्वारा किये जाने हेतु संदर्भित बैंक ड्राफ्ट उप श्रमायुक्त वाराणसी द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया है।

14–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[दिनांक 10-3-86 को अता0 प्र0 सं0 116 द्वारा उत्तरित]

15–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

**जनपद बस्ती में धुरापाली बांध पर हुई अनियमितता की जांच की कार्यवाही**

16–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में धुरापाली बंधे पर हुई अनियमितता के संबंध में चल रही जांच में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जनपद में धुरापाली नाम का कोई बांध नहीं है। धुरापाली ग्राम से 3 कि0 मी0 दूर करमैनी बेलौली बांध है जो अगस्त 1984 की बाढ़ में लगभग 180 मीटर की लम्बाई में ग्राम बेलौली के पास कट गया था जिसकी मरम्मत का कार्य 1984-85 में कराया गया था। इन कार्यों में हुई अनियमितता की

जांच एक समिति द्वारा मई, 1985 से की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**जनपद बस्ती के कतिपय गांवों में नलकूपों की नालियों का निर्माण**

17—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के खलीलाबाद उप खण्ड प्रथम के ग्राम खसरुकलां व मुडिला खुर्द, बभनी, कुंडी मनमन व बस्ता में तीन वर्ष पूर्व बनाये गये, सरकारी नलकूपों की पक्की नालियों का निर्माण किन परिस्थितियों में अब तक नहीं किया गया? निकट भविष्य में कब तक होने की सम्भावना है? दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पक्की नालियों का निर्माण कार्य नलकूपों के निर्माण के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर किया जाता है। जनपद बस्ती के खलीलाबाद उपखण्ड प्रथम के ग्राम खसरुकलां व मुडिला खुर्द में स्थित नलकूपों पर क्रमशः 0.40 कि0 मी0 एवं 0.12 कि0 मी0 पक्की गूल बनी है। ग्राम बभनी एवं कुड़ी मनमन में स्थित नलकूप का निर्माण नलकूप निगम द्वारा किया गया है। उक्त दोनों नलकूप माह मार्च, 1985 में सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित होकर आये हैं। नलकूप ग्राम बभनी पर पाइप लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कुड़ी मनमन पर पाइप लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ग्राम खुसरुकलां व मुड़िला खुर्द में स्थित नलकूपों पर पक्की नाली बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती में कतिपय पुराने नलकूपों के गूलों की मरम्मत**

18—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के खलीलाबाद उप खण्ड प्रथम के पुराने नलकूपों की पक्की गूल की मरम्मत बार-बार शिकायत करने पर किन परिस्थितियों में नहीं किया जा रहा है एवं कब तक हो जाने की आशा है? दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुराने नलकूपों की पक्की गूलों की मरम्मत नलकूपों के अनुरक्षण के अन्तर्गत उपलब्ध धन के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर एवं अत्यन्त आवश्यक स्थल पर सिंचाई के हित में की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र मेहदावल, बस्ती में ताल बड़ाछ से जल निकासी एवं चोरमा नाले की सफाई**

19—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में ताल बड़ाछ (बखिरा झील) से जल भराव के पानी के निकासी का कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया? दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो आखिर क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ताल बड़ाछ (बखिरा झील) से जल जमाव की समस्या के निदान के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की 79वीं बैठक, जो दिनांक 3 व 4 जनवरी,

1986 को हुई थी, में तीन योजनायें स्वीकृत हुई थी इनमें से बन्धे बनाने की दो योजनाओं पर कार्य माह फरवरी, 1986 में प्रारम्भ कर दिया गया है एवं नाले के पुनरोद्धार की योजना पर धन आवंटन के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः शेष भाग प्रश्न नहीं उठता।

20—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में ताल बड़ाछ (बखिरा झील) के जल जमाव के निकासी के संबंध में चोरमा (घयूहा) नाला में झेंका हटाने तथा चोरमा (घयूहा) नाला को चौड़ा एवं गहरा कराने का कार्य किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों? क्या इससे संबंधित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो आखिर क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ताल बड़ाछ (बखिरा झील) के जल जमाव के निकासी के संबंध में चोरमा नाले में झेंका हटाने, उसको चौड़ा व गहरा करने का कोई कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया बल्कि जल निकासी ठीक प्रकार से होने के लिए नाले को सही तल में लाने हेतु सर्वेक्षण के उपरान्त योजना बनाई गई जो तकनीकी सलाहकार समिति की 79वीं बैठक दिनांक 3 व 4 जनवरी, 1986 को 12.77 लाख रुपये की स्वीकृत हुई है। जिसके अन्तर्गत धन आवंटन उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

**सरयू नहर खंड, बस्ती को तोड़ने की कार्यवाही तथा अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति**

21—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के सरयू नहर खण्ड द्वितीय बस्ती को उच्चाधिकारियों द्वारा बिना कार्य पूरा हुए ही तोड़ने की कार्यवाही किये जाने का कारण क्या है? उस खण्ड में माह 4/85 से किसी अधिशासी अभियन्ता को क्यों नहीं पदस्थापित किया गया तथा दोहरे कार्यभार के अन्तर्गत खंड को चलाया जा रहा है जिससे कार्य बाधित है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन ने सरयू नहर खण्ड द्वितीय, बस्ती को तोड़े जाने के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

विभाग में जून, 1985 में लगभग 35 अधिशासी अभियन्ताओं की कमी थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में, वरिष्ठता से सम्बन्धित चल रहे संवैधानिक विवाद के कारण, सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप, उक्त खण्ड में स्वतंत्र रूप से किसी अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

22—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**ब्लाक हिलौली, उन्नाव के कतिपय नलकूपों को ठीक कराने विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

23—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के ब्लाक हिलौली के ग्राम संदाना के ट्यूबवेल नं0-6 एवं बखतउरी खेड़ा का नलकूप ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिसम्बर, 85 के अन्तिम सप्ताह में मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित नलकूप इस समय चालू दशा में है।

**सिंचाई विभाग में समयबद्ध वेतनमान दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 18-12-85 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला? यदि हां, तो उस संदर्भित विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में विभिन्न स्तरों से सूचना एकत्र की जा रही है, जिसके प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**स्व0 अरुण चन्द्र सिंह, कूप चालक, शाहजहांपुर की पत्नी को मृतक के फंड आदि एरियर्स का भुगतान**

25—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरुण चन्द्र सिंह (स्वर्गीय) की मृत्यु 2-4-84 को उनकी सेवाकाल में हो गई थी जब कि वह उस समय कूप नं0 35 शाहजहांपुर में ट्यूबवेल आपरेटर थे? क्या उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा श्रीमती राजवती को अब तक मृतक का जीवन बीमा, फंड, पेंशन, एरियर, मेडिकल वेतन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त भुगतान क्या सरकार शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

कूप चालक स्व0 श्री अरुण चन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती राजवती को पेंशन, एरियर, ग्रेच्युटी एवं मृत्यु के दिनांक का अवशेष उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया है। अन्य देयों के यथाशीघ्र भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद बस्ती में निर्धारित लक्ष्य पूरा कर चुके नलकूपों का पुनर्छिद्रण**

26—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कुल कितने नलकूप निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा समय से चल चुके हैं? जो नलकूप अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं और जिनकी सिंचाई की क्षमता घट गयी है क्या उन नलकूपों की पुनः बोरिंग कराकर सिंचाई क्षमता बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले में 272 नलकूप निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा समय से चल चुके हैं।

जी हां ।

वर्तमान में बस्ती जिले में 5 नलकूपों का निकास पुनः निर्माण के मापदण्ड से कम है । तीन नलकूपों का छिद्रण हो चुका है तथा दो निर्माणाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री विशम्भर सिंह, अ0 अभियंता, मध्य गंगा नहर नि0 ख0–10 द्वारा की गयी अनियमितता की जांच**

27–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशम्भर सिंह ने अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-10 बुलंदशहर के पद पर कार्य करते हुये रेग्युलेटर के अनुबंध संख्या 6/अ0 अ0/81-82 में जालसाजी करके सी0 सी0 का आर0 सी0 सी0 बनाकर ठेकेदार को रुपया 38,324 का अधिक भुगतान करने के संबंध में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा शासन को जून, 1984 में सूचना दिये जाने पर दोषी व्यक्ति को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री विशम्भर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता प्रभारी मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर ने लखावटी शाखा के कि0 मी0-13-700 पर क्रास रेगुलेटर के निर्माण करने हेतु अनुबंध संख्या-6/अ0 अ0/81-82 दिनांक 10-12-81 को किया था । इस अनुबंध में सी0 सी0 का आर0 सी0 सी0 बनाने के संबंध में संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच की गई थी । प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ के अनुसार सी0 सी0-1:3:6 के आइटम के साथ "आर" लिखकर आर0 सी0 सी0 1:3:6 अनुबंध बनाने के पूर्व लेकिन टेंडर प्राप्त होने के बाद बनाया गया है। इस अनियमितता के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जांच विभाग द्वारा की जा रही है । रुपया 38,324 का जो अधिक भुगतान ठेकेदार को हुआ था, उसकी वसूली की जा चुकी है ।

**प्रदेश में अस्थाई आबकारी उपनिरीक्षकों की प्रोन्नति**

28–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उप आबकारी निरीक्षकों के 59 स्थान स्वीकृत हैं जिनको प्रोन्नत कर, आबकारी निरीक्षक बना दिया गया है और स्थान पूरा न होने पर 10 अस्थायी उप निरीक्षकों को भी प्रोन्नत कर, निरीक्षक बना दिया गया है ? यदि हां, तो स्थान रहते हुये भी 27 अवशेष अस्थाई उप निरीक्षकों को प्रोन्नति न किये जाने का कारण क्या है और प्रोन्नति कब तक हो जायेंगे ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विभाग में उप आबकारी निरीक्षकों के कुल 59 स्थायी पद स्वीकृत हैं, इनमें से समय-समय पर 53 स्थायी उप आबकारी निरीक्षकों को तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर आबकारी निरीक्षक बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त 8 अस्थायी उप आबकारी निरीक्षकों को भी तदर्थ रूप से प्रोन्नत कर निरीक्षक बनाया गया है ।

उप आबकारी निरीक्षकों में से आबकारी निरीक्षक संवर्ग में 10 प्रतिशत का निर्धारित प्रोन्नति का आरक्षण कोटा पहले

से ही पूर्ण है, अतः जब तक प्रोन्नति के आरक्षण कोटे में और रिक्तियां उपलब्ध न हों, तब तक किसी और उप आबकारी निरीक्षक को प्रोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ में फैक्ट्रियों से खरीदे गये सीमेंट का आवंटन**

29—श्री श्रीप्रकाश सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विगत तीन माह में कितना सीमेन्ट आवंटित किया गया तथा कितना सीमेंट फैक्टरियों से खरीद किया गया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

लेवी सीमेंट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक किया जाता है। विगत द्वितीय व तृतीय त्रैमास, 1985 में जनपद आजमगढ़ को लेवी सीमेंट आवंटन एवं फैक्ट्रियों से प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्नवत् प्रकार से है :—

(मात्रा मी0 टनों में)

| आवंटन | त्रैमास | फैक्ट्रियों से कुल प्राप्ति |
|---|---|---|
| 2500 | द्वितीय | 2249 |
| 3000 | तृतीय | 1166.75 |

2—चतुर्थ त्रैमास 1985 के लिए जनपद को 2200 मी0 टन का लेवी सीमेंट आवंटन किया गया है जिसके विरुद्ध 550 मी0 टन अब तक प्राप्त हो चुका है।

अवशेष की उठान जारी है।

30—श्री मैनेजर सिंह तथा
श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—
[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

**सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर की मरम्मत में गड़बड़ी के संबंध में जांच करने वाले प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही**

31—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा सहायक की सुल्तानपुर नहर में ता0 13-9-82 को कटिंग हो गयी थी जिसकी मरम्मत हुई थी, नहर ता0 12-10-82 को पुनः टूट गयी ? प्रमुख अभियन्ता ने अपनी जांच रपट विभाग को ता0 31-1-83 को दे दी थी ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता ने अपनी जांच रपट में क्या पाया ? क्या अभियन्ताओं को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध ता0 15-12-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब की जायेगी ? ये दोषी अभियन्ता कब- कब सेवा निवृत्त होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रमुख अभियंता की रिपोर्ट दिनांक 29-1-1983 शासन में दिनांक 31-1-1983 को प्राप्त हुई थी जिसमें जहां एक ओर संबंधित अभिशासी अभियंता को कटिंग की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को तत्परता से न देने, कटिंग की सूचना पाते ही नहर को तुरन्त बन्द न कराने तथा उसकी मरम्मत कराने में लापरवाही बरतने का दोषी बताया गया, वहीं दूसरी ओर संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता को भी विवेकपूर्ण निर्णय न लेने का दोषी बताया गया।

जी हां।

अधिशासी अभियंता की शासनादेश दिनांक 22-3-1983 द्वारा निलम्बित किया गया । निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7-4-1983 द्वारा निलम्बन आदेश स्थगित कर दिया । सम्प्रति ये अकार्यकारी पद पर तैनात हैं ।

अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता का स्पष्टीकरण सितम्बर, 1983 में प्राप्त कर लिया गया था परन्तु चूंकि मुख्य रूप से उत्तरदायी अधिकारी (अधिशासी अभियंता) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी प्रचलित है, अतः उच्चाधिकारियों के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका है।

संबंधित अधिकारियों में से श्री एस0 पी0 बहादुर, तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनांक 31-8-84 को सेवा निवृत्त हो गये हैं जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता श्री उमा शंकर लखटकिया एवं अधिशासी अभियंता श्री मधुर कुमार क्रमशः दिनांक 31-7-90 तथा दिनांक 31-5-2001 को सेवा निवृत्त होंगे ।

**नहर विभाग में नहर व नालों की सफाई हेतु नये प्रस्तावित रेट देने पर विचार**

32—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नहर विभाग में नहर व नालों की सफाई के लिये 1972 में प्रस्तावित रेट पर ही कार्य कराया जा रहा है जबकि आज मजदूरी के रेट महंगाई के कारण बहुत बढ़ गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार 1985 में जो संशोधित सफाई के लिए रेट प्रस्तावित हैं, दिलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग की नहरों एवं संबंधित कार्यों के रख-रखाव, जिसमें उनकी सफाई भी सम्मिलित है, के लिये धनराशि का अनुमान उनके सामान्य आगणनों पर आधारित होता है। वर्ष 1970-71 की दरों के आधार पर पिछली बार यह आगणन स्वीकृत किये गये थे। तब से विभिन्न विकासशील कार्यों योजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में नहरों एवं संबंधित कार्यों के रख-रखाव हेतु गत वर्षों में वार्षिक आवंटित धनराशि में यथासम्भव उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती रही है।

वर्ष 1986-87 में सामान्य रखरखाव की मद में पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक धन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

**जनपद मथुरा में नहरों, रजबहों और माइनरों की सफाई का विवरण**

33—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मथुरा जनपद में नहरों, सभी रजबहों व माइनरों की सफाई की गई है? यदि हां, तो किस-किस माइनर, राजबहों व मुख्य कैनाल की सफाई की गई? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गत वर्ष 1984-85 में मथुरा जनपद की नहरों की आवश्यकतानुसार सफाई कराई गई।

विवरण उपलब्ध कराने में काफी श्रम निहित है तथा समय भी लगेगा। विवरण की एक प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करा दी गयी है जिसे माननीय सदस्य जब चाहें देख सकते हैं।

34—श्री कुशल पाल सिंह—

[दिनांक 7-3-86 को अता प्र0 सं0 118 द्वारा उत्तरित]

**जनपद आजमगढ़ में कम्हरिया वाया खरिहानी नहर की खुदाई व ध्वस्त पुलिया के सम्बन्ध में जांच**

35—श्री श्रीप्रकाश सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कम्हरिया वाया खरिहानी पर निर्मित नहर की खुदाई अभी तक नहीं हुई और खरिहानी वाया चिरैया कोट सड़क पर खरिहानी बाजार में बनी हुई पुलिया ध्वस्त हो गयी है जो एक वर्ष पूर्व बनी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन कम्हरिया राजबाहा 24 कि0मी0 लम्बी स्वीकृत है, जिसमें से 22 कि0मी0 तक लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया जा चुका है। शेष भूमि के अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में है।

इस राजबाहा के 13 कि0मी0 पर एक पी0आर0टी0 वर्ष 1979-80 में निर्मित की गयी थी, जिसके तीन स्पैन में से बीच का एक स्लैब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। मामले में आवश्यक जांच की जा रही है, तत्पश्चात् ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

**गंडक नहर निर्माण मंडल-3 गोरखपुर में अनुसूचित जाति के सिंच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

36—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर निर्माण मंडल-3 गोरखपुर के सिंचाई खंड प्रथम, देवरिया में 42 सिंच पर्यवेक्षकों में सिर्फ 3 सिंच पर्यवेक्षक ही अनुसूचित जाति के नियुक्त किये गये हैं जबकि शासनादेश के अनुसार 7 होना चाहिए? यदि हां, तो क्या बाकी 4 जगहों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी रखे जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों की पदोन्नति**

37—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में वर्ष 1978 से कितने जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति सहायक इंजीनियर के पद पर 30 दिसम्बर, 85 तक हुई है तथा उक्त पदोन्नतियों में कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों की पदोन्नति दी गयी है? क्या अनुसूचित जाति के सदस्यों की पदोन्नति निर्धारित आरक्षित कोटे के मुताबिक की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1978 से 30 दिसम्बर, 1985 तक 411 अवर अभियंता सिविल तथा 136 अवर अभियंता यांत्रिक, सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत किये गए। इनमें से अनुसूचित जाति के 29 अवर अभियंता सिविल तथा 18 अवर अभियंता यांत्रिक प्रोन्नत किये गये। सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति के अवर अभियंता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने तथा कुछ अभ्यर्थी अनुपयुक्त पाये जाने के कारण और प्रोन्नति नहीं की जा सकी।

38—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7 वें बुधवार में अता0प्र0सं0 110 के अंतर्गत पुनः निर्धारित]

**खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कतिपय पदों हेतु परीक्षा न आयोजित करने का कारण एवं पोस्टल आर्डरों की वापसी**

39—डाक्टर मोहम्मद उमर—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1985 में खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के तृतीय श्रेणी के कुछ पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन किया गया था जिसमें दस रुपये के पोस्टल आर्डर भी आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक परीक्षा न आयोजित किये जाने का क्या कारण है तथा सभी अभ्यर्थियों को उनके पोस्टल आर्डर के धन वापस कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

इन पदों पर परीक्षा इसलिए आयोजित न की जा सकी क्योंकि शासन द्वारा यह पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। पोस्टल आर्डर का धन वापस किया जा रहा है।

**जनपद लखनऊ में अवैध देशी शराब के व्यापार को रोकने के लिए उठाये गये कदम**

40—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 618 दि0 28-12-85 लखनऊ में अवैध देशी शराब के बारे में मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को मिला है? यदि हां, तो अवैध देशी शराब के व्यापार को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 27-12-85 प्राप्त हुआ है। अवैध देशी शराब के व्यापार को रोकने के लिये शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। वर्ष 1985 में लखनऊ जनपद में अवैध मद्य निष्कर्षण के 87 मामले पकड़े गये। वर्ष 1985-86 से देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञप्तियों के लिये न्यूनतम कोटा प्रणाली लागू की गई है।

**जिला पूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा जारी किये गये लेवी सीमेंट के परमिट**

41—श्री भगौती सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के अतिरिक्त जिला अधिकारी आपूर्ति तथा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 1-1-81 से 31-12-83 तक कितने भवन बनाने वालों को एक महीने में दो-दो बार 100-100 बोरी लेवी की सीमेंट के परमिट प्रदान किये गये उनके नाम पते क्या हैं? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन लोग हैं और उनके पद क्या हैं जिनको नक्शे अस्वीकृत होते हुए एक साथ 500 बोरी या इससे अधिक भी सीमेंट के परमिट दिये गये?

श्री हुकुम सिंह—

गाजियाबाद के अतिरिक्त जिला अधिकारी (आपूर्ति) तथा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-81 से 31-12-83 तक कुल 12 भवन बनाने वालों को एक महीने में दो-दो बार 100-100 बोरी लेवी सीमेंट के परमिट जारी किये गये जिनके नाम व पते संलग्न सूची में अंकित हैं।

2—अस्वीकृत नक्शों पर एक साथ 500 बोरी या उससे अधिक मात्रा में सीमेंट के परमिट जारी नहीं किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 129 पर)

**अधिशासी अभियन्ता, सरजू नहर योजना, बस्ती क्षेत्र के कार्यालय के स्थानान्तरण की कार्यवाही**

42—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरजू नहर योजना का बस्ती जिले के कार्यक्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता अपना कार्यालय फैजाबाद जिले में बनाकर रह रहे हैं जबकि उनका कार्यक्षेत्र बस्ती जिला है और नेपाल की सीमा के किसानों को फैजाबाद अपनी समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता ने फैजाबाद से कार्यालय उठाकर बस्ती में करने के लिए दिसम्बर, 85 को सचिव, सिंचाई विभाग को पत्र लिखा है? यदि हां, तो अब तक बस्ती जिले का कार्यालय फैजाबाद जिले से उठाकर बस्ती लाने में क्या कठिनाई है? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अयोध्या पम्प नहर के निर्माण से संबंधित एक अधिशासी अभियन्ता एवं तीन सहायक अभियन्ताओं का कार्यालय फैजाबाद में है। इन अभियन्ताओं का कार्यक्षेत्र, जनपद बस्ती की फैजाबाद से मिली तहसील हर्रैया के मनवर-घाघरा दो-आब में सीमित है। अतः नेपाल की सीमा के किसानों को फैजाबाद खण्ड में आने का प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय सदस्य का जो पत्र दिसम्बर, 1985 में सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ था, उसे सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिया गया था। वर्णित स्थिति में, उपरोक्त अधिकारियों का मुख्यालय फैजाबाद में ही रहना जनहित में उचित समझा गया है।

**सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों पर अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति**

43—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ता (मेकेनिकल तथा सिविल) के पद स्वीकृत हैं, कितने पद दोनों के रिक्त हैं? क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का विचार कर रही है? क्या यह भी सही है कि विभाग में कितने ऐसे अवर अभियन्ता कार्यरत हैं व वरिष्ठता के आधार पर सहायक अभियन्ता से अधिक वेतन पा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल 635 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 163 पद रिक्त हैं। सहायक अभियन्ता (सिविल) के 2055 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 260 पद रिक्त हैं। वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा रहा है। विभाग में ऐसे वरिष्ठ अवर अभियन्ता कार्यरत हैं जो सहायक अभियन्ता के प्रारम्भिक स्तर से अधिक वेतन पा रहे हैं लेकिन उनकी पदोन्नति पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु प्रतिभाग (कोटा) निर्धारित है। प्रतिभाग के अनुसार प्रोन्नति की जा चुकी है अतः वर्तमान में प्रोन्नति पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद लखनऊ के कतिपय विकास खण्डों में राजकीय एवं विश्व बैंक द्वारा निर्मित नलकूपों की नालियों की मरम्मत व निर्माण**

44—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के वि0 खं0 बख्शी तालाब और चिनहट में राजकीय नलकूप और विश्व बैंक के नलकूपों की संख्या कितनी है उनमें से कितने नलकूपों में पक्की नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है और कितनों में नालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नलकूपों की नालियां कब तक मुकम्मल हो जायेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड बख्शी तालाब तथा चिनहट में राजकीय नलकूप और विश्व बैंक के नलकूपों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| विकास खण्ड का नाम | नलकूपों की संख्या | विश्व बैंक के नलकूपों की संख्या | योग |
|---|---|---|---|
| बख्शी तालाब | 56 | 32 | 88 |
| चिनहट | 49 | 8 | 57 |

बख्शी तालाद के अन्तर्गत 56 नलकूपों में से 15 नलकूपों की पक्की गूलों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड (1·6 कि0मी0) के अनुसार नहीं हो पाया है तथा ब्लाक चिनहट के अन्तर्गत 49 नलकूपों में से 8 नलकूपों की पक्की गूलों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं हो पाया है। विश्व बैंक नलकूपों पर पक्की नालियों के स्थान पर भूमिगत पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन बिछाई जाती है। उपरोक्त समस्त विश्व बैंक नलकूपों पर प्राविधान के अनुसार पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है तथा कोई पाइप लाइन क्षतिग्रस्त नहीं है। बख्शी के तालाब के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नालियों के राजकीय नलकूपों की संख्या 35 है तथा ब्लाक चिनहट के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नालियों के राजकीय नलकूपों की संख्या 44 है। इन सबकी पक्की नालियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत प्रति वर्ष प्राप्त धनराशि के आवंटन के अनुसार की जाती है।

**नलकूप नं0 80 एम0 जी0 ब्लाक जामो, सुल्तानपुर के आपरेटर के विरुद्ध शिकायतें व कार्यवाही**

45—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नम्बर 80 एम0 जी0 ब्लाक जामो, तह0 गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर के आपरेटर द्वारा किसानों से पैसा लेकर सिंचाई कम और ज्यादा लिखने की कोई शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की गई है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की [illegible] यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कथित शिकायत के बारे में जांच करायी गयी जिसमें आरोप निराधार पाये गये।

अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

46—श्री राम लाल—

[6वें सुरक्षार में अता0 प्र0 सं0 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बस्ती में केवनइया नाले पर रेगुलेटर लगाने विषयक कतिपय लोगों के आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही**

47—श्री धनराज यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के खंड वि0 क्षे0 हर्रैया बाजार के अन्तर्गत ग्राम गोंई बसन्तपुर के निकट केवनइया नाला के उद्गम स्थान (कुआनो नदी) पर शासन द्वारा रेगुलेटर निर्मित कराने हेतु मा0 डा0 चन्द्रशेखर त्रिपाठी, एम0 पी0, माननीय गेंदा देवी विधायक, श्री मत्सेन्द्रनाथ उपाध्याय, अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी (ई0) ब्लाक हर्रैया बाजार (बस्ती) तथा उक्त ग्रामों के ग्रामीण कृषकगण का आवेदन पत्र सन् 1985 ई0 के सितम्बर व अक्टूबर महीने में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। इन पत्रों में केवनइया नाले के कुआनों नदी के मिलने के स्थान के समीप रेगुलेटर के निर्माण की बात कही गयी है जिससे कि पत्र में वर्णित ग्रामों की कुआनों नदी के बाढ़ के पानी से सुरक्षा की जा सके। इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के निदान हेतु केवनइया नाले पर एक रेगुलेटर एवं केवनइया नाले व कुआनों नदी पर बांध बनाये जाने हेतु योजना विचाराधीन है।

**श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, स0 अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-14 के अधीन कार्य करने वाले ठेकेदारों के नाम व पते की जांच**

48—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियंता, मध्य गंगा निर्माण खंड-14 जो सन् 80 से बुलन्दशहर में तीन भिन्न-भिन्न खण्डों में कार्यरत रहे हैं, जहां भी जाते हैं बिलासपुर, जिला बुलन्दशहर के ठेकेदारों से अलग-अलग नामों से कार्य कराते हैं तथा उन ठेकेदारों के यह पते भी बदलवा देते हैं? यदि हां, तो उन ठेकेदारों के नाम पतों की जांच करवाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा परियोजना में अक्टूबर, 1980 से आज तक बुलन्दशहर के तीन विभिन्न खण्डों में कार्यरत रहे हैं। अभिलेखों से ऐसा ज्ञात नहीं होता है कि श्री गोयल जहां भी जाते हैं, बिलासपुर ग्राम, जिला बुलन्दशहर के ठेकेदारों से अलग-अलग नामों से कार्य कराते हैं तथा उन ठेकेदारों के पते भी बदलवा देते हैं। तथापि इस अवधि में जिन ठेकेदारों के माध्यम से इन्होंने कार्य कराया उनके नाम व पतों की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जा रही है।

49—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**ग्राम बैगांव, जनपद उन्नाव निवासी श्री बिन्दा प्रसाद हरिजन द्वारा खेत की सिंचाई हेतु नाली निकालने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

50—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा
श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील पूरवा के ग्राम बैगांव के निवासी श्री बिन्दा प्रसाद हरिजन के प्रार्थना-पत्र

जो अपने खेत की सिंचाई के लिए नाली निकलवाने के सम्बन्ध में है, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी विधायक की संस्तुति सहित जो मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र सं0 75 दिनांक 10-9-85 को भेजा था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। श्री बिन्दा प्रसाद हरिजन का प्रश्नगत प्रार्थना पत्र श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, विधायक की संस्तुति सहित माननीय सिंचाई मंत्री जी को सम्बोधित श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधी दल के पत्रांक 3094/ने0 वि0 दल/85, दिनांक 12-9-1985 द्वारा प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर श्री बिन्दा प्रसाद नाली चाहते हैं वहां पर चकबन्दी हो जाने के पश्चात कोई नाली नहीं थी किन्तु ग्राम प्रधान बेगांव के माध्यम से प्रश्नगत नाली की समस्या का समाधान करा दिया गया है तथा अब श्री बिन्दा प्रसाद को कोई आपत्ति नहीं है।

51–श्री राज किशोर सिंह–

[दिनांक 5-3-86 को अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

**बांध निर्माण खण्ड, आंबरा व नहर प्रखंड प्रथम गाजीपुर के स0 अभियंताओं की वरिष्ठता का निर्धारण**

52–श्री राज किशोर सिंह तथा
श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंबरा बांध निर्माण खण्ड आंबरा तथा देवकली पम्प नहर प्रखण्ड प्रथम गाजीपुर के सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति के उपरान्त शासनादेश सं0 जी0-2-1330/दस-302-78 दिनांक जुलाई 3, 1978 के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता तथा वेतन का निर्धारण अभी तक मुख्य अभियन्ता सिंचाई उ0प्र0 लखनऊ द्वारा क्यों नहीं किया गया? यह निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आंबरा बांध निर्माण खण्ड, आंबरा में एक मात्र श्री हूबलाल सिंह, सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) कार्यरत हैं जिनका वेतन निर्धारण हो चुका है। देवकली पम्प नहर प्रथम गाजीपुर में कोई प्रोन्नत सहायक अभियन्ता कार्यरत नहीं है। तदर्थ रूप से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता श्री हूबलाल सिंह का सहायक अभियन्ता पद पर अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन नहीं हुआ है, इसलिए इस स्थिति में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार, मथुरा की मृत्यु विषयक जांच रिपोर्ट**

53–श्री विजय सिंह राणा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार, कार्यालय, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, मथुरा की मृत्यु के संदर्भ में आपने अपने उत्तर में कहा है कि उसकी मृत्यु दिनांक 1-11-82 को प्रात: 9 बजे हुई थी जबकि झम्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 31-10-82 को होना बताया गया है? क्या इस संदर्भ में कोई जांच करायी गयी है, जिससे निश्चय हो सके कि उसकी मृत्यु 31-10-82 को हुई थी या 1-11-82 को? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस रिपोर्ट का तथ्यात्मक

आधार क्या है, यदि नहीं, तो जांच न कराने के कारण क्या है?

श्री हुकुम सिंह–

स्व0 श्री झम्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 31-10-82 को नहीं हुई बल्कि दिनांक 1-11-82 को प्रातः हुई। श्री झम्मन सिंह अधिव्ययता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31-10-82 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। वरिष्ठ हाट निरीक्षक, मथुरा ने दिनांक 31-10-82 के अपराह्न उन्हें कार्यमुक्त करने के आदेश उनके घर जाकर प्राप्त कराये जिसमें श्री झम्मन सिंह का प्राप्ति का निशानी अंगूठा अंकित है और इसे वरिष्ठ हाट निरीक्षक मथुरा द्वारा सत्यापित किया गया है। मामले की संभागीय विपणन अधिकारी से भी जांच कराई गई उससे भी स्पष्ट होता है कि श्री झम्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 1-11-82 को प्रातः हुई।

**कनहर सिंचाई परियोजना, मिर्जापुर के चालकों के स्थानान्तरण विषयक पत्र पर कार्यवाही**

54–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 का श्री नरेश चन्द्र जैन, मुख्य अभियन्ता स0 एवं सा0 प्रा0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। कथित पत्र में उल्लिखित फालतू वाहन चालकों के स्थानान्तरण आदेशों के बारे में पुनर्विचार किया गया। फलस्वरूप वर्तमान में दो वाहन चालक फालतू पाये गये। कार्य की आवश्यकता के अनुरूप इनके स्थानान्तरण की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

**बिन्दु खत्ता, लाल कुआं, नैनीताल में गोला नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7 स्वीकार की गयी हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हुई हैं, उनके नाम हैं– श्री काशी सिंह ऐरी, श्री अमीर आलम खां, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा, तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

बिन्दु खत्ता, लाल कुंआ, जनपद नैनीताल में बसे लगभग 233 परिवार 14 अक्टूबर, 1985 को गोला नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण पूरी तरह से बेघर-बार हो गये थे। तब से इन लोगों ने अपने पुनर्वास के लिए शासन से लगातार मांग की है, किन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आज वहां की स्थिति अत्यन्त भयानक व विस्फोटक है। सभी लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं और रोजी-रोटी को तरस रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के सम्मुख रखते हुये मांग करता हूं कि 233 परिवारों को भूख से मरने से बचाने हेतु उन्हें जेल कैम्प सितारगंज अथवा अन्यत्र पुनर्वासित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाय एवं उनके रोजी-रोटी की व्यवस्था तुरन्त की जाय।

**ग्राम पुरमाफी, थाना भिंभाना, मुजफ्फरनगर के श्री गुलेल हरिजन को असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अमीर आलम खां–

मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र थाना भवन मुजफ्फरनगर के ग्राम पुरमाफी थाना भिंभाना में गत दिनों (24 जनवरी, 1986) को एक हरिजन जिसका नाम श्री गुलेल है, की झोंपड़ी एवं मकान में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, के द्वारा आग लगा दी गयी, जिससे उस गरीब हरिजन को असीम क्षति हुई। यही नहीं उसकी पिटाई भी की गई। पुलिस में दफा 324, 325, 436, 147 एवं अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस घटना से क्षेत्र के हरिजनों एवं गरीबों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

**बांसी, मिठवल और खेसरहा विकास खण्ड, बस्ती में चूहों तथा पाले के प्रकोप से फसलों की बर्बादी से लगान माफ तथा क्षतिपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

बस्ती जिले के बांसी, मिठवल तथा खेसरहा विकास खण्डों के खेतों में बहुत बड़ी संख्या में चूहे पैदा हो गए हैं जो गेहूं की खड़ी फसल को काटकर गिरा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इस पूरे क्षेत्र में पाला पड़ने के कारण आलू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जो कि इस क्षेत्र में दलहन के रूप में प्रयोग में आती है और गेहूं की फसल को खराब होते देखकर भुखमरी के भावी संकट से जनता भयभीत है परन्तु यह स्थिति और भी दुःखदायी है कि कृषि रक्षा इकाई कान में तेल डाले बैठी है। कृषि रक्षा इकाई के कर्मचारियों का एक ही उत्तर है कि दवाई नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि बस्ती जिले के कृषि रक्षा इकाई के अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे इस क्षेत्र में गेहूं की फसल की रक्षा हेतु युद्ध स्तर पर निःशुल्क उक्त योजना लागू करें तथा शासन स्तर से तत्काल आवश्यक दवाइयों का प्रबन्ध किया जाये तथा गेहूं एवं आलू की क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति की जाए तथा लगान की माफी की घोषणा की जाय।

**टाउन एरिया गोसाईगंज, फैजाबाद के कर्मचारियों को अवशेष वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1985 से आज तक का वेतन नहीं मिला है। परिणामस्वरूप वहां के कर्मचारी परिवारों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गयी है और उनमें तीव्र क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है। वहां के स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके विरोध में और अपने संघ की 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिनांक 16 मार्च, 1986 से सभी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की नोटिस दी है। यदि कर्मचारियों को बकाया वेतन का तुरन्त भुगतान करके स्थिति पर नियंत्रण न किया गया तो समूचे कस्बे का जन-जीवन तथा व्यापार बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय को आपकी अनुमति से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार और शासन से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

**मुजफ्फरनगर में बिजली की आपूर्ति में कटौती से कृषकों एवं छात्रों में क्षोभ व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री हरेन्द्र सिंह–

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अत्यंत लोकमहत्व के विषय को लाना चाहता हूं। मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति पूर्णतया ठप्प हो गयी है। किसानों की फसलों में पानी न मिलने से त्राहि-त्राहि मची है। छात्र वर्ग भी परेशान है। दिन में केवल तीन-चार घण्टे बिजली आती है जिसका कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। परीक्षा-काल होने पर भी छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते। विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण जनता एवं जनप्रतिनिधियों में एवं अभिभावकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। यदि समय पर इस गम्भीर समस्या का निराकरण नहीं हो पाया तो जनता के असंतोष का ज्वालामुखी किसी भी क्षण फूट सकता है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

**लखनऊ, इटावा के कतिपय ब्लाकों के प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जनपद इटावा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना के विकास खण्ड महेबा, चकरनगर एवं भर्थना के अधिकांश प्राइमरी पाठशालाओं एवं माध्यमिक विद्यालयों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था है। स्कूल किसी भी समय गिर सकते हैं। पिछले दिनों बरसात के बाद विकास खण्ड महेबा में प्राइमरी पाठशाला गुलाबपुरा के भवन की पूरी छतें रात्रि के समय गिर गयी, यदि दिन का समय होता तो सैकड़ों छात्रों की जानें जा सकती थी। इसी प्रकार प्राइमरी पाठशाला लखना, पुराउली चकरनगर, नौगवां, बरेछा, कुनैठा, गुलालपुर व निवाड़ी कला, उरेंग आदि स्कूलों की हालत दयनीय हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्राइमरी पाठशाला गुलाबपुरा की इमारत अविलम्ब बनवाई जाय और अन्य की मरम्मत करा दी जाय।

**जनपद उन्नाव में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, उन्नाव जिले के जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में जिले के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वर्ष 1984-85 तथा 85-86

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के स्वीकृत कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं पुरवा ब्लाक की कोड़रा-नया गांव लिंक रोड एन0 आर0 ई0 पी0 में स्वीकृत थी मगर गत माह उसे न बनाने के निर्देश दिये गये हैं। दरहेटा टोपरा मार्ग बन गया था, इसका धन कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया है। गौरी, बेगी, भाटनखेड़ा आदि के पुल अधूरे पड़े हैं। जिले के अधिकारी जनबूझ कर एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों को नजर अन्दाज कर रहे हैं।

मुझसे हुई व्यक्तिगत वार्ता में जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि कार्यों को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, फिर भी कर दिया गया है। इस प्रकार सदन के एक सदस्य के साथ विश्वासघात किया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व की इन समस्याओं को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं।

श्री दीप नारायण–

हम लोगों की, सत्ता पक्ष के सदस्यों की एक भी सूचना नहीं ली गयी है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोगों की सूचनाएं नहीं स्वीकार की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शिव नारायण मिश्र की सूचना को स्वीकार किया है, उनको पुकारा, वह थे नहीं। आप बैठें।

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही, सत्यपाल सिंह, श्री प्रकाश, बाबू सिंह, शत्रुरुद्र प्रकाश और अशोक बाजपेयी की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री सूर्य प्रताप शाही की जो सूचना है वह प्राप्त हो चुकी थी, उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में, उससे सदन को 10.3.86 को अवगत करा दिया गया है, सत्यपाल सिंह की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आती ही नहीं है, श्री श्री प्रकाश जी की सूचना जो माननीय डा0 संजय सिंह ने कुछ गलत बयानी की है, तो वह विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता है, आप उसको उठावें तो मैं देखूंगा। श्री बाबू सिंह जी ने मुजफ्फरनगर में बिजली न आने की सूचना दी है, यह नियम 300 में नहीं आती है। माननीय शत्रुरुद्र प्रकाश जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में दिया है, उसमें उन्होंने कोई एलान नहीं किया है और श्री अशोक बाजपेयी जी ने जो सूचना दी है वह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिये मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

**बधुवन बाजार, आजमगढ़ को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†**

श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मधुवन बाजार, जिला आजमगढ़ को टाउन एरिया घोषित किये जाने विषयक श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। †छापी नहीं गयी।

राम प्यारे सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(मद सं0 8 पुकारे जाने पर )

**जिलाधिकारी, इटावा द्वारा श्री गया प्रसाद वर्मा, सदस्य विधान सभा को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना**

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, क्या आपने मद सं0 5 को छोड़ दिया है ? आज श्री गया प्रसाद वर्मा जी ने और मैंने एक विशेषाधिकार उल्लंघन की सूचना दी है, जिलाधिकारी इटावा के विरुद्ध । तो आप पहले श्री वर्मा को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

एक आदमी बोल ले ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पहले आप उन्हीं को सुन लें ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 9 मार्च को प्रातः 7 बजे मैंने जिलाधिकारी इटावा से टेलीफोन द्वारा समय चाहा क्षेत्र की समस्याओं के लिये, बात करने के लिये, तो जवाब मिला कि 7 बजे शाम को आयें और मैं सवा सात बजे उनके निवास पर गया जहां पर वह रोजाना लोगों से मिलते हैं। 8 बजे के करीब उन्होंने अपने चपरासी द्वारा सूचना भेजी कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, वह चाहें तो कल मिल लें, मैंने फिर कहा कि 10 मिनट के लिये मिल लें । कल सदन में जाना है, हम लोगों का सत्र चल रहा है, रात्रि में चला जाऊंगा । इस पर उन्होंने झुंझलाकर कहा कि आप नेता विरोधी दल, मुलायम सिंह द्वारा मेरे खिलाफ प्रश्न करवाते हैं, आप जैसे विधायक बहुत मिलते हैं। मान्यवर, सदन के नियमों के तहत ही मैं मिलने गया था और मैंने नियमों के तहत बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बेइज्जती की है । सारे लोग जो हमारे साथ थे, उनके मन में मेरे प्रति अनास्था की भावना पैदा हुई है कि इनकी बात जिलाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है । उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है और वहां पर उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। मेरी ही नहीं मेरे साथियों की भी बेइज्जती की है और उन्होंने अन्त में कहा कि जाओ जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैंने तुम्हारे जैसे विधायक बहुत देखें हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह नये विधायक हैं और आप भी अनुभव करते होंगे कि बहुत सीधे विधायक हैं । वह अपनी बात को पूरी तरह से, जो घटना उनके साथ हुई वह भी नहीं कह सके लेकिन जो भावना है उसको व्यक्त किया । मान्यवर, सवाल इस बात का है कि जिलाधिकारी इटावा के खिलाफ माननीय गया प्रसाद वर्मा ने कई मामले बयान देकर के और उनसे मिलकर और 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में भी जो उन्होंने जिले में गलत काम किये उसकी आलोचना की । एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि उद्धी एक गांव है वहां हरिजनों के मकान बनाने का सवाल था, 8 महीने से लगातार वहां ईंट पड़ी रही और उसमें से, आधे से ज्यादा ईंटें गायब हो गयी । इन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न उठाया था कि इनकी देखरेख में 8 महीने से हरिजनों के जो मकान बनने की बात है उसको क्यों नहीं बनवाया और वहां पर जो ईंट पड़ी हुई थी वह चोरी चली गयी या गायब कर दी गयी तो इसमें एक जांच समिति बनायी गयी जिसमें कांग्रेस पार्टी के एम0 पी0, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और गया प्रसाद वर्मा जी नियुक्ति किये गये, जांच के लिए। इसकी जांच हुई और जांच मौके पर सही पाई गयी। यह कलेक्टर साहब को बहुत बुरा लगा। जहां तक जिलों में ट्रान्सफरों की बात है उसमें कई बार हेराफेरी हुई। एक नाजिर श्री पान सिंह का 7 महीने में 9 बार ट्रान्सफर किया गया और एक अपनी ही जाति के क्लर्क को, नाजिर को ट्रान्सफर करके फिर रोका गया। मा0 गया प्रसाद वर्मा ने पब्लिकली फिर इसको कहा। 28 जनवरी को जब रास्ता रोको की बात आई तो कलेक्टर ने धमकी दी कि जो आन्दोलन में भाग लेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे 28 तारीख को गिरोहबन्द अध्यादेश के तहत, तो इन्होंने कहा कि आप गिरफ्तार भले ही करायें लेकिन मैं इसमें हिस्सा लूंगा। इस बात का भी उनको बुरा लगा। मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह से जो कराना हो करा लो। मान्यवर, मैंने रमेश सिंह की रायफल जमा कराने का मामला उठाया था और मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे पास रिकार्ड यह जो कार्यवाही है यह मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं उन्होंने कहा, मैंने जो भाषण यहां पर दिया "मैंने जिला प्रशासन से कहा, श्री गया प्रसाद वर्मा ने कहा, जो हमारे जिले के विधायक हैं, और तीन साल पहले सुनियोजित ढंग से इनकी रायफल जमा कराने के लिए गलत मुकदमें में फसाया और रायफल जमा करवा ली गयी यह मैंने आरोप लगाया है वहां के जिला प्रशासन पर जिसमें डी0 एम0 ने मुख्य रूप से रायफल जमा करायी और उनकी हत्या हुई। इसमें मैंने, गया प्रसाद जी का जिक्र किया था। उसके बाद हमने वहां के कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 ने कहा था कि उनके खिलाफ षड़-यन्त्र किया जा रहा है, और रायफल जमा कराने के पीछे एक गहरी साजिश है और उनकी हत्या की जा सकती है। तो मान्यवर, यह डी0 एम0 को पता चल गया था। मान्यवर, गया प्रसाद वर्मा को, पहले ये 7 बजे का टाइम देंगे और उसके बाद एक घंटा बैठाकर यह कहेंगे कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। जब नहीं मिलने के लिए कहा तो गया प्रसाद वर्मा जी ने एक चिट्ठी लिखी जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी इटावा आज शाम मैं 7.15 बजे पर जनता के कार्यों के लिए आपसे मिलने आया। आपने मुझे मिलने के लिए मना कर दिया और आपके इस व्यवहार को देखकर मैं वापस जा रहा हूं। आप यह चिट्ठा रिसीव कर लीजिए। कलेक्टर साहब ने झटके में आकर कहा कि लाइये कागज और कलेक्टर साहब ने खुद प्राप्ति के दस्त-खत कर दिये। तो इन्होंने लिखा है कि मैं वापस जा रहा हूं, आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है....

श्री अध्यक्ष–

आपने इसकी कापी मुझे नहीं दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि आपके इस व्यवहार को देखकर मैं

वापस जा रहा हूं । आप रिसीव कर लीजिये । और कलेक्टर साहब ने स्वयं रिसीव किया और कहा कि आप कर लीजिये जो आपको करना है, यह पत्र भी लीजिये । आप जैसे विधायकों को मैंने बहुत देखा है । वहां पर श्री जय दयाल प्रधान तथा राम नरेश यादव जी भी मौजूद थे । इसके अलावा 15/20 कार्यकर्ता भी वहां पर थे और उनके सामने माननीय सदस्य को अपमानित किया । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर घोषणा कर चुके हैं, उनके जमाने में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नियंत्रण कैसे बिगड़ता जा रहा है । जब से आप मुख्य मंत्री हुये हैं तब से प्रति महीने या 15 दिन के अन्दर विधायकों को अपमानित किया जा रहा है मैं मुझे ऐसा लगता है कि आई0 ए0 एस0 की जो लाबी है, वह मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने की योजना बना रही है, वे यह बात समझ नहीं पा रहे हैं । वरना आप नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वह भी आपकी घोषणाओं के बावजूद कि आप उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करेंगे ।

बनारस के विधायक के संबंध में आप यहां पर घोषणा कर चुके हैं कि अगर किसी विधायक के साथ किसी जिलाधिकारी अथवा कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया, उसे अपमानित किया तो उसके विरुद्ध हम सख्त कार्यवाही करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन विधायकों को अपमानित किया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई है तो क्यों नहीं की जा रही है ? आप मुझे बता दें । हम अपना आचरण कैसा करें ? आपका आचरण क्या है ? मैं मुख्य मंत्री जी से साफ कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, जो मैं सदन में बोलता हूं और जब भी बोलता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरी कोई बात असत्य नहीं होगी, विवादास्पद नहीं होगी । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो कि मैं यहां पर सत्य बोलता हूं तो यह बता दें, मैं आइन्दा कभी सदन में नहीं बोलूंगा । अगर आप लीडर आफ अपोजीशन की हैसियत से न, एक सदस्य की हैसियत से, एक चुने हुए प्रतिनिधि की हैसियत से हमारी बात पर विश्वास करते हों, तो जो हम कहते हैं उस पर अमल करें । अगर जिला कलेक्टर इटावा के बारे में हमारी बात असत्य निकले और आपको उस पर विश्वास न हो तो मैं आज से सदन में बोलना बन्द कर दूंगा । लेकिन अगर आप हमारी बात पर विश्वास रखते हों तो आप आदेश दीजिये कि इटावा के कलेक्टर को सदन के अन्दर बुलाया जाय और उसके बाद इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते तो साफ कह दीजिये कि मुलायम सिंह असत्य बोल रहे हैं । मैं आज से बोलना बन्द कर दूंगा । जब मुझ पर विश्वास नहीं किया जाता है तो मैं नहीं बोलूंगा और लोग बोल लेंगे । हमारी पार्टी, तमाम नेताओं ने और पूरे विपक्ष ने एक स्वर से एक-एक करके यह कहा था कि विधायकों का अपमान हो रहा है । लेकिन उसके बाद एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । क्यों नहीं की गई है ? यही मैं

पूछना चाहता हूं । यह बात कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस पर आप विशेष गौर कीजिये । आज पूरा सदन अपमानित हो रहा है। यह केवल गया प्रसाद वर्मा का ही सवाल नहीं है, इसमें लोक दल के, बी0 जे0 पी0 के, जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य हैं । कोई ऐसा विधायक नहीं है जो पूरे प्रदेश में अधिकारियों द्वारा अपमानित न किया जा रहा हो । इसकी कोई, सुनवाई नहीं हो रही है । इसमें आप हस्तक्षेप कीजिये । अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जायेगा तो हम सब लोग मिलकर यह फैसला करेंगे कि हम लोगों को यहां पर बोलने की जरूरत नहीं रह गई है ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, यहां पर एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया गया है । लेकिन कोई भी बात इस तरह की नहीं कही जा सकती जब अब आप उस विषय की सारी जानकारी न कर लें और उस सूचना की हमें भी जानकारी न हो जाय । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य का अपमान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर करता है तो हम मानते हैं कि नेता विरोधी दल की बात सही है । इस बात को हम देखेंगे । जो यह विशेषाधिकार का प्रश्न आपने उठाया है इसको देख लिया जायेगा । चूंकि जैसी कि बात कही जाती है, मैं यह प्रयास करूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य का अपमान न होने पाये । जो अधिकारी किसी माननीय सदस्य का अपमान करेगा उसकी छानबीन करके उसे गलत पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरी इस बात का जवाब देना चाहिये, जो मैंने आपको चिट्ठी पढ़ कर सुनाई उसकी नकल भी आपको भेज दूंगा और मुख्य मंत्री जी को भी दे दूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शांत हो जायं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह तो अपमानित होते रहते हैं । उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि आपके इस व्यवहार को देख कर मैं वापस जा रहा हूं, यह आखिरी वाक्य है इसी पर आपको मानना चाहिये कि व्यवहार गलत था, क्योंकि कलेक्टर ने उस पर दस्तखत कर दिये, इसमें माना है कि व्यवहार गलत कर दिया । अब कौन सी बात रह गयी ? कलेक्टर के दस्तखत हैं और यह कहा है कि आपने जो गलत व्यवहार किया उसके विरोध में वापस जा रहा हूं । झटक कर वह कागज वापस कर देते हैं । अब आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

(श्री कल्यान सिंह के खड़े होने पर) अब आपको कल्याण सिंह जी, क्या कहना है ?

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इस प्रकरण पर माननीय नेता सदन को भी सुना और माननीय नेता विरोधी दल को भी सुना। दोनों ओर से जो बातें कही गयीं उसमें मैं मात्र एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डी0 एम0 साहब से विधायक मिलने गये उन्हें मिलने से इन्कार कर दिया और उन्होंने पत्र लिखकर दिया कि आपने मिलने से इन्कार किया, दुर्व्यवहार किया, उसमें कलेक्टर ने हस्ताक्षर कर दिये। तो मान लिया कि दुर्व्यवहार किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि किसी भी माननीय सदस्य का कोई अधिकारी अपमान न करे, यह वह व्यवस्था करेंगे, उनकी इस व्यवस्था और आश्वासन के लिए हमारी ओर से धन्यवाद। अब वह कहते हैं कि इस प्रकरण की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि कि तथ्य क्या हैं? (व्यवधान) ठीक है जांच पड़ताल होनी चाहिये बिना जांच पड़ताल के किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिये यह मैं खुद कह रहा हूं। मेरा कहना केवल इतना है कि जांच पड़ताल कौन करेगा? कोई आफिसर करेगा तो उससे हम सहमत नहीं हैं। इसके लिए ही इस सदन की एक विशेषाधिकार समिति बनी हुई है कि इस प्रकार के प्रकरण जब कभी आयेंगे तो उसकी जांच विशेषाधिकार समिति करेगी। मेरा मात्र इतना निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारे प्रकरण की जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति को दे दें और उसका प्रतिवेदन आयेगा उसके हिसाब से सदन और आप निर्णय कर सकते हैं। यह स्पष्ट मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का है। मेरा केवल इतना आग्रह है कि यह विशेषाधिकार हनन का प्रत्यक्ष मामला है। माननीय नेता विरोधी-दल के तर्कों को माननीय नेता सदन ने स्वीकार किया है और कहा कि जांच पड़ताल करायेंगे। तो जांच पड़ताल के लिए जो सक्षम एजेंसी है वह इस सदन की विशेषाधिकार समिति है। उसे भेज दें बजाय किसी एक अधिकारी से जांच कराने के।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई प्रश्न नहीं है ?

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उसका हम स्वागत करते हैं। यह काम उनका है कि अपने प्रशासन तंत्र से कैसे काम करायें? लेकिन चूंकि यह मामला सदन के संज्ञान में आया है विशेषाधिकार के रूप में तो जैसा माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा कि यह मामला निश्चित रूप से विशेषाधिकार का है, एक निश्चित सूचना है। इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, तथ्य आपके सामने आ चुके हैं और तथ्य यह आये हैं जहां तक मैं समझ पाया हूं कि एक माननीय सदस्य जिलाधिकारी से मिलने गये और उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, उनको दिक्कत हुई उन्होंने लिख कर भेजा, लिखने के बाद उसकी कापी उन्होंने प्राप्त कर ली मान्यवर, इस संबंध में माननीय सदस्य का आशय है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है और इसकी सूचना आपको दी है। जो प्रक्रिया निर्धारित है कि सूचना मिलने के बाद, सदन के समक्ष घटना न हों, तो संबंधित व्यक्ति जो है उससे जानकारी करते हैं, उसके बाद में यदि आवश्यक समझें शिकायत करने वाले की बात सुनते हैं और यदि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तो विशेषाधिकार समिति को मामले को सुपुर्द करते हैं। तो मान्यवर, सामान्यतः यह प्रक्रिया चलती आ रही है उसके अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति से जानकारी कर ली जाये कि क्या है?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको अपना पक्ष रखने का मौका दें। मान्यवर, सूचना की जहां तक बात है और नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है और उनको जो पीड़ा हुई है, उसके सम्बन्ध में नेता सदन ने कहा है कि इसकी जांच करायेंगे। लेकिन आपको अधिकार है, नोटिस भेजेंगे, जवाब आयेगा और उसके बाद यदि किसी माननीय सदस्य का विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो इसको आप देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसी तरह की शिकायतें अक्सर आ रही हैं। हमको शिष्टाचार पर बल देना है और उस पर मजबूती से अड़ना है। आपने विशेषाधिकार की सूचना दी है, मैं, उसकी जानकारी विभाग से करके जो भी निर्णय होगा, वह दे दूंगा।

**जौनपुर में सम्भ्रांत नागरिकों की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य**

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-2-1986 को श्री विजय किशोर तिवारी, पुत्र श्री शिव कुमार तिवारी, निवासी ए-30/28 हनुमान फाटक, पीली कोठी, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतापगढ़ से वाराणसी अपनी गाड़ी सं0 यू0 एच0 जेड0 9401 से जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी मछली शहर से जौनपुर रोड पर लगभग 1 बजे दिन में ग्राम चक मुबारकपुर के सामने पहुंची तो वहां सड़क पर खड़े कुछ व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी के ऊपर ईंट, पत्थर फेंकना शुरु कर दिया जिसके फलस्वरूप गाड़ी का अगला शीशा टूट गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी। गाड़ी रोकने पर इन व्यक्तियों ने श्री विजय किशोर तिवारी व क्लीनर को गाड़ी से बाहर खींच कर लात एवं मुक्कों से मारने लगे। इसी बीच मछली शहर की पुलिस भी मौके पर आ गयी तथा श्री विजय किशोर तिवारी एवं उनके अन्यसाथियों ने पुलिस की सहायता से इन व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों ने अपना नाम (1) डा0 वसीउल हसन, पुत्र मोहम्मद हसन, (2) पंधारी यादव पुत्र बलदेव, (3) उमा शंकर पुत्र राम प्रसाद, (4) सूर्य मणि पुत्र राम कुमार, (5) राजेश पुत्र रामकरन, (6) रमाशंकर यादव पुत्र फौजदार यादव, (7) बंशराज पुत्र सीताराम, तथा (8) लाल बिहारी मौर्य पुत्र हुबई मौर्य बताये। वादी श्री विजय किशोर तिवारी की तहरीर के आधार पर थाना मछली शहर में मुकदमा अपराध संख्या 41/86 धारा-147/323/336/427/ भा0 दि0 वि0 पंजीकृत हुआ। उपरोक्त आठों व्यक्ति मौके पर बन्दी बनाये गये।

जांच से यह बात प्रमाणित नहीं हुई कि एस0 डी0 एम0 मछलीशहर तथा पुलिस ने दिनांक 26-2-86 को ग्राम चक-मुबारकपुर के निवासी श्री पन्धारी लाल के यहां से डा0 वसीउल हसन, उमाशंकर, लाल बिहारी मौर्य तथा पन्धारी लाल को गिरफ्तार किया। वास्तविकता यह है कि उपरोक्त घटना से सम्बन्धित सभी अभियुक्त दिनांक 26-2-1986 को मौके पर से गिरफ्तार किये गये।

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जांच से यह भी प्रमाणित नहीं हुआ कि एस0 डी0 एम0 मछलीशहर ने थाने में बैठकर अभियुक्तों को अप-शब्द कहे एवं पुलिस से पिटवाने की बात कही। थाने में उन्हें विद्युत के झटके दिये जाने की बात भी जांच से निराधार पायी गयी। इस घटना में अभियुक्त डा0 वसीउल हसन एवं अभियुक्त लाल बिहारी मौर्य का अपराधिक इतिहास भी है।

इस घटना से जनपद में किसी प्रकार का भय, रोष, क्षोभ अथवा आतंक व्याप्त नहीं है।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, वक्तव्य में यह सूचना दी गयी है कि वहां कोई आतंक और भय नहीं व्याप्त है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज ही वहां के लोग आये हैं जिन्होंने बताया है कि दो प्लाटून पी0 ए0 सी0 लगी है और वह कस्बे में परेड कर रही है और आने-जाने वाले लोगों को, जिन्होंने घटना को सुना है उनसे मिलने के लिये आने-जाने वालों से जांच पड़ताल की जा रही है और वहां पूरा आतंक फैला है। मेरी निश्चित जानकारी है, अभी सूचना मिली है, इसलिए मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 जांच करायें कि वहां आतंक है कि नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या सरकार को जानकारी है कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था इन्होंने 26 तारीख को जिनको जमानत पर रिहा किया गया, 27 तारीख को, उनका मेडिकल क्या कराया गया है यदि मेडिकल कराया गया है तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? और उसमें चोट के निशान पाये गये हैं? क्या इसकी आप जांच करायेंगे कि वह चोटें किस तरह लगी हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मामूली चोटें हैं, 3 4 मिली मीटर की चोटें हैं जो उनको पकड़ते समय खरोंच की हैं और कोई बात नहीं है।

श्री किशन लाल दिलेर–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने क्या उन चोटों को अपनी आंखों से देखा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, खुद देखने का प्रश्न ही नहीं होता है, रिपोर्ट है।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि "इस घटना में अभियुक्त डा0 वसीउल हसन एवं अभियुक्त लाल बिहारी मौर्य का अपराधिक इतिहास भी है।" तो क्या मंत्री जी अपने वक्तव्य के अनुरूप यह बताने की कृपा करेंगे कि इनका अपराधिक इतिहास क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

डा0 वसीउल हसन का एक अपराधिक इतिहास है, यह हिस्ट्री शीटर है और इनके खिलाफ धारा 395, 397 और 302 तथा लड़की भगाने के भी अपराध दर्ज हैं। दूसरे जो लाल बिहारी मौर्य हैं, इनको डकैती में सजा भी हो चुकी है. . . (व्यवधान)

(सर्व श्री पारस नाथ यादव, दीपचन्द्र सोनकर तथा मूलचन्द्र शोर करते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये तत्पश्चात् श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद ही चोटें मान, ली हैं, चोटें लगी हैं, तो उन लोगों ने अपने आप तो चोटें मारी नहीं होंगी . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की अपनी एक गरिमा है। मंत्रि परिषद् के सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन में गम्भीरता बनाए रखेंगे। यह बैठे-बैठे इस तरह से आरोप लगायेंगे, छींटाकशी करेंगे तो इससे सदन शान्ति-पूर्वक नहीं चलेगा। इस तरह की बात यह न करें कि अव्यवस्था पैदा हो जाए। यह परम्परा बहुत गलत है। यदि यह शुरु हो जाएगा तो हम भी आरोप लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जिन पर 395 का मुकदमा चला है। यहां पर बहुत से मंत्रिपरिषद् के सदस्य हैं, जिन पर 395 का मुकदमा चला है. . (व्यवधान)

श्री राम सरन–

हम लोग इस वक्तव्य से और इस तरह की बात से मुतमईन नहीं हैं। इस पर चर्चा कराइये और सी0 आई0 डी0 से जांच कराइये। ऐसे नहीं चलेगा। दरोगा के खिलाफ हमारा चार्ज है और दरोगा ही रिपोर्ट भेज रहा है, जिसे मंत्री जी ने पेश किया है, तो इसमें यकीन कैसे किया जा सकता है? यह तो यकीन कर रहे हैं, आप इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जब मंत्री जी ने पुलिस कस्टडी में होते हुए भी चोटें स्वीकार कर लीं। अब खरोचन हैं, यह हल्की हैं, बड़ी हैं या गम्भीर हैं, यह बात अलग है। जब मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और सारे सदस्यों की भावना उसके साथ है, तो आपको मान्यवर, इसे मान ही लेना चाहिए। किसी की भावना किसी को सजा दिलाने की नहीं है, केवल यह मांग करते हैं कि चर्चा करा लो और सी0 आई0 डी0 की जांच करा लो। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मामले को शान्त करने के लिए सी0 आई0 डी0 की जांच करा ली जाए। इसमें आपको क्या आपत्ति है? (व्यवधान) 395 का डकैत है तो मंत्रिपरिषद् में बहुत से ऐसे सदस्य बैठे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच करवा दीजिये। अगर जांच न करा सकें तो मान्यवर, इस पर चर्चा करायें, यह मेरी मांग है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मौके पर गिरफ्तारी की गयी है। यह लोग सजा याफ्ता, हिस्ट्रीशीटर हैं। मौके पर अरेस्ट हुये हैं। सी0 आई0 डी0 की जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(शोर)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, एक चीज देखनी पड़ती है, सी0 आई0 डी0 की जांच कराने में कोई दिक्कत होती है, लेकिन एक बात जरूर होती है कि जो कार्यवाही तुरन्त होनी चाहिए वह कार्यवाही रुक जाती है और विलम्ब होने से दिक्कत होती है। लकिन माननीय सदस्यों की जो भावना है तो सी0आई0 डी0 की जांच करा ली जायेगी।

(मद सं0 8 पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

(तेज स्वर में)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे कान खुले हैं अगर आप शांति से कहें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रश्न है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्रि परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है सदन के प्रति। गृह मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि जांच करा ली जायगी तो इससे संयुक्त जिम्मेदारी का हनन हुआ है। अगर एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरा मंत्री किसी सवाल पर मत-भेद नहीं कर सकता । मंत्रि परिषद् में संयुक्त जिम्मेदारी का अभाव है। इसलिये गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिये संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं हुआ है। इससे गंभीर बात कोई और नहीं हो सकती ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यद्यपि सी0 आई0 डी0 की जांच की आवश्यकता नहीं थी लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और कुछ माननीय सदस्यों के आग्रह पर यह आदेश दिये गये। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो भी आप कहते हैं, यह मान्यवर, अच्छा नहीं है।

**उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986†**

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस पर अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, नियम 123(2) के अंतर्गत, मैं विरोध में कुछ कहना चाहता हूं। जो अपराधिक व्यक्ति हैं, जो समाज में अपराध करते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने का जहां तक सवाल है उसमें विरोध पक्ष शासन को सहयोग देना चाहता है। लेकिन विचार यह करना है कि जो रोग है उसका निदान रोग से ज्यादा भयंकर न हो जाय। यह जो विधेयक हमारे सामने पेश हुआ है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में हर अपराधी को दंडित करने की प्रक्रिया है और प्रख्यापना भी दी हुई है। लेकिन यह जो विधेयक है इसके उद्देश्य और कारण को आप देखें, गिरोह बंद की जो परिभाषा दी गयी है तो वह अस्पष्ट है, अ-व्यापक है और विधि के विरुद्ध अधिकार पुलिस को दिये जा रहे हैं जिससे इसका दुरुपयोग होने की पूरी सम्भावना पैदा हो गयी है ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 123(2) को देखने की कृपा करें । उसी वक्त आप इसकी इजाजत दे सकते हैं जब आप समझें कि लिजिस्लेटिव कांपीटेंसी के बाहर कोई बात हुयी है या कोई विचार उपस्थित किया जाने वाला है या उपस्थित किया जायगा। हमारे ज्यूरिसडिक्शन में है कि नहीं, बस इतनी ही बात है। इस पर आप इनको इजाजत न दें इसमें विस्तार से बहस नहीं हो सकती। मान्यवर, हमारे यहां भारतीय दण्ड संहिता, (इंडियन

†दिनांक 14 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

पेनल कोड), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसी तरह से अनैतिक व्यापार अधिनियम और अन्य अधिनियम भी बने हुए हैं, जिसमें दण्ड की प्रक्रिया भी दी गयी है। तो मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 के आने से, इसमें यह बात उत्पन्न हो जायगी कि एक ही अपराध करने वाले व्यक्ति को दो तरफ से दण्ड दिया जायगा और इस तरह से सरकार के जो राजनैतिक विरोधी हैं, उनको दबाने के लिए, उनके खिलाफ यह विधेयक लाया जा रहा है। मान्यवर, पहले अध्यादेश जारी हुआ और अध्यादेश के बाद आज विधेयक आ रहा है। मान्यवर, इस अध्यादेश में 400 लोगों को जिला जालौन में पकड़ा गया। उसमें मान्यवर 14 साल के बच्चे को भी पकड़ा गया। इसलिए मैं मान्यवर, आपसे मांग करता हूं कि इस पर आप अनुज्ञा न दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारे सम्मानित राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रश्न उठाया, इसमें जहां तक नियम का प्रश्न है, नियमों के अन्तर्गत इसमें कोई आपत्ति आने का प्रश्न नहीं उठता। केवल जो शंका आपने व्यक्त की है, इसी कारण से इसे हम सदन में लाये हैं कि इस पर चर्चा होने के बाद, आपका विश्वास प्राप्त करते हुए, इसे पारित किया जायगा। मान्यवर, जो ऐसे-ऐसे गिरोह बन गये हैं, जो सामान्य कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं, और वे लोग हमारे और आपके बीच में देश और प्रदेश के विकास के कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ताकि वे इसके अन्तर्गत आ सकें और आप देश और प्रदेश के विकास के कार्य कर सकें इसके लिए यह लाया गया है। मान्यवर, इसमें किसी राजनैतिक विरोधियों को किसी प्रकार से कोई दबाने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर चर्चा निर्धारित तिथि 13-3-86 को न करा कर किसी अन्य दिन कराये जाने की मांग**

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक निवेदन मेरा है। मान्यवर, इसे पुरःस्थापित तो कर दिया है माननीय मुख्य मंत्री ने। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि जो कल इस पर चर्चा होनी है, इसके बारे में हम लोग यह चाहते हैं कि इस पर खुल कर बहस हो जाय, परन्तु कल मान्यवर, हमारे नेता आदरणीय चौधरी साहब अमेरिका जा रहे हैं, बहुत से माननीय विधायक वहां पर उनको छोड़ने दिल्ली जायेंगे, मेरा निवेदन यह है कि यह चर्चा कल के बजाय 17 तारीख को कराई जाय, ताकि उस चर्चा में सभी माननीय विधायकों के विचार आ जायं, और जब उधर के सभी लोगों के विचार आ जायें और इधर के भी सभी लोगों के विचार आ जायें, तब उसके बाद इसे पास कराया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, 17 तारीख के लिए माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मान्यवर, हमारे राष्ट्रीय नेता चन्द्र शेखर जी का 17 और 18 तारीख को पटना में कार्यक्रम है, उसमें बहुत से विधायक जायेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि 17 और 18 तारीख को छोड़कर कोई भी तिथि रख ली जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

इसी प्रकार की और भी कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं, इसलिए अच्छा यही समझा गया है कि नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों आपस में बात कर लेंगे और जो भी निर्णय होगा, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री बाबू राम यादव की जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दवाओं में घपला के सम्बन्ध में और दूसरी सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, गया प्रसाद वर्मा, बालेश्वर यादव तथा श्री पारस नाथ यादव की जनपद वाराणसी में चन्दौसी कोयला मण्डी में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना सर्वश्री हरेन्द्र सिंह, प्रधान प्रभुदयाल एवं श्री सखावत हुसैन की जिला परिषद् मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री कौशिक रमा शंकर की तथा पांचवीं श्री शारदा प्रताप की बहराइच में पुलिस लाठी चार्ज से कई लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में। छठी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की पी0 सी0 एफ0 गोदाम लखनऊ द्वारा खराब चीनी का वितरण। सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की देवरिया के उदित नारायण डिग्री कालेज का बन्द होना। आठवीं सूचना श्री अवधेश बसाद की प्रदेश में जीरम के उपयोग से आलू का खराब होना। नवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह व श्री मूल चन्द्र की वाराणसी के चोरी थाना के अन्तर्गत बसे हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की पूर्वी उत्तर प्रदेश में घेंघा रोग के प्रकोप के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना श्री भगवती सिंह की ग्राम हबतमऊ, मवैया, लखनऊ के हरिजनों की जमीनों का अपहरण के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की राजेन्द्र नगर, लखनऊ के 91 परिवारों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उजाड़े जाने के सबन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में माण्टेसरी टाइप स्कूलों में कोचिंग स्कूलों द्वारा अध्यापकों का शोषण। चौदहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल व पन्द्रहवीं श्री देव कुमार यादव की प्रदेश में नकली गैस सिलेन्डर की बिक्री के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री काजी कलीमुररहमान की आजमगढ़ में पुलिस द्वारा हरिजन की हत्या के सम्बन्ध में। सत्रहवीं सूचना डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में फर्जी मनीआर्डर करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में। अठारहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह की सूचना विभाग द्वारा पोस्टरों की छपाई में घपले के सम्बन्ध में। उन्नीसवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की प्रदेश के खेतिहर मजदूरों का पंजाब में शोषण के संबंध में एवं बीसवीं सूचना श्री राम नरेश की प्रदेश के हरिजनों द्वारा सरकार की वादा-खिलाफी के विरुद्ध अनशन के सम्बन्ध में।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, मैनपुरी जनपद में दवाओं की बहुत कमी है और मान्यवर, जो दवायें मिलती हैं वह वहां के गरीब लोगों को नहीं मिल पाती हैं। बेच दी जाती हैं।

ज्यादातर लोग व्यक्तिगत रूप से अपना इलाज करा लेते हैं परन्तु जो नीचे के तबके के लोग हैं वहीं अस्पतालों की दवाओं पर ज्यादा निर्भर करते हैं । मान्यवर, आज स्थिति वहां की यह है कि किसी भी अस्पताल में न तो दवाएं मिलती हैं और न ही मरीजों को डाक्टरों की सहायता मिलती है । ज्यादातर डाक्टर अनुपस्थित रहते हैं और मान्यवर, परिवार कल्याण नियोजन के अन्तर्गत जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं वह सरासर फर्जी दिए जा रहे हैं और अधिकतर जो नसबंदियां की जा रही हैं वह विधवा महिलाओं की ही की जा रही हैं जिनकी उम्र 65 से 70 वर्ष तक की है, उनकी ही नसबन्दी श्रीमन् ज्यादा हो रही हैं । जैसे श्रीमती राजा बेटी विधवा सोनपाल, ग्राम उझियानी के नाम से अब और वही महिला ग्राम नादगई नगरिया के नाम से दोबारा दिखाई गई दूसरे फूलन देवी विधवा केशव दयाल उम्र 62 वर्ष, रहना बेगम जिनकी उम्र 65 वर्ष विधवा रेशम प्यारी गूढ़ा, मदनपुर कंचनिया विधवा भोजराज ग्राम गूढ़ा की हैं और मान्यवर, जब से इनकी नसबन्दी की गई है तब से बराबर इनकी तबियत खराब चल रही है और इसी प्रकार से और भी अन्य मामले हैं । मान्यवर, ऐसा अन्धेर हो रहा है । कापरटी जो सरकार अमेरिका से मंगाती है उसके लगाने के फर्जी आंकड़े सरकार को दिखाये गये हैं । मुझे 9000 लूपों की पेटियां दिखाई गईं जिस पर कि 10 रु0 प्रति कापरटी के हिसाब से लगवाने के सरकार द्वारा दिए जाते हैं उसका 80 हजार रुपया निकाल लिया गया । कोई लूप नहीं लगाया गया। यह सारे पैकेट उन्होंने मुझे दे दिए जो मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्तुत कर रहा हूं । कापरटी 2 लाख रुपये की कीमत की आयात की गई और एक भी नहीं लगी और सारे के सारे लगे हुए दिखाए गए । आज अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं बैठते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । एक लड़की जिसका पति सेना में नौकर है वह अपने ससुर के साथ अस्पताल गई थी, वहां पर कोई डाक्टर नहीं था कम्पाउडर ने उसको वहां पर बैठा लिया और उसके ससुर को पर्चा देकर दवाई के लिए भेज दिया और उस बेचारी के साथ बलात्कार किया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? केवल उसका ट्रान्सफर कर दिया गया । मैं चाहता हूं कि आज की कार्यवाही रोककर इस पर दो घण्टे की चर्चा कराई जाय ।

(कापरटी दिखाने पर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय –

मान्यवर, यह तो महिलाओं के लिए होता है, यह माननीय सदस्य को कैसे उपलब्ध हो गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह बहुत अफसोस की बात है कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के खिलाफ हम लोग भी नहीं हैं लेकिन जोर-जबर्दस्ती, लालच, बेईमानी यह सब मामले जो हैं इनके हम लोग खिलाफ हैं और यह जो माननीय बाबू राम जी ने लूप दिखाये हैं, यह घटना केवल मैनपुरी की नहीं है । आजकल हर जगह ऐसा हो रहा है । मैं इटावा में दिखा सकता हूं कि लूप लगाये गए नहीं और पैसा पूरा का पूरा वसूल कर लिया गया । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बाबूराम जी को कहां से मिल गया, तो इसकी आप जांच करा लीजिए । बाबूराम जी के घर से निकलते हैं तो उनको सजा दे दीजिए । मान्यवर, लाखों रुपये इस तरह खर्च किया जा रहा है । यह अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है । यह कम से कम 150 लूप हैं और सच बात

यह है कि उन कर्मचारियों को अगर आप नौकरी से बचा लें, उन कर्मचारियों को आश्वासन दे दें तो मैं उन कर्मचारियों को आपके चेम्बर में लाकर सारी बातें सुनवा सकता हूं । इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा करायें । इस तरह अविवाहित और विशेषकर वृद्ध जिनकी उम्र 65, 70, 75 की है, जिनके पोते हैं, उन सबकी नसबन्दी कराई जा रही है । 17-18 साल के लड़कों की नसबन्दी कराई जा रही है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करायें और चर्चा करा देंगे तो बहुत से तथ्य सामने आ जायेंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपके कार्यक्रम के लिए बहुत से सुझाव आ जायेंगे और बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जायेगी । आप चाहें तो लखनऊ में बैठकर या जहां चाहें इस पर

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

विचार कर लें । जो नसबन्दी हरिजनों की कराई जा रही है, लालच देकर, आधा पैसा देकर और आधा पैसा कर्मचारी लेकर नसबन्दी करा रहा है । लूप लगे नहीं और लाखों रुपया मैनपुरी के लोगों ने खासकर सी0 एम0 ओ0 ने हड़प लिया है, इस पर चर्चा करायें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

यह भारत सरकार से आता है, इसका नाम कापरटी है, यह महिलाओं को लगाया जाता है । जो महिलायें बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हैं और नसबन्दी नहीं कराना चाहती हैं, उनको यह लगाया जाता है । 80-81 में जब मैं इस विभाग का मंत्री हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश का कपुल प्रोडक्शन रेसियो 19 प्रति हजार था, जब कि भारत के अन्य प्रदेशों में बहुत कम था । वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, में कम होकर 15-27 प्रतिशत है । अब यह कार्यक्रम स्वीकार न किया गया होता तो यह कैसे होता ? महिलाओं को यह लगाया गया, पुरुषों ने नसबन्दी नहीं कराई । 80-81 से लेकर 12 फरवरी 86 तक पुरुषों ने 9 प्रतिशत नसबंदी कराई है । कुल नसबंदी इस वर्ष 5 लाख हो चुकी है । विगत 4 वर्षों में 12 लाख नसबन्दी हो चुकी है । कुल 17 लाख नसबन्दी हुई है, जिसमें 91 प्रतिशत महिलायें हैं। उत्तर में विगत वर्षों में लगभग 16 लाख महिलाओं ने कापरटी का प्रयोग किया । यह भारत सरकार से आता है, इसमें हम कहां घोटाला कर लेंगे ? नेता विरोधी दल से बअदब मैं गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है । अगर परिवार कल्याण कार्यक्रम पर चर्चा करना चाहें तो बजट के बाद उस पर चर्चा कर लें । 1986-87 में मैंने, उस दिन नेता विरोधी दल अपने सहयोगियों के साथ सदन से बाहर चले गये, इसका लक्ष्य 8 लाख रखा है । इसको कैसे पूरा करें ? इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये । इस पक्ष के और उस पक्ष के सब का । नये वर्ष में सदन बैठे तो इस पर चर्चा करलें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैंने सुझाव रखा था कि सब फर्जी हो रहे हैं । टैक्स लगायेंगे, आप तैयार हैं । जो दो बच्चों से ज्यादा पैदा करें, उन पर टैक्स लगायें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नेता सदन और विरोधी दल दो प्रतीक होते हैं, सदन के । इनकी जुबान की शब्दावली में जो बात आये, उसमें गम्भीरता होनी चाहिये । यह राष्ट्रीय नीति है, यह सुझाव भारत सरकार को होना चाहिये । वहां से आयेगा तो हमें स्वीकार करने में एतराज नहीं होगा । यह हमारी परिधि में नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारा सुझाव भेज दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

भेज देंगे ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जनपद वाराणसी में चन्दौसी कोयला मण्डी, जो भारत में सबसे बड़ी कोयला मण्डी है, वहां पर मान्यवर, करीब 300 कोयला व्यापारी काम करते हैं । हजारों की तादाद में मजदूर भी लगे हुए हैं और इसमें मेरा यह कहना है कि इस चन्दौसी मण्डी के जरिये से पूरे प्रदेश में काले धन का प्रादुर्भाव हो रहा है और नम्बर–2 का कोयला सारे प्रदेश में बिक्री किया जा रहा है। इस संबंध में, जिलाधिकारी वाराणसी ने 1985 में एक जांच बैठाई थी, जिसकी रपट यह है कि करीब 100 करोड़ रुपये का कोयला नाजायज रूप से पूरे देश में बेचा जाता है । इसके अलावा करीब 100 मैट्रिक टन से लेकर 300 मैट्रिक टन ऐसा कोयला पकड़ा गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है और आज भी वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए कई कोयला व्यापार कम्पनियां कोयले का काम कर रही हैं । इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर इस काम से 100 करोड़ रुपये के बिक्रीकर की चोरी हो रही है । यदि प्रदेश सरकार कड़ाई से काम करावे तो 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो सकता है । इसके अलावा महापालिका की चुंगी को नुकसान हो रहा है । वहां से 10 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं यदि सरकार वहां पर काला काम बन्द कर दे । मुझे कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश कोल आर्डर, 1977 और आवश्यक वस्तु अधिनियम दोनों के प्राविधानों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है । इससे गम्भीर बात और हो नहीं सकती । वहां पर बड़े पैमाने पर तस्करी का अड्डा बनाकर, नेपाल से लाकर पूरे देश में तस्करी का माल फैलाने का काम लोग कर रहे हैं । अगर यह प्रदेश की सरकार सचमुच काले धन को और तस्करी को खत्म करना चाहती है तो चन्दौसी की कोयला तस्करी को समाप्त करे और वहां पर नम्बर–2 का कोयले का व्यापार समाप्त किया जाय । यह मेरी मांग है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इसमें मेरी भी जानकारी है । अगस्त, 1983 से कोल इण्डिया ने फ्री सेल पर (कोयले की) रोक लगा दी थी । लेकिन उसके बाद भी फ्री सेल का व्यापार चलता रहा । यह क्यों हुआ? आप सोचें । दूसरी बार फ्री सेल कराई गयी तो 100 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ और उसके कारण कम से कम 300 करोड़ रुपये का काला धन हो गया और इसी की वजह से जब रोक लगा दी गयी थी, अभी हाल में आपके बनारस के कमिश्नर ने करीब 20 ऐसे कोयले के व्यापारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया, जो उत्तर प्रदेश कोल कन्ट्रोल आर्डर, 1977 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का खुला उल्लंघन है । इस पर विचार कर लिया जाय और चर्चा करा ली जाय । पूरे प्रदेश में फ्री सेल पर रोक लगाने के बाद जो व्यापार हो रहा है, उससे 500 करोड़ रुपये का काला धन उत्तर प्रदेश में हो गया है ।

श्री रामचन्द्र शर्मा–

मान्यवर, यह चन्दौसी कोयला मण्डी हमारे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में पड़ती है । जैसा मा0 सदस्य ने कहा कि कोयला व्यापारी तस्कर हैं, तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फ्री सेल का कोयला अन्य कोलरियों से मंगाया जाता है। हमारे पास 4–6 कोलरियों के प्रमाण हैं कि वहां से मंगाया जाता है। सन् 1977 की धारा 13 के अनुकूल जो प्राविधान किया गया था, उसमें ट्रक द्वारा कोयला लाने पर प्रतिबंध नहीं है। व्यापारी नौबत पुर बैरियर पर बिक्रीकर देते हैं और अन्य प्रदेशों में भी माल सप्लाई होता है। अभी मा0 सदस्य ने कहा कि वहां पर कोयला व्यापारी तस्कर हैं, यह बिल्कुल गलत है, वहां पर कोई तस्कर नहीं है। वहां पर नम्बर–1 से माल मंगाया जाता है और नम्बर–1 से ही माल भेजते हैं। 1983-84 के लाइसेंस का रिन्यूवल किया गया। 1985-86 के लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया गया है। मान्यवर, इस व्यापार में लगभग 50 हजार मजदूर और व्यापारीगण संलग्न हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है। इसमें 5 करोड़ रुपये का टैक्स वसूल होता है और करीब 1 करोड़ की आय नगर-पालिका मुगलसराय को होती है। मैं मुख्य मंत्री जी का इधर ध्यान चाहूंगा कि 1985-86 के लाइसेंस का जो रिन्यूवल अभी तक नहीं हुआ है, वह रिन्यूवल किया जाय। मान्यवर, जो यह कहा गया कि वहां के व्यापारी तस्कर हैं, यह बिल्कुल निराधार है।

**मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–**

मान्यवर, जो यहां पर तथ्य आये हैं, सबको देखते हुए, उसकी जानकारी करायी जायेगी और जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी है। मान्यवर, यह लोक महत्व का मामला इसलिए है कि जो वहां विकास के कार्य होने थे, उसमें भी धांधली होने लगी है। मान्यवर, वहां जिला परिषद् के जो स्कूल हैं, उसमें छतें नहीं हैं। लेकिन मुख्य अधिकारी ने 85 हजार रु0 अवैधानिक रूप से लेकर अपने आवास की मरम्मत करायी है। मान्यवर, नदी के घाट के ठेके से जो पैसा आता है, उसके सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि इस्सापुर में यमुना नदी घाट का ठेका 1-11-85 को श्री चरण सिंह को दिया गया, लेकिन बाद में रिश्वत लेकर यह ठेका श्री पहल सिंह के नाम बदल दिया गया। मान्यवर, इसी प्रकार भट्ठे के लाइसेंस का ठेका हुआ। मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य श्री दीपक कुमार, जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, ने भट्ठे का लाइसेंस देने के लिये किसी व्यक्ति विशेष के लिये संस्तुति की। उसमें मुख्य अधिकारी ने मना कर दिया कि भट्ठे का लाइसेंस नियमों के विपरीत नहीं होगा। मान्यवर, ग्राम पमनावली में श्री बृजलाल के भट्ठे का लाइसेंस पहले निरस्त किया गया और बाद में 8000/- रिश्वत लेकर लाइसेंस दे दिया गया। मान्यवर, वहां तमाम लूट व्याप्त है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

जो नोटिसें दी गयी हैं, पैसा लेकर उन नोटिसों को विदड्रा किया जाता है। इसी प्रकार लाइसेंस का हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहां एक क्लर्क से 15 हजार रु0 लिया जा रहा है, जो क्लर्क पैसा नहीं दे रहा है, उसका स्थानान्तरण किया जा रहा है। कानून और नियमों का उल्लंघन कर जिला परिषद् के कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरी जगह किया जा रहा है। मान्यवर, जो भी जिले में विकास कार्य होने थे, उनमें घटिया किस्म के निर्माण कार्य कराकर धन बटोरने का कार्य हो रहा है। वहां के ए0 डी0 एम0 (डी0) राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, जातिवाद वहां चरम सीमा पर है। वहां के 9 विधान सभा क्षेत्रों में से केवल एक ही क्षेत्र विशेष में ज्यादा कार्य हो रहा है। वहां जनता में इन सब चीजों की वजह से असन्तोष, क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब इस पर, सदन की शेष कार्यवाही रोककर, चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना के सम्बन्ध में श्री कौशिक रमाशंकर जी संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, बहराइच में पुलिस ने जो व्यवहार जनता के साथ किया है, उसकी वजह से वहां पर बड़ा आतंक का वातावरण छाया हुआ है। पुलिस के द्वारा वहां 7 मार्च को जो अकारण लाठीचार्ज किया गया, उसकी वजह से 50 लोग वहां घायल हुए और 4 की हालत बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, श्री दुलारे, हरिजन, श्री राम खिलावन, हरिजन, श्री अब्दुल सत्तार और श्री अब्दुल वहीद अभी भी घायल होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। पुलिस वहां पर बदले की भावना से काम कर रही है। कारण सिर्फ यह है कि अकारण ही एक ट्रक के ड्राइवर श्री सोबन और ट्रक में बैठे, श्री इस्माइल को पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बुरी तरह से पीटा और कांग्रेस पार्टी के महामंत्री श्री सतीश कुमार सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की और जो लोग वहां उस समय इकट्ठा हुए थे, वहां के थानेदार ने अकारण उनके ऊपर लाठी चार्ज करा दिया। वहां पर आज भी आतंक का वातावरण छाया हुआ है और सभी राजनैतिक लोग यह महसूस करते हैं कि पुलिस ने वहां पर जबरदस्त ज्यादती की है। अभी भी वे लोगों को आतंकित कर रहे हैं इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर जन असंतोष समाप्त हो और जनता के हितों की रक्षा हो सके, इसलिये इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 का लखनऊ स्थित गोदाम में 78.333 मीट्रिक टन चीनी का एक स्टाक था। यह चीनी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थी तथा साथ ही हानिकारक भी थी। जनता के आवाज पर इस स्टाक से दो सैम्पल लेकर डा0 एस0 पी0 सिंह से परीक्षण करवाया गया उन्होंने अपनी जांच आख्या में चीनी के परीक्षण करने के बाद यह लिखा है कि यह चीनी हानिकारक है, खाने योग्य नहीं है इसलिये इसको समापन किया जाना चाहिये। उन्होंने तीन बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं। नम्बर एक– नमी की मात्रा ज्यादा है। नम्बर–2 शुक्रोज की मात्रा कम है तथा भस्मिक की मात्रा ज्यादा है। इसलिये मान्यवर, यह चीनी मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इस चीनी के नीलामी के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं और आज ही इसका नीलाम भी हो रहा है। जब इसका नीलाम हो जायेगा तो यह चीनी बाजार में आम उपभोक्ताओं के पास जायेगी जिसे खाकर कई लोगों की जानें

जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण मसला है। डा0 एस0 पी0 सिंह की रिपोर्ट आने के बाद भी किन परिस्थितियों में अधिकारियों ने इसकी नीलामी के आदेश दिये। मेरा आपसे निवेदन है कि इस नीलामी को तत्काल स्थगित किया जाये और मान्यवर, इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें। वैसे भी मैं यह दो चीनी के सैम्पल आपके पास भेज रहा हूं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, चीनी के बारे में माननीय श्री वर्मा जी ने कहा और रिपोर्ट पढ़कर भी सुनाई लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह चीनी ह्यूमन कंजम्प्शन के लिए ठीक नहीं है। केवल क्षतिग्रस्त की बात है। पानी की बौछार से भी मिक्सचर हो जाने के कारण नमी की मात्रा चीनी में हो जाती है। वैसे भी हम सस्ते गल्ले के दुकानों के माध्यम से चीनी का आवंटन सामान्य उपभोक्ताओं के लिये करते हैं और शेष चीनी के बताशे और मिठाई बनाने के लिये हलवाई आदि ले जाते हैं। अब इस चीनी का नीलाम किया जा रहा है। वह इसी वजह से किया जा रहा है कि बाकी लोग जैसे हलवाई, मिठाई और बताशा बनाने के लिये कर सकें। आज ही हमने इसके लिये निविदायें आमंत्रित की हैं। जो लोग इसको खरीदने आयेंगे, वह इसे देखेंगे। यदि उन्हें पसन्द नहीं आयेगी तो वह नहीं खरीदेंगे। इसमें आप और हम कहां बीच में आते हैं?

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो सूचना दी है वह अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व की है। देवरिया जनपद में उदित नारायण डिग्री कालेज जो पडरौना में है, में बीस फरवरी को असामाजिक तत्वों ने हथियारों से लैस होकर उस विद्यालय के प्रांगण में हमला कर दिया जिसमें चार अध्यापकों जो डिग्री कालेज के हेड आफ द डिपार्टमेण्ट श्री प्रेम चन्द्र व श्री केशव बिहारी त्रिपाठी हैं, को संघातिक चोटें पहुंचायी गयीं। उसके बाद उस पूरे परिसर में आतंक फैल गया, विद्यार्थियों ने हड़ताल की, अध्यापक भी आन्दोलन पर हैं। देवरिया प्रशासन ने इस घटना के सम्बन्ध में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, पुलिस प्रशासन नाकाम हो गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं उस समय से लेकर आज तक वह विद्यालय बन्द है और अनिश्चितकालीन बन्दी की घोषणा की गयी है, जब कि इसी मार्च के आखिर में और अप्रैल में गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षायें होने वाली हैं, छात्रों का पठन-पाठन बन्द हो गया है, अध्यापक और अभिभावक दोनों चिन्तित हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन अकर्मण्यता की स्थिति में है। विद्यार्थियों में भी रोष है, अध्यापकों में भी रोष है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्पष्ट, तात्कालिक, अविलम्बनीय और जो घटना आज भी प्रक्रिया में है, इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर तत्काल चर्चा करायें ताकि इस पर ठोस कार्यवाही हो सके।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 एक, श्री बाबू राम यादव जी की सूचना के विषय पर बजट के बाद पौन घण्टे की चर्चा के लिये स्वीकृत करता हूं।

दूसरी सूचना, श्री शतरुद्र प्रकाश एवं अन्य की सूचना के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

तीसरी श्री हरेन्द्र सिंह एवं अन्य की सूचना के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

चौथी श्री कौशिक रमाशंकर जी की सूचना के विषय पर वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

छठी श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दसवीं श्री अशोक बाजपेयी जी की सूचना, ग्यारहवीं श्री भगौती सिंह की सूचना तथा सोलहवीं श्री काजी कली-मुररहमान जी की सूचनाओं के विषय पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सभी सूचनाएं कार्य स्थगन के रूप में अस्वीकार की जाती हैं।

**1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) तथा अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)**

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,46,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 41,24,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

श्रीमन् यह जो अभी आपके सामने गन्ना उद्योग और गन्ना विकास के लिये सदन से अनुज्ञा चाही है, इसके लिये संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। इस विभाग की जो गतिविधियां हैं मुख्यत: उसके तीन भाग हैं–गन्ना विकास विभाग, सहकारिता चीनी मिलें और चीनी निगम की मिलें। इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र की भी मिलें हैं। प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं, इनका गन्ने का जो सुरक्षित क्षेत्र होता है वर्ष 1985-86 में इसमें जो गन्ने का उत्पादन हुआ था, वह 678.05 लाख टन पिछले वर्ष का उत्पादन था जो बढ़कर 85-86 में 695.49 लाख टन के करीब हो जाने का अनुमान है।

इसमें श्रीमन् एक खास बात यह है कि विगत वर्षों की अपेक्षा कुछ एरिया में कुछ कमी बतायी जा रही थी लेकिन इसकी उत्पादकता इस वर्ष इतनी अच्छी हुई है जो कि विगत तीस वर्षों से

नहीं हुई थी। 1984-85 में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन का औसत आया था 46·13 टन जोकि अब बढ़ कर 48·5 टन के करीब हो गया है। ऐसी अच्छी उपलब्धि विगत 30 वर्षों से नहीं हुई थी। हां, 1977-78 में अवश्य इससे थोड़ी सी ज्यादा पैदावार एक बार हुई थी। यह बहुत बड़ा अचीवमेन्ट है।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप गन्ना के उत्पादन के विगत पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो इसमें यह देखने को मिलेगा कि कभी उत्पादकता इसकी बढ़ी है और कभी इसकी उत्पादकता घटी है जैसे कि 1976-77 में 46·18 टन उत्पादकता प्रति हेक्टेयर थी। 1978-79 में 39·40 टन उत्पादकता प्रति हेक्टेयर थी। 1979-80 में इसकी उत्पादकता 38·20 टन प्रति हेक्टेयर थी।

तो इस तरह से श्रीमन्, जो गैप है गन्ने की उत्पादकता में यह गैप 11·14 टन के करीब रहता है। इसमें कोशिश यह की गयी कि यह जो उत्पादकता कभी घट जाती और कभी बढ़ जाती है, इस पर कन्ट्रोल करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास के फलस्वरूप 1981-82 से 1985-86 तक का जो गैप है उसे आप देखें कि 1981-82 में 45·56 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन था, 1982-83 में 45·70 टन प्रति हेक्टेयर था, 1983-84 में 46·26 टन प्रति हेक्टेयर था, 1984-85 में 46·13 टन प्रति हेक्टेयर था और अब 48·5 टन प्रति हेक्टेयर के करीब है। यह गैप 2·80 टन के करीब उत्पादकता में है। यह स्थिति घटती और बढ़ती रहती है प्राकृतिक कारणों से। लेकिन फिर भी इसकी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लाने हेतु साधन उपलब्ध कराये गये कि अच्छा बीज, सिंचाई के लिए पानी और खेतों में नेत्रजन की मात्रा को सुनिश्चित कराया गया और इस तरह से इसकी उत्पादकता में जो अन्तर आता रहता था, उसमें कमी करने की कोशिश की गयी।

1985-86 की 22 फरवरी तक चीनी मिलों ने जो गन्ने की प्राइस दी वह 119·14 लाख टन की है और इससे 11·13 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसकी तुलना में आप इस वर्ष की इसी तिथि यानी कि 22 फरवरी तक देखें कि कुल 115·3 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और उस चीनी का उत्पादन 10·78 लाख टन था। तो इस तरह से इस वर्ष की 22 फरवरी तक 11·1 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो कि पिछले साल से ज्यादा है। इस तरह से जो सबसे बड़ी बात हुई है कि पिछले वर्ष कटौती का प्रस्ताव रखते हुए, माननीय सदस्य श्री दास जी ने कहा था कि पेराई का जो पीरियड है, देर से प्रारम्भ हुआ है इस वर्ष इस पर काफी ध्यान रखा गया है तथा 30 नवम्बर को 79 मिलें थी, जिन्होंने गन्ने की पेराई प्रारम्भ कर दी थी और पिछले वर्ष 59 मिलें चल पायीं थीं, तो इस ओर काफी ध्यान रखा गया है 28 फरवरी, 1986 तक जो गन्ने का मूल्य है, जो देय था वह 290·55 करोड़ रुपये का था और इसके विपरीत 246·09 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है और 44·46 करोड़ रुपया बकाया है। इसका प्रतिशत 15·30 आता है, जो बकाया है।

मान्यवर, पिछले वर्ष इन्हीं तिथियों को देखें, 28 फरवरी, 1985 को

256.81 करोड़ रुपये का टोटल गन्ना मूल्य देय था और पेमेंट किया गया वह 206.15 करोड़ है और जो अवशेष रह गया है वह 50.66 करोड़ रुपया था और इस वर्ष मान्यवर, 44.46 करोड़ रुपया बकाया है, जो प्रतिशत के हिसाब से 19.73 आता है। तो मान्यवर, इतने का भुगतान इन तिथियों में अवशेष था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि व्यवस्था को कन्ट्रोल किया गया है।

मान्यवर, इसी तरह से विगत दिनों में सदन को भी बड़ी चिन्ता थी कि पायरिला का प्रकोप मेरठ, मुरादाबाद और बरेली मण्डल में बहुत अधिक था। 11.70 लाख एकड़ जमीन पर पायरिला का प्रकोप था, उसका इफेक्ट था। इस कारण चिन्ता यह थी कि गन्ने की फसल ठीक से नहीं होगी और चीनी की कमी हो जायेगी और एक समस्या उत्पन्न हो जायेगी, लेकिन मान्यवर, आप देखें कि 22 फरवरी, 1986 को चीनी का परता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9.29 प्रतिशत है और पिछले वर्ष यह 9.29 प्रतिशत था, इसी तरह से मध्य उत्तर प्रदेश में आप देखें कि इस वर्ष यह 9.46 प्रतिशत है और पिछले वर्ष 9.43 प्रतिशत था, तो इस क्षेत्र में, यह कुछ बेहतर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9.22 प्रतिशत इस वर्ष है और पिछले वर्ष 9.29 प्रतिशत था, यहां पर थोड़ा सा कम हुआ है। मान्यवर, इससे सिद्ध होता है कि जो मैंने पिछले वर्ष आश्वस्त किया था, उसी के अनुरूप दवाओं का छिड़काव कराया गया। एरियल स्प्रे कराया गया और पावर स्प्रे कराया गया और बड़े ही प्रभावी ढंग से कन्ट्रोल किया गया। अगर फिर भी कुछ माननीय सदस्य असन्तुष्ट हों तो यह दूसरी बात है, लेकिन बड़े प्रभावी ढंग से कन्ट्रोल किया गया है।

मान्यवर, 7वीं योजना के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इसके अन्तिम वर्ष में 1989-90 में गन्ने का क्षेत्रफल 18 लाख हेक्टेयर किये जाने का संकल्प किया गया है। आप देखें कि 1955-56 में गन्ने का क्षेत्रफल जो था वह 7 लाख हेक्टेयर था और 1960-61 में इसमें ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, परन्तु ये 9.28 लाख हेक्टेयर हो गया यह 70-71 में 10.78 लाख हेक्टेयर हो गया इस तरह से इसमें निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन आप इसके 70-71 को देखें तो 7.78 की जगह सीधे 18 लाख हेक्टेयर जमीन में कोशिश की जायेगी और हम इसको सन् 90 तक इतने लाख हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन करने लगेंगे। इस तरीके से औसत उपज जैसे इस वर्ष 48.5 आयी है, इसको और एचीव करेंगे और 5 साल में ऐसी व्यवस्थाएं की जायेगी कि 51 टन प्रति हेक्टेयर हो जाय, हमारी औसत उपज इतनी अच्छी हो जाय, इतनी बढ़ जाय। यह 55 टन अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो यह एक उपलब्धि होगी। यह आसान जितना देखने सुनने में लगता है उतना होता नहीं है, यह बहुत प्रयास के बाद एचीव कर पायेंगे। इस तरह से गन्ने का जो उत्पादन है वह लक्ष्य 990 लाख टन पूरे प्रदेश में इसको लेने का है इसको भी पायेंगे। 1955-56 में 269.03 लाख टन था अब जो बढ़कर 1984-85 में 678.05 लाख टन हुआ और 85-86 में 695.49 लाख टन हुआ। उसमें 990 लाख टन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर तक

इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है । इस तरह से चीनी मिलों द्वारा जो प्रतिदिन गन्ने की पेराई की जाती है इसको भी हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2.19 लाख टन जो चीनी का उत्पादन है, इसको भी प्रतिदिन पेराई बढ़ायेंगे जिससे चीनी का उत्पादन 27 लाख टन हो जायेगा ।

श्रीमन्, किसान और विधायक गण यह कहते हैं कि यहां पर गन्ना किसानों को लाने के लिए और इस सब से सड़कों की बड़ी दिक्कत होती है उनको देखा जाना चाहिए तो इसमें श्रीमन् 17.88 करोड़ रुपये अभी तक खर्च किये गये और इससे 1,176 कि0मी0 अन्तर्क्षेत्रीय निर्माण किया गया है इसमें 50 प्रतिशत जो धन है वह सरकार की विशेष निधि से और 50 प्रतिशत गन्ना कृषक, चीनी मिलों और गन्ना विकास निगम द्वारा वहन किया जाता है । इस वर्ष एक बात और शुरू की गयी है । पर्चियों पर कुछ फर्जी भुगतान वगैरह की कम्पलेन आ रही थी, कि पर्चियों को लेकर लोग आते हैं और फर्जी भुगतान ले जाते हैं तो इसके लिए एक नयी व्यवस्था की गई है कि उनकी पास बुकों में प्रमाणित फोटो लगाये जायेंगे और उसके बाद ही उनको पेमेन्ट किया जायेगा । यह व्यवस्था है ।

अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में सहकारी चीनी मिलों के बारे में बताना चाहता हूं। इस वर्ष प्रदेश में पूरणपुर, पीलीभीत और सम्पूर्णा नगर जिला खीरी में दो नई सहकारी चीनी मिलें चालू हुई हैं । इस तरह से मान्यवर, पूरे प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 101 हो गई है। चूंकि हम लोग भारतीय संस्कृति में जिन्दा हैं और हम मानते हैं कि यह 101 का अंक कितना शुभ है। इस बात की सूचना देते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि अब इस संख्या से इन मिलों में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा गन्ना किसानों को जल्दी से जल्दी और अच्छे ढंग से भुगतान होगा। सब कुछ अच्छा होगा। 101 नम्बर बड़ा शुभ नम्बर है। दो जो नई चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में खोली गई इससे अब प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों की संख्या 28 हो गई है। इनके होने से अब उनकी पिराई क्षमता बढ़कर 40,550 टन प्रति दिन हो जायेगी। इसी प्रकार से 2 और मिलें एक जिला नैनीताल में गदरपुर में जिसका निर्माण कार्य छठी पंच वर्षीय योजना से चल रहा है वह 1986-87 में पूरा हो जायेगा और उसका उत्पादन भी प्रारम्भ हो जायेगा। इसी तरह से पुवांयां में 1250 टी0सी0डी0 क्षमता वाली एक सहकारी चीनी मिल बन रही है। उसमें सन्85-86 में काम प्रारम्भ हो गया था जिसमें सन् 86-87 में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5 सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। जिससे 5250 टी0सी0डी0 क्षमता की वृद्धि होगी। इनमें से 4 चीनी मिलों का काम सातवीं योजना में पूरा हो जायेगा और इस तरह से जो पिराई क्षमता 40,550 टन प्रति दिन है, वह बढ़कर 50,050 हो जायेगी।

इसी तरह से मान्यवर, मझौला, जिला पीलीभीत और ननौता, जिला सहारनपुर में दो डिस्टिलरीज हैं उनका जो उत्प्रवाह है जो स्पेन्ट वास है उसको स्ट्रीट करके मीथेन गैस बनाई जायेगी जिनका यूज इन डिस्टिलरीज के ब्वायलर में किया जायेगा। इस तरह से उनके ईंधन की भी बचत होगी। मान्यवर, अभी तक इसका कोई उपयोग नहीं होता था वह भी

प्रयुक्त हो जायेगा और साथ ही पर्यावरण की समस्या के बारे में हमारे माननीय सदस्यों को और दूसरे लोगों को चिन्ता रहती थी, उसका भी समाधान हो जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से पिछले वर्ष सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा जिला नैनीताल के बाजपुर में एक नई योजना स्टार्ट की गई थी। उसमें जो लड़के आई0टी0आई0 से डिप्लोमा करके निकलेंगे उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल में दी जायेगी। पिछले वर्ष 36 लोगों को इस मिल में ट्रेनिंग दी गई थी। ये लोग वहां से ट्रेड होकर निकल आये और चूंकि ये लोग एक्सपर्ट हो जायेंगे तो उन्हें कोआपरेटिव और निगम की जो चीनी मिलें हैं उनमें खपाया जायेगा और उनके अनुभव का लाभ भी उठाया जा सकेगा।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम हैं उसमें भी आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की हमारी योजना है। इस निगम की किच्छा जिला नैनीताल में जो मिल हैं, उसमें फासफो कार्बोनेशन सफलता पूर्व डबल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में परिवर्तित किया गया है। इसमें आस्ट्रेलियन टेक्नालोजी के आधार पर ट्रथ्ड रोलर प्रेशर फीडर का उत्पादन किया जायेगा। तो इससे 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक बिजली की बचत हुई है। श्रीमन् इसी तरह से पुनर्वासन, आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य पांच इकाइयों सकौती टांडा, मोहीउद्दीनपुर, चांदपुर खड्डा और किच्छा में काम पूर्ण हो चुका है। क्षमता विस्तरण का कार्य अमरोहा और बिजनौर रायबरेली व नंदगंज के पुनर्वासन किया जाना है। इन इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए इनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। इसी तरह से रामपुर इकाई का संतुलन इस भांति किया जायेगा कुछ ऐसी मशीनें लगा कर कि उसकी क्षमता बढ़ कर 3 हजार टी0डी0सी0 तक हो सके।

इसी तरह 1986–87 में डोइवाला इकाई की क्षमता विस्तारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत है। सहारनपुर की इकाई का इसी तरह माडरनाईजेशन करके क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इसके साथ, एक बात और कह कर समाप्त करूंगा कि अनूपशहर सहकारी चीनी मिल का कंप्यूटराइजेशन संयंत्र लगाकर किया गया। उसमें सारा कंट्रोल कंप्यूटर से होता है। चैकिंग, कलरिंग, प्रोसेसिंग वगैरह वह सब देखता है। तो उस अनुभव से काफी सफलतापूर्वक कार्य हुआ है इसको देखते हुए ननौता सहारनपुर में सातवीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटराइजेशन किया जायेगा। तो संक्षेप में मैंने यह सारी बातें रखी है मुझे आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री राम सरन–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मेरे सामने फिर वही प्राबलम आ गयी श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत से और साथियों ने जब पी0डब्लू0 डी0 का बजट था और उसके राज्य मंत्री श्री सीताराम निषाद जी ने पेश किया था लेकिन पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और आज माननीय रिछारिया जी ने इस बजट को रखा है। पिछले साल भी इन्होंने ही रखा था। श्रीमन्, निषाद साहब तो पी0डब्लू0डी0 के राज्य मंत्री हैं लेकिन रिछारिया जी के पास तो यह विभाग है भी नहीं। वह तो वित्त और नियोजन मंत्री हैं। तो मैं कहां जाऊं? कल शिकायत इसी बात की थी कि कैबिनेट मंत्री ही बजट पेश करें, वही आखिरी जवाब दें। लेकिन मेरी आज अजीब हालत है, कैबिनेट मंत्री की बात तो दूर रही, उस विभाग के यह स्टेट मिनिस्टर भी नहीं हैं। रिछारिया साहब आप महसूस मत करियेगा, मैं आपके खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यहां कुछ ही मंत्री हैं उनमें से आप एक हैं जिनका मैं आदर करता हूं, यह आप पर आक्षेप नहीं है लेकिन जो समस्या हमारे सामने है, उसके लिए हम कहां जांव? किससे कहें? श्रीमन्, एक लड़के की शादी थी, उसकी रतौंधी की बीमारी थी और लड़के को इसलिये शाम को सूरज छिपने के बाद नहीं दिखाई पड़ता था। इसलिए शादी में, उसके माता पिता, बराती चाहते थे कि उसके फेरे दिन में हो जायं। लेकिन जो लड़की थी वह बिल्कुल अंधी थी। लड़के वाले लड़की के घर वालों के पास प्रस्ताव लेकर गये-

"मेरा बन्ना बड़ा सजीला, दिन में फेरे दीयो जी" तो लड़की वालों ने कहा-

"मेरी पत्तो दिन न रत्तो, जब चाहो जब लीओ जी"।

तो मान्यवर, इनको अपने विभाग का पता नहीं है और दूसरे विभाग का बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, इनको विभाग मिले कैसे ? क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी विद्वान, खूबसूरत हैं जिनके पास 56 विभाग हैं। श्रीमन्, इलाहाबाद के कोई रहने वाले होंगे तो उनको पता होगा कि वहां छप्पन छूरी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, उस पर बहुत लोग मरते थे। उनके एक आशिक थे, वह इतने परेशान हुए कि उसके इतने छूरे मारे कि उससे छप्पन घाव हो गये लेकिन फिर भी वह जिंदा रही, इसलिये उसका नाम छप्पन छूरी हुआ था। उसी तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी छप्पन छूरी हैं कि वह 56 विभाग लेकर बैठ गये और सारे विभाग अपने पास रख लिये। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छा चीफ मिनिस्टर वही कहलायेगा जो अपने पास कम विभाग रखेगा। दूसरे प्रांत में देखें तो एक प्रांत ऐसा है जहां एक विभाग मुख्य मंत्री अपने पास रखता है और एक मुख्य मंत्री ऐसे हुए कि उनके पास कोई विभाग नहीं था और सभी विभागों पर निगरानी करता था लेकिन यहां सभी विभाग मुख्य मंत्री के पास हैं। वह इसलिये कि चीनी के अधिकारी, इंजीनियर, सिंचाई विभाग के इंजीनियर कहीं भाग न जायं, नगर पालिका के इंजीनियर कहीं भाग न जांय तो इस प्रदेश का क्या होगा? मान्यवर, मुख्य मंत्री को चाहिए कि सरकार यदि अच्छी तरह से चलाना है तो आपके यहां अच्छे लोग हैं, वह अपने साथियों पर विश्वास करके कुछ मिनिस्टर बढ़ायें ताकि अच्छा प्रशासन प्रदेश का चले।

मान्यवर, अभी श्री ओम प्रकाश रिछारिया जी ने कहा कि 101 फैक्टरियां हैं तो क्या यह वैसे ही शुभ चिन्ह हैं जैसे कि बाबा काली कमली का 1008 अंक शुभ चिन्ह है। श्रीमन्, यह कहते हैं कि 101 फैक्टरियां चलीं, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे सीजन में 101 यह आपकी फैक्टरियां कहां चली हैं। जो

फैक्टरियां बन्द हैं जैसे वाल्टरगंज तो उनको भी आपने जोड़ रखा है। तो आपकी 101 फैक्टरियां नहीं चल रही हैं। इसलिये काहे को डींग मार रहे हैं।

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से गन्ना पैदा हम लोग करते हैं। यहां हमारा जो मुख्य धंधा है किसानों का, वह ज्यादातर गन्ना है। श्रीमन्, प्रदेश के 37 जनपदों में गन्ना पैदा होता है। करीब 44 हजार गांव प्रदेश में गन्ना पैदा करते हैं और कुल करीब साढ़े 28 लाख किसान गन्ना पैदा करते हैं और सारे भारत में देखें तो 2 करोड़ 50 लाख किसान गन्ना पैदा करते हैं। आपकी 101 जो चीनी मिलें हैं, जिसमें 30 निगम की हैं, 28 सहकारी क्षेत्र की हैं, 38 निजी क्षेत्र की हैं और आपकी किताब के हिसाब से आपके यहां पांच रिसीवरशिप में हैं। क्या आपको ज्ञान है कि कैसे आपके अधिकारी किताब छाप देते हैं? रिसीवरशिप की एक मिल मिलमालिक को ट्रांसफर हो गई है। यहां पर केन कमिश्नर बैठे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि लश्कर, सहारनपुर की फैक्टरी मिल मालिक चला रहे हैं, कस्टोडियन के पास है या रिसीवरशिप में है। यह पिछले साल की फीगर इस साल में भी दे देते हैं। केवल दो का इजाफा सहकारी क्षेत्र में कर दिया है और बाकी को छोड़ा नहीं गया है।

आप योग्य आदमी हैं, जो यह बजट पेश करने के लिए आए हैं, इनसे आप कहा करो कि आंकड़े सही करके लेकर आया करें। उत्तर प्रदेश का जो गन्ना किसान है, वह 30 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को देता है, बाकी खांडसारी इकाइयों को देने, गुड़ बनाने, चूसने और बोने में खर्च करता है और उत्तर प्रदेश में 1800 से भी अधिक खांडसारी यूनिट्स हैं। अभी मैं मान्यवर, असली मुद्दे पर आया नहीं हूं, भूमिका ही बता रहा हूं। हम दुनियां को मीठी चीनी खिलाने वाले लोग, बाहर से चीनी मंगाकर खावें, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। भारत देश कृषि प्रधान है। हमारा मुख्य धंधा खेती है, चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो। हम गेहूं भी बाहर से मंगावें, चीनी भी बाहर से मंगावें, क्यों नहीं आप लोग डूब कर मर जावें। एक तो आपका मुख्य धंधा है, उसमें भी बाहर से मंगाकर खावें-चीनी भी बाहर से मंगवा कर खायें और गेहूं भी बाहर से मंगाकर खावें, तो आप किस लिए हैं। अब क्या केवल मिलावट और दलाली सरकार का धन्धा रह गया है।

सन् 52-53 में उत्तर प्रदेश देश के मुकाबले में जो चीनी पैदा करता था, वह आधे से अधिक चीनी पैदा करता था। हमारी हैसियत आधे से अधिक थी और रह गई है। किन्तु रिछारिया जी कह रहे थे कि हम तरक्की कर रहे हैं नई-नई मशीनें लगा रहे हैं। इनको कुछ पता तो है नहीं। श्रीमन्, हर साल चीनी का उत्पादन घट रहा है। इनकी किताब में 10 साल पुराना दिखाया गया है। हर साल इनका रकबा भी कम हो रहा है, इनके गन्ने की पैदावार कम हो रही है और चीनी भी कम पैदा हो रही है। मान्यवर, मैं रिछा-

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

रिया साहब को बताना चाहता हूं कि 1981-82 से लेकर हमारा उत्पादन हर जगह घटा है। आप पैदावार के हिसाब से देखें, चीनी उत्पादन के हिसाब से देखें

और पेराई के दिनों के हिसाब से देखें हर जगह घाटा है । अब मैं गन्ने के पेराई के दिनों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पहले 176 दिन फैक्टरियां चलीं, फिर 156 दिन चलीं और उसके बाद 126 दिन चलीं और पिछले साल केवल 95 दिन चलीं । आप 176 दिन से 95 पर आ गये हैं । फैक्टरियां हमारी कम चलीं हैं और आप कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। आपके अधिकारी पिछले आंकड़ों पर चिपकी चढ़ा देते हैं और जो फीगर भेज देते हैं उसी को आप पढ़ देते हैं । तो यह क्या हो रहा है ? आप मजाक कर रहे हैं, इस प्रदेश के साथ । अब मैं आपके सामने गन्ने पर इस साल जो संकट आया है, उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा , मंत्री जी नहीं समझ पाये हैं कि मैं कौन से गन्ने पर बोल रहा हूं । मुन्ना जी, अरुण कुमार साहब सुनिये इधर, जब आप और मैं इलेक्शन लड़ रहे थे और यह सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त यह गन्ना बोया गया था । अब इनकी समझ में आ जायेगा कि कौन से गन्ने की मैं बात कर रहा हूं । मोटी बुद्धि के हैं ये लोग, इसलिये देर में समझ में आता है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राम सरन जी इस सदन में बैठे हुये सम्मानित सदस्यों से सीधे बात कर रहे हैं । जो भी बात कहनी हो मान्यवर के माध्यम से वह होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो स्वाभाविक बोल रहे हैं, बनकर नहीं बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, शायद इन माननीय सदस्य को बुरा लग रहा है। मान्यवर, आपको और इन सबको अच्छा, लग रहा है। तो अब पिछले साल बजट सत्र था तो उस गन्ने पर पायरिला का प्रकोप था, अब वह गन्ना जब दूसरा बजट सेशन है तो वह आपके जरिये पिट रहा है। आपके जरिये उसकी लुटाई हो रही है। आज आप उसकी लुटाई कर रहे हैं, बड़ा बदकिस्मत गन्ना बोया गया था। बोया उस वक्त गया जब हम मैदान में चुनाव लड़ रहे थे, जब पिछला बजट पेश हुआ तो पायरिला का प्रकोप था और जब वह इस सम्य बिक्री के लिये आया तो इनका प्रकोप चल रहा है, सरकार का प्रकोप चल रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह पहला साल है जब ऐसी स्थिति है। अगर यहां पर गन्ना विभाग के अधिकारी हों, मैं आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की बात नहीं करता। वह तो बेचारे आज यहां के कलेक्टर हैं तो कल दूसरी जगह के होंगे। आज पी0डब्लू0डी0 में हैं तो कल सूचना विभाग में सिनेमा दिखाते फिरेंगे। उनका क्या, उनका कोई दोष नहीं है? आप उनको स्टेपनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पंक्चर कर गया वहां पर यह स्टेपनी लगा दी तो यह बेचारे आई0 ए0 एस0 स्टेपनी का काम करते हैं। तो श्रीमन् इस बार यह पहली दफा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी वाले लोग मिल वालों से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। बल्कि हमेशा से होता यह रहा है कि मिल वाले दूसरे लोगों से ज्यादा पैसा देते थे। पहली दफा यह उल्टा हुआ है कि आप दे रहे हैं 24 रु0 और खाण्डसारी वाले दे रहे हैं 32 रु0 और इस पर भी आप सीना तानकर कहते हैं कि हम लोग किसानों के लिए

बड़े लाभकर हैं और उन्हें ज्यादा दाम दे रहे हैं। जबकि इन खाण्डसारी वालों की रिकवरी भी कम है और दूसरी बात श्रीमन् जब खाण्डसारी वालों की रिकवरी खाण्डसारी वालों ने गन्ने की खरीद शुरू की थी पिछले साल तो वह 8-9 का भाव दे रहे थे और आखिर तक उनके क्या रेट हो गये और आपने शुरू से आखिर तक रु0 22 के 22 ही रखे और इस बार आपने केवल दो रु0 बढ़ाये हैं सिर्फ 22 के रु0 24/- कर दिए। फिर भी नारा यह कि हम किसानों के लिए ज्यादा लाभकर हैं, यह कहां के आपके आंकड़े हैं लाभकारी के, किस अर्थशास्त्री के यहां के हैं। श्रीमन् किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं, एक मोटी सी बात है जिसका निर्णय एक साधारण आदमी भी कर सकता है और श्रीमन् जब खाण्डसारी वाले 32 रु0 दे रहे हैं, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है तो आपको कैसे नुकसान हो रहा है।

हम लोगों की गन्ने की पैदावार कम की है, चीनी का संकट है, अच्छा है किसानों को ज्यादा दाम मिलें तो हम लोगों ने हड़ताल का नारा दिया और इन लोगों ने जब देखा कि खाण्डसारी वालों ने दाम क्या दिए तो आपने गुड़ और खाण्डसारी पर पाबंदी लगा दी ताकि मिल वालों के हाथ मजबूरन किसानों को गन्ना बेचना पड़े। आप लोगों के यहां (अर्थात गन्ना मंत्री के यहां) तो गन्ना पैदा होता नहीं, इसलिए आप लोगों का घेराव तो कोई कर नहीं सकता। गन्ना तो पैदा होवे है हुकुम सिंह के यहां, इसलिए इनके यहां के लोग इनका घेराव भी खूब करते हैं और गन्ना पैदा होता है देवरिया, बस्ती व तराई एरिया में, जो लोग यहां बैठे हैं और जो लोग गन्ने की पैदावार से सम्बन्ध रखते हैं, वह जानते हैं कि इस क्षेत्र में किसानों का क्या हो रहा है अगर आप किसी किसान से जिले में यह कहकर बता दें कि हम गन्ने का मूल्य किसानों को अच्छा दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी खैरियत नहीं, प्लास्टर बंधकर वहां से आवेगा क्योंकि आज किसान बहुत गुस्से में भरा है। तो श्रीमन्, जब खांडसारी वालों ने रेट बढ़ाये तो इन्होंने केन कमिश्नर से कहा कि एक ऐसा आर्डर निकाल दो, जिससे मजबूर होकर किसान अपना गन्ना 24 रु0 में फैक्ट्री वालों को दे दे। तो केन कमिश्नर के यहां से केन अधिकारियों को यह आदेश चले गये, यह आर्डर मेरे पास है, जब बहस शुरू होगी तो सामने आवेगा ताकि मिल वालों को 24 रु0 के भाव से मजबूर होकर यह किसान गन्ना दें। इस सम्बन्ध में यह किया गया कि निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों के क्रय केन्द्रों के ट्रांसफर कर दिये जैसे हमारे यहां गन्ना सहकारी फैक्ट्री जो देवबंद में है, उसके क्रय केन्द्र का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दिया। सरसावां को अकबालपुर में कर दिये, एक बीच में है, वहां पर कर दिये और कुछ निगम की फैक्टरियों को ट्रांसफर कर दिये। चूंकि विरोधी पक्ष के लोग बवाल करेंगे, पब्लिक में बात आयेगी और इनकी छीछा लेदर होगी, तब इन्होंने उस अपने आदेश को वापस ले लिया। अगर किसानों का हक काटोगे, तो बवाल तो हम करेंगे ही। मैं तो बवाल करूंगा, चाहे कोई करे या न करे।

अब मैं आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा जो जायज बात है। अधिकारी लोग बैठे हैं। हंसी से काम नहीं चलेगा लिखत-पढ़त में काम चलेगा।

सहकारिता मंत्री (श्री अरूण कुमार सिंह)— मैं तो आपकी सारी बात जायज मानता

हूं लेकिन अभी आपने कहा कि अब मैं आपके सामने जो जायज बात है, वह रखना चाहूंगा कि क्या अभी तक जो आप बात कह रहे थे, वह नाजायज बात थी?

श्री राम सरन–

मान्यवर, गन्ने का मूल्य कैसे जायज है, मैं यह कहना चाहता हूं। एक क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी निकलेगी, रिछारिया जी आप नोट करो, कहीं जाकर तौल लो और उस एक क्विंटल गन्ने से जो इनकी मैली, इनका शीरा, जो इनकी खोई निकलती है, पहले ये खोई बेचते नहीं थे, वह खोई वेस्ट हो जाती थी लेकिन अब उस खोई को पेपर वगैरह बनाने वाले कारखाने जो हैं वे खरीद लेते हैं। यह खोई पेपर बनाने के अलावा और भी काम में आती है। शीरा शराब बनाने के काम में आता है। इससे और भी बहुत सी चीजें बनती हैं। मैली से खाद बनती है। मैली की खाद गोबर की खाद से बहुत अच्छी होती है। कुछ मैली ऐसी होती है, जिससे चूना भी बनता है। तो श्रीमन् इन सब का दाम जोड़ कर 54 रु0 50 पै0 आता है और अगर कोई आपका बहुत बड़ा अधिकारी आवे, जो आपका बहुत बड़ा इक्सपर्ट हो, मेरे पास भेज देना या मैं उसके पास चला जाऊंगा। किसान के मामले में किसी के पास मुझे जाने में हिकारत नहीं है। आपकी फैक्टरी एक क्विंटल गन्ने में 54 रु0 50 पैसे पैदा करती है और लागत होगी साढ़े 7 रु0। इस साढ़े 7 रु0 में आपकी फैक्टरी की घिसाई, कर्मचारियों की तनख्वाह आदि आ जाती है। श्रीमन्, यह जो खर्च करते हैं एक क्विंटल गन्ना खरीदने पर और पैदा करते हैं 54 रु0 50 पैसे तो इससे शुद्ध 23 रु0 की बचत एक क्विंटल गन्ने में इनकी होती है। अब आपसे किसान की भी बात कह दूं। एक गन्ना अधिकारी इन्हीं के विभाग के थे, जो रिटायर हो गये हैं, अगर आप चाहेंगे, तो मैं उनका नाम भी दे दूंगा और उसको पेश भी कर दूंगा। एक क्विंटल गन्ना पैदा करने में किसान खर्च करता है, उसका आया है 31 रु0। जुताई, बोआई, खाद, पानी, सिंचाई सब जोड़कर लगाया गया है और आप उसे दे रहे हैं 24 रु0। किसान के हितैषियों आपको शर्म आनी चाहिए 31 रु0 की जगह आप 24 रु0 दे रहे हैं। किसान का बच्चा रात-रात भर पानी में खड़ा रहता है। ठंडे पानी में उसे खड़ा होना पड़ता है। मेरे लड़के खुद खड़े होते हैं पानी की सिंचाई के लिए। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है। डी0सी0ओ0 साहब पेंशन ले रहे हैं आपके विभाग से। इसको मैं आपके पास दे दूंगा और नाम बता दूंगा। आप उसको बुलाकर बात कर लीजिये।

श्रीमन्, आप किसानों को लाभ-दायक दाम नहीं दे रहे हैं जिससे कि उम्मीद करते हैं कि आप किसान के हितैषी हैं। हमने सन् 48 में रफी अहमद का जमाना देखा है। उनके जमाने में 2 रु0 मन गन्ना, 32 रु0 मन चीनी के भाव थे। गेंदा सिंह से लेकर गन्ने के जितने विशेषज्ञ आये हैं सबने एडे करा दिया है। मैं भी एडे करा दूं। श्रीमन्, 52 के चुनाव में इन्हें अकल कम थी। उसके बाद 57, 62, 67 तक इन्होंने शुगर इन्डस्ट्री से पैसा खींचना शुरू किया है। यह कांग्रेस आई वालों की साझेदारी है। इन्होंने कह दिया कि निश्चित रूप से इन्हें इनके चुनाव में पैसा देना ही पड़ेगा। यहीं से यह मामला बिगड़ा है। आप लोग जो चूसते हैं वह चुसाई छोड़ दें तो फैक्टरियां चल जायेंगी।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में वही हाल है जो आपने कोआपरेटिव विभाग में कर रखा है, ऐसे ही गन्ने वालों ने कर रखा है गन्ना किसानों के लिये कहीं जाना नहीं पड़ता कि

डेलीगेट का चुनाव कैसे होगा। जहां सोसाइटी का दफ्तर है, सब डेलीगेट इकट्ठे हो जायं और अपने डाइरेक्टर का चुनाव कर लें।

डायरेक्टर लोग यहां फेडरेशन के डायरेक्टर हो जायं। कौन सा पाकिस्तान ने जंग कर दिया, कौन सी आफत आ गई, क्यों नहीं चुनाव कराये आपने ? आप लोग दिल्ली जाते हैं कि हमको मंत्री बना दो, उसको हटा दो, महाराष्ट्र में रात दिन झगड़ा हुआ और रात में एक बजे मामला तय हुआ। जो किसानों की यूनियन है, जिसमें हमारा पैसा लगा है, उसको आप क्यों भंग किये हैं? इसका चुनाव आप कराइये । मान्यवर, अब मैं गन्ना ग्राम सेवक के बारे में कहना चाहता हूं। अब तो ग्राम सेवक भी ग्राम अधिकारी हो गया, अधिकारी से नीचे कोई रहना ही नहीं चाहता है। ग्राम सेवक भी अधिकारी हो गया, अब गांव का किसान अपनी बात किससे कहे ? मान्यवर, गन्ना ग्राम सेवक की संख्या 4 हजार है, एक गन्ना ग्राम सेवक 5 सौ एकड़ से 5 हजार एकड़ की देख-भाल करता है। यह अपर्याप्त है, इनको आप बढ़ाइये । अगर आप इस विभाग की तरक्की करना चाहते हैं तो जो कर्मचारी गांव में रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ाइये । 10 हजार गन्ना ग्राम सेवक की जरूरत है। आपका नाम हो जायेगा, 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और किसान को फायदा होगा मेरा एक आदमी मत रखिये, सब अपने आदमी रखिये, समर पाल सिंह के आदमी रखिये, कम पड़े तो डाक्टर कौशल से कहिए यह भेज देंगे।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि गन्ना ग्राम सेवक पहले सुपरवाइजर के अन्डर में होता था अब वह उसके अन्डर में नहीं है। उसका कन्ट्रोल नहीं है। स्थायी रूप से ग्राम सेवक सुपरवाइजर के अन्डर में किया जाना चाहिये । गन्ना ग्राम सेवक सीधे लिंक ऊपर बना लेता है और गांव के किसानों को लूटता है। पर्ची काटने का अधिकार उसको होता है। सहकारिता और निगम की फैक्टरियां हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं आज आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को इनका चरागाह बना दिया गया है। यह बात हम इधर और उधर के सभी कहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे के सारे छप्पनछूरी हैं । इसमें अच्छे लोग भी हैं। इन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को लगाने के बजाय विभाग के लोगों को इस विभाग में सेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं इनका विरोधी नहीं हूं । लेकिन हर जगह स्टेपनी का काम इनसे न लें ।

मान्यवर एक कहावत है, एक जाट हकीम था। उसके पास बीमारी में जायें तो एक दवा जमालगोटा थी, चोट लगी तो जमालगोटा, पेचिस हुई तो जमालगोटा, पेट में दर्द हुआ तो जमालगोटा तो हर मर्ज की दवा जमालगोटा। तो यह अपने आई0 ए0 एस0 को जमालगोटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, लेकिन लोग जिले का कलेक्टर रहना पसन्द नहीं करते, एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाना ज्यादा पसन्द करते हैं । मैं एक फैक्ट्री में यूं ही चला जाता हूं । मेरे यहां एक फैक्ट्री ननौता है, उसका गेस्ट हाउस बना हुआ है, आपके यहां का सर्किट हाउस ऐसा नहीं है। झांसी में नहीं है। ननौता का गेस्ट हाउस झांसी के सर्किट हाउस से अच्छा है। श्रीमन्, यह फिजूलखर्ची है, इस पर रोक लगाएं ।

आपकी फैक्ट्री की कारें दनादन फिर रही हैं। काम कैसे फैक्ट्री में चल रहा है, किसी फैक्ट्री में जाइये, मैनेजर कहां है, चपरासी बताता है, साहब चले गये।

उससे पूछा कहां गये? चपरासी ने कहा पता नहीं कहां गये, बच्चे साथ में थे। फिर बताता है कि सब कुम्भ में जा रहे हैं। साहब के बच्चे कुम्भ में जा रहे हैं। आपके प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग आपके अधिकारी पैट्रोल की शक्ल में कर रहे हैं। आप हंस रहे हो। गुन्ना पहले अच्छे थे, अब बिगड़ रहे हो, कांग्रेस छोड़कर इधर आ जाओ। यह जब किसी फैक्ट्री को टेक ओवर करते हैं तो उसका कुछ कारण होता है। या तो फैक्ट्री मजदूरों का पेमेंट रोक ले, किसानों का पैसा रोक ले, या सरकारी कर्जा ज्यादा हो जाय, तो इन सब कारणों से सरकार टेक ओवर करती है। एक फैक्ट्री आपने टेक ओवर की। उस पर 20-22 लाख का कर्जा था। आज उसके ऊपर कर्जा है साढ़े पांच करोड़ का। क्या तरक्की की है सरकार ने फैक्ट्री टेक ओवर करके। जिस पर 20-22 लाख का कर्जा था, वह अब साढ़े पांच करोड़ हो गया है, तो आप देश को कहां ले जाओगे? मान्यवर, अब मैं भाई सत्यपाल जी, एम0 एल0 ए0, शाहजहांपुर के बारे में कहूंगा। इनके यहां पर एक-एक गन्ना संस्थान बनी हुई है। वहां पर किराये के लोग आकर लेक्चर दे जाया करते हैं। इसी तरह एक गन्ना शोध परिषद् है, वहां पर जो शोध होती है, आज तक किसी को गन्ने के बीज की एक बोरी दी? पांच परसेंट बीज भी उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ऐसी संस्था ने नहीं दिया? सारा बीज कोयंबटूर चला जाता है। मैं भाई समरपाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे मुरादाबाद में शाहजहांपुर का बीज लेकर कभी बोये हैं। मान्यवर, यह सब अय्यासियों के अड्डे खड़े कर रखे हैं।

मान्यवर, यह मैं नहीं कहता, माननीय श्री बूटा सिंह जो केन्द्र में कृषि मंत्री हैं, उनका बयान है। यह है "बूटा सिंह ने उ0 प्र0 सरकार को आड़े हाथों लिया- गन्ना किसानों को 30 वर्ष में नई बीज किस्में नहीं दी गयी। 'केन्द्रीय कृषि मंत्री सरदार बूटा सिंह ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिये आड़े हाथों लिया कि पिछले 30 वर्षों से वह अपने गन्ना किसानों को गन्ने के बीज की नयी किस्में ही नहीं सुलभ करा पायी है।" यह दैनिक जागरण 16 फरवरी, 1986 में है। अब मान्यवर भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा देखें। लिखा है "गन्ने की पर्चियों पर खुले आम ब्लैक"।

श्री उपाध्यक्ष–

अखबार का नाम बता दें।

श्री राम सरन–

'यह दैनिक जागरण' 11 फरवरी, का है। पायरिला नामक रोग के बारे में किस को दोष दूं? यह रविवार में लिखा है "24 जिलों का गन्ना खा गये अधिकारी"। इसके बाद है चीनी की किल्लत में अधिकारी व्यापारी मालामाल। यह स्वतंत्र भारत में तीन किश्तों में छपा। यह दूसरे किश्त की हेडिंग है और यही तीसरी किश्त की भी हेडिंग है। मान्यवर, यहां पर आफिसर्स लाबी में अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो तौल केन्द्र हैं, इसमें पता नहीं क्या आला लगा दिया है कि हर किसान का 20 कुन्टल पर 1-2 कुन्टल के लगभग गन्ना मार दिया जाता है। यह मेरे पास कई जिलों से शिकायतें मिली हैं। मेरे जिले में भी ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं। मान्यवर, चाहे श्यामपुर मिल हो, इकबालपुर फैक्ट्री हो या नरोरा फैक्ट्री हो सभी जगह के लिये शिकायतें मिल रही हैं कि तौल में कमी हो रही है। मान्यवर, इस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। इस पर भी शासन ध्यान दे और इसे ठीक करायें।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पूरा-पूरा मौका दिया। बाद में भी मुझे मौका मिलेगा, मैं आपकी सेवा फिर करूंगा। मैं यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और इस पर बल देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट भाषण और कटौती का भाषण इन दोनों को मैंने ध्यान से सुना है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें शक नहीं है कि कोई भी विभाग हो, उसमें सुधार करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। पर, श्रीमन् जो माननीय राम शरण दास जी, ने कटौती का प्रस्ताव रखा, वह बिल्कुल सत्य से परे मालूम हुआ, उसमें जान नहीं मालूम हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान 2-3 बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें शक नहीं है कि गन्ने मूल्य के बकाये के भुगतान से पिछले 2-3 वर्ष से जिस तरह से सरकार निपटी है, वह बधाई के योग्य है। बड़े समय से काश्तकारों को बकाये मूल्य का भुगतान कराया गया। परन्तु, श्रीमन्, इस वर्ष समस्या जो है गन्ने मूल्य की नहीं अपितु गन्ने की है। गन्ने का क्षेत्रफल कम है, मिलों को उनकी पेराई क्षमता के मुताबिक गन्ना मिल नहीं रहा है और इस वर्ष चीनी के भाव जैसे हैं, उन सबको देखते हुए इसमें सरकार को कोई कठिनाई मूल्य भुगतान के बारे में होने वाली नहीं है, कोई उल्लेखनीय बात नहीं होगी। परन्तु, गन्ने के बारे में सरकार अभी भी चेत जाय। जो 15 मार्च का समय है आने वाले वर्षों में गन्ने की उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास आपको अभी से करने होंगे क्योंकि गन्ना जिस क्षेत्रफल में बोया गया है वह तो स्थिर रहेगा लेकिन उसमें से अधिक से अधिक कैसे उत्पादन किया जाये, इस पर आपको विचार करना होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने एक हेक्टेयर में पचपन टन गन्ने का उत्पादन का लक्ष्य रक्खा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप इस लक्ष्य को इसी साल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप काश्तकारों को समय से कीटनाशक दवाइयां व उर्वरक मुहैया करवा दें। मान्यवर, कई मिल क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी 55 से लेकर 60 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया जा रहा है।

श्रीमन्, समय कम है इस लिये मैं चीनी मिलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में तीन प्रकार की चीनी मिलें हैं। प्राइवेट चीनी मिलें भी हैं। कुछ चीनी मिलें निगम ने भी स्थापित की हैं और सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें लगायी हैं जिनसे आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन हुआ है और किसानों की हालत कुछ सुधरी है लेकिन जिस तरह यह कामधेनु गाय थी और चीनी मिलों से जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिल पाया। यह सही है कि निगम ने जो चीनी मिलें ली, वे पुरानी जर्जर अवस्था में और पूर्ण पेराई क्षमता नहीं रखती थीं परन्तु दूसरी तरफ निगम द्वारा कई नई मिलें भी लगाई गई। सहकारी क्षेत्र में सारी की सारी नयी चीनी मिलें लगायी हैं। इसके बावजूद भी जब हम अपनी नयी चीनी मिलों को प्राइवेट सेक्टर के चीनी मिलों से कम्पैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी नयी यूनिटों का लाभ व रिकबरी प्राइवेट सेक्टर के चीनी मिलों से बहुत कम है जब कि दोनों लोग गन्ने का एक ही मूल्य देते हैं। आखिर वह कौन से कारण हैं जिसकी

वजह से हमारी सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें अलाभकारी सिद्ध हो रही हैं ? इस समय आपके अधीनस्थ पचास इकाइयां नियंत्रण में हैं। यदि इनका सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में आप गन्ने के काश्तकार की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच नयी चीनी मिलें लगाने की बात कही है। मेरा सुझाव है कि आपके जो सीमित संसाधन हैं और आपके निगम के पास जो पुरानी मिलें हैं जिनकी पेराई क्षमता आठ सौ और सात सौ टन से भी कम है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं, उनकी पेराई क्षमता इतनी कम है जिससे वह अलाभकारी सिद्ध हो रही हैं। इसलिये पहले आप प्रत्येक चीनी मिल की दो हजार टन तक की पेराई क्षमता को बढ़ायें तभी आप काश्तकारों की समस्या को अधिक से अधिक हल कर पायेंगे और साथ ही साथ गन्ने की पैदावार भी बढ़ेगी।

आपने डिस्टिलरी के लाइसेन्स भी को-आपरेटिव फैक्ट्री को दे दिये, कैसा अन्याय है? होता यह है कि लाइसेन्स चीनी मिल को न मिलने के बजाय सहकारी मिल संघ, जो लखनऊ में बैठा है वह अपने नाम से ले लेता है और डिस्टिलरी से जो फायदा होता है वह तो अपने फायदे में डाल लेता है और जो घाटा होता है वह चीनी मिल में चला जाता है। इस लिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह सहकारी चीनी मिलों को ही दें जिससे चीनी मिलों को लाभ भी होगा और किसानों को भी फायदा होगा ।

मान्यवर, माननीय राम सरन जी ने वहां के मैनेजमेण्ट के बारे में कहा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि आई0 ए0 एस0 अधिकारी अधिक कुशल हैं, विभाग के अधिकारी अधिक कुशल हैं या तकनीकी अधिकारी ज्यादा कुशल हैं.... मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि जो कुशल अफसर हों, उनको रोकें । अगर कोई आई0ए0एस0 अधिकारी तीन साल के लिये चीनी मिल में जाता है और उसका ग्रेड या सीनियारिटी के हिसाब से नम्बर आ जाता है कलेक्टर बनने का, तो वह वहां से भाग लेता है । इस अवधि में वह काफी नुकसान करके कुछ मैनेजमेंट का सीखता है, लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो कहीं और चला जाता है । मेरा कहना यह है कि आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 के अधिकारी लें तो यह करोड़ों रु0 की फैक्टरियां हैं, कम से कम 10 वर्ष के लिये इसे फैक्ट्री मैनेजमेंट में रखें । इसी प्रकार, तकनीकी अधिकारी हैं, गन्ना मिलों के अधिकारी हैं, अगर मिलों में भेजें तो कम से कम 10 वर्ष के लिये भेजें । अगर तीन वर्ष के बाद हटायें तो अयोग्यता के आधार पर हटायें । इससे साबित हो जायगा कि अगर उसे तीन वर्ष में जाना पड़ा है तो यह अयोग्यता का प्रमाण होगा ।

नई चीनी मिलें लगाने के बारे में मंत्री जी के बयान की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा । उन्होंने कल ही कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां की जमीन गन्ना उत्पादन के अनुकूल नहीं है । क्या कारण है कि ऐसी जगह पर फैक्टरियां लगाते हैं, जो कि घाटे में चलती हैं ? आप अगर निर्णय कर लें कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र गन्ना उत्पादन के उपयुक्त हैं, जहां पर अधिकाधिक पैदावार मिलती है और चीनी का अच्छा परता मिलता है, वहीं पर चीनी मिलें लगायेंगे, तो यह समस्या सामने नहीं आयेगी। दूसरे क्षेत्रों के लिये दूसरे कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं । कल को लोग कहेंगे कि आगरा में पत्थर की खदान होती है तो हमारे जिले में भी लगा दें, लेकिन जब वहां पत्थर

नहीं है तो पत्थर की खदान लगाने से क्या फायदा होगा ? इसी प्रकार, चीनी मिलों के लाइसेंस ऐसी जगह के लिये दें जहां पर गन्ने का उत्पादन अच्छा हो और चीनी का परता अच्छा होता है।

गत वर्ष पायरिला का बड़ा प्रकोप हुआ, किन्तु प्रकृति की सहायता से वह पायरिला समाप्त हो गया, किन्तु प्रश्न यह है कि हमने क्या किया है ? जितनी दक्षिण भारत में चीनी मिलें हैं। जितनी भी दक्षिण भारत की चीनी मिलें हैं, उनके क्षेत्रों में पायरिला के परजीवी के प्रजनन केन्द्र हैं, जिससे कि मंहगी दवायें नहीं छिड़कनी पड़ती है। जब पायरिला का प्रकोप होता है, तो परजीवी खेतों में छोड़ दिया जाता है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में इस साल पायरिला के प्रकोप को देखते हुए आगामी वर्षों में इस खतरे से सस्ते और प्रभावी ढंग से निपटने के लिये परजीवी के प्रजनन केन्द्र स्थापित किये जायें। इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का गन्ने के विकास में विश्वास ही नहीं है। पिछले एक वर्ष से जब से नई विधान सभा आयी है, गन्ना विकास मंत्री की ही नियुक्ति नहीं की गयी। अस्थायी रूप से कभी रिछारिया जी को, कभी जिस पर मुख्यमंत्री खुश होते हैं, उसको दे दिया जाता है।

(इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

यह विभाग मुख्य मंत्री लिये हुए हैं। ऐसे-ऐसे सैकड़ों विभाग हैं। इस सरकार की गन्ना किसानों की समस्याओं में कोई रुचि नहीं है और न चाहते हैं कि प्रदेश में गन्ने की पैदावार बढ़े। आप देखें कि चीनी, जो हमारा मुख्य उत्पाद था, उसके लिये आयातित चीनी पर निर्भर होना पड़ रहा है। जिस देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती हो, उसमें भी अगर आवश्यकता के अनुरूप चीनी नहीं उत्पादित हो सकी तो यह हमारी सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनायें हैं और क्षमता भी है, अगर शासन की ओर से समुचित ध्यान दिया जाय, किसानों को प्रेरित किया जाय, तो हम बहुत चीनी का उत्पादन कर सकते हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रदेशों में भी चीनी पहुंच सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां प्रदेश में गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, वहीं इसके लिये तमाम कठिनाइयां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि कहीं समय से चीनी मिल नहीं चलती है तो कहीं समय से सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध कराया जाता है जिसके कारण से गन्ने की पैदावार में निरन्तर ह्रास होता चला जा रहा है।

मैं राजधानी के पड़ोसी जिले हरदोई से चुन कर आया हूं। वहां गन्ने की उपज बहुत अच्छी होती थी लेकिन गन्ने की खपत जहां होनी चाहिये वह वहां की इकलौती चीनी मिल पुरानी है और बीमार है। इस बीमार चीनी मिल के कारण जब गन्ना खपत होने से रह जाता है, मिल पुरानी और बीमार होने के कारण चल नहीं पाती है, तो वहां के किसानों ने अब बहुत कम गन्ना बोना शुरू कर दिया है। इस बीमार चीनी मिल को शासन ने अधिगृहीत किया है तो मेरा इसके साथ ही एक अनुरोध और है कि जहां सरकार ने इसे अधिगृहीत किया है वहीं इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधुनिकीकरण की व्यवस्था करा दें क्योंकि एक पुरानी चीनी मिल वहां की आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं है। पिहानी में एक चीनी मिल और स्थापित की जाय। केन्द्रीय सर्वेक्षण टीम यहां सर्वेक्षण करने के लिये आयी थी उसने भी यहां एक चीनी मिल लगाये जाने की संस्तुति की है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज आप इस सदन में इस बात का आश्वासन देंगे कि पिहानी (हरदोई) में आप एक चीनी मिल लगायेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि गन्ने के उत्पादन में एक ओर इनकी मंहगी खाद, मंहगी बिजली, मंहगा पानी, यह सब लेने के बाद जब गन्ने का समर्थित मूल घोषित किया जाता है तो वह इतना कम होता है कि गन्ना किसान सोचने के लिये विवश हो जाता है कि हम गन्ने की बुवाई करें या न करें?

मान्यवर, हम आयातित चीनी पर विदेशी मुद्रा खर्च कर सकते हैं लेकिन हम अपने किसानों को सुविधा और सहयोग नहीं दे सकते हैं जिससे कि यहां का किसान गन्ना का उत्पादन कर सके। यह विडम्बना है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे इसका उत्तर तलाश करें कि प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में कैसे सुधार हो और किसान गन्ने की उत्पादकता में रुचि लें।

एक बात और है कि हमारी जो गन्ना विकास समितियां बनी हुई हैं (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मुझे दो ही मिनट हुए हैं?

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैं कह रहा था कि जो गन्ना विकास समितियां हैं इनके चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए हैं। आज वह समितियां किसानों के हित के बजाय बल्कि किसानों का शोषण कर रही हैं क्योंकि वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आज पर्ची सेक्शन से ले करके तुलाई विभाग तक सब इसी में लगे रहते हैं कि कैसे या किस तरह से किसान को लूटा जाय? गन्ने पर जो किसानों के व्यक्तिगत कर के नाम पर पैसा काटा जाता है वह ग्रामीण क्षेत्रों में न लगा करके, इन्हीं समितियों में खर्च हो जाता है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आप स्वयं सोचिये कि गन्ना विकास समितियों में कैसे सुधार हो सके क्योंकि वह किसान है और मिल के बीच में बिचौलिये का काम करती है, यह किसानों के इन्टरेस्ट के लिये काम करती है।

पिछले वर्ष पायरिला का प्रकोप हुआ था सारे प्रदेश में और सभी इससे चिन्तित थे। इसके लिये शासन ने हर सम्भव प्रयास किये जिसके लिये गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से भी एप्रीसिएशन मिला था और यह प्रयास बहुत अच्छा बताया गया था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, या जो अन्य प्रकोप होते हैं जिससे कि पूरी फसल चौपट हो जाती है, इसके रोक-थाम की सुचारु रूप से व्यवस्था की जाय।

हमारी चीनी मिलों के तीन सेक्टर हैं। एक सहकारी चीनी मिल, दूसरी चीनी निगम द्वारा चलायी जाने वाली और तीसरी रिसीवर शिप में प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं। मेरा अनुरोध है कि शासन इन तीनों ही चीनी मिलों के लिए एक ही प्रकार की नीति बनाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस

सम्बन्ध में आप कोई एक नीति बनावें। नीति न बन सकने के कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं वह एक ही नीति के अन्तर्गत संचालित की जायें। इन शब्दों के साथ, मैं श्री राम सरन दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

मान्यवर, अन्त में एक बात कहकर, मैं अपना स्थान ले रहा हूं। हरदोई चीनी मिल का 3 करोड़ रुपया बकाया था और आज एक वर्ष हो गया है, उसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। गन्ने का मूल्य बकाया होने से किसान की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गयी है उसकी जवान लड़कियां बैठी हैं जिनकी वह शादी नहीं कर पा रहा है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बकाया रुपये का भुगतान जल्दी से जल्दी कराने की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि 5 बजे मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है और उसके बाद दो घन्टे की चर्चा है। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम समय में अपने सुझाव दे दें, तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री राम सकल तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य श्री राम सरन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, समय का प्रतिबन्ध जरूर लगाया गया है, परन्तु मैं जिस जनपद से आता हूं वहां पर सबसे ज्यादा शुगर फैक्टरियां हैं, 14 शुगर मिलें हैं। वहां पर बहुत सी बीमार मिलें हैं। निगम के अधीन होते हुए भी भटनी की जो मिल है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मान्यवर, मैं कुल 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि गन्ना शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गयी थी, स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह जी के प्रयास से उस शोध संस्थान की स्थापना हुई। मान्यवर, यह जानकर पूरे सदन को आश्चर्य होगा कि एक करोड़ रुपये से अधिक लागत से बना हुआ उसका भवन तैयार है, लेकिन आज तक वह भवन विभाग को सौंपा नहीं गया है, हस्तान्तरित नहीं किया गया है और उसकी स्थिति यह है कि उसकी छत चूती है। अभी विभाग को दिया नहीं गया है और छत चू रही है। एक करोड़ रुपया सरकार के खजाने से हो गया है, उसमें लैब बनी है लेकिन कोई काम उसमें नहीं होता है, क्योंकि भवन विभाग को सौंपा नहीं गया है। आप इसकी जांच करायें। और जो भी दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। जो भी वैज्ञानिक हैं, नये किस्म का गन्ना तैयार करते हैं, उसका लाभ गन्ना किसानों को नहीं मिल पाता है। मान्यवर, इसकी जांच करें। इससे कुछ इने-गिने लोगों की खेती करायी जाती है, जो जांच से मालूम हो जायेगा।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 22 गांव हैं और दो नदियों के बीच में हैं।

वहां पर गन्ने की खेती बड़ी अच्छी है। हमारे यहां पर गन्ना काश्तकारों को समय से भुगतान हो रहा है और जो उनको प्रतिवर्ष असुविधा होती थी उसको सरकार ने और गन्ना विभाग के अधिकारियों ने दूर कर दिया है, जो व्यवस्था की है वह सन्तोषजनक है और किसी तरह की कठिनाई नहीं है। अधिकारियों की उन्होंने व्यवस्था की, हमारे शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है केवल मुझे एक बात की शिकायत जरूर है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, 3 मिनट तो हमारे माननीय बाजपेयी जी ने ले लिये मुझे 2 मिनट तो दे दीजिये।

दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि हमारे गन्ना विभाग के प्रयास के फलस्वरूप इस साल कम क्षेत्रफल में गन्ना बोये जाने के बावजूद गन्ना की फसल इस साल अधिक है अपेक्षाकृत गतवर्ष के। जहां तक नियमों के सम्बन्ध में, यह बताया गया कि जो निगम हैं वह घाटे में चल रहे हैं और हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि यह चारागाह और आरामगृह है। इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि जिस स्थिति में मिलों का अधिग्रहण हुआ था, उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, चलने के काबिल नहीं थी, इसलिए पूंजी का लगना स्वाभाविक था। निगमों के द्वारा जो मिलें चलायी जा रही हैं इसमें मैं मानता हूं कि मिलों के नवीनीकरण न होने के कारण कुछ घाटा जरूर हुआ है लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि उसकी व्यवस्था में, कोई कमी आई है। मान्यवर, गत वर्ष की तुलना में निगमों के द्वारा चलायी जा रही शुगर फैक्ट्रीज की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा इस अवधि में 15 फरवरी, 1985 तक जितनी गन्ने की पेराई हुई थी उससे 15 लाख कुन्तल अधिक पेराई 15 फरवरी, 86 तक हो चुकी है और डेढ़ लाख क्विंटल चीनी अधिक पैदा हुई है गत वर्ष की तुलना में, निगमों के चीनी मिलों द्वारा। इसलिए यह कह देना ठीक नहीं है। वहां के मजदूरों को 8 दिन का, 10 दिन का बोनस दिया गया है। इसके अलावा जो भी प्रगति हुई है वह इस शासन के सहयोग से और शासन के द्वारा उठाये गये कदम से हुई है। और अन्त में एक बात यह कहूंगा, माननीय मंत्री जी से गन्ना विकास के मामले में विशेष आग्रह करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें।

श्री राम सकल तिवारी–

मान्यवर, गन्ना शोध संस्थान के सम्बन्ध में विशेष कदम उठायें ताकि उसका लाभ वहां के किसानों को मिल सके।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। हमारे गन्ना विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से हमारे यहां किसानों को लाभ पहुंचा है। पाइरिला के रोग से बचाने के लिए समय रहते ही वहां दवा का छिड़काव किया गया इससे हमारे वहां किसानों की पैदावार बढ़ी है और भ्रष्टाचार हमारे विभाग में मिटा है साल भर के अन्दर, इसमें दो राय नहीं है। इससे हमारे सम्मानित सदस्य भी सहमत होंगे। अन्त में मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और सम्मानित सदस्य द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिठाता महोदय, आपने मुझे

समय दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। अपने थोड़े से शब्दों में माननीय मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और अनुभवी माननीय राम सरन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं मानीय मंत्री जी ने आंकड़ों से यह साबित करना चाहा है कि उनके विभाग में विकास हो रहा है और

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

चीनी उत्पादन बहुत हो रहा है लेकिन आम जनता, 14 करोड़ जनता जिसकी यह प्रतिनिधि सभा, यह विधान सभा है उसको आपके आंकड़ों से कोई लेना-देना नहीं है, उसे आप चीनी नहीं खिला पाते हैं। बाहर से आपको चीनी मंगानी पड़ रही है। चीनी उत्पादन के आंकड़ों को बड़े बिस्तार से बताया गया है यह खेतिहर देश है और आजादी के 38 साल के बाद भी आपको बाहर से चीनी मंगानी पड़ रही है। इसके लिये आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी व्यवस्था में कोई न कोई दोष अवश्य है। इस दोष को आप खोजें। यह बहस का मुद्दा नहीं है, यह विचार करने का प्रश्न है। आप ऐसे जिलों की खोज करें जिनकी जलवायु गन्ना उत्पादन के अनुरूप हो और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, जिससे आपको बाहर से चीनी न मंगाना पड़े, बाहर से चीनी मंगाने से आपको करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा देनी पड़ रही है। अपने देश में ही अधिक चीनी पैदा करके आप विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

मान्यवर, यह तो गन्ना विकास विभाग है लेकिन बस्ती जिले के लिये यह गन्ना विनाश विभाग है। (सदस्यों के हंसने पर) हंसिये नहीं इस पर गौर करिये। बस्ती में गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी है। कुछ वर्षों पूर्व बढ़नी में एक गन्ना मिल थी जिसे पूंजीपतियों की साजिश से वहां से उखाड़कर मेरठ में ले जाया गया। पूर्वी जिलों के वाल्टरगंज और खलीलाबाद की चीनी मिलें हटाने में पूंजीपतियों ने आपका साथ दिया। कुछ लोग कहते हैं घाटा हो रहा है, कुछ कहते हैं कि मिल चलाने में परेशानी है। मैं कहता हूं कि घाटा हो रहा है, परेशानी हो रही हो तो हो लेकिन जो 50 वर्ष पहले से जो मिलें चल रही थीं जहां 50 वर्ष पूर्व चीनी बननी शुरू हुई थी और जिस पर पचासों हजार किसान, मजदूर से लेकर दुकानदार तक जिस मिल पर आश्रित हैं, उस मिल को किसी तरह से भी बन्द नहीं किया जा सकता। बस्ती, रामनगर, खलीलाबाद ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कांग्रेस के विधायक चुनकर आये हैं, दिल से पूछिये कि उन पर क्या गुजर रहा है। जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको किस तरह से घेरती है, उनका हल ये लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है, मेरी मांग है कि बढ़नी में मिल फिर से स्थापित की जाय। वहां पर आज किसान बीसों वर्ष से परेशान है। उन्हें सहायता करने के लिये बढ़नी में पुनः मिल खोलिये। वह गन्ना उत्पादक जिला है। सरकार की जिम्मेदारी है। 15 लाख रुपया वाल्टरगंज मिल मालिक को सरकार ने दिया, वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिलें आपकी घोषणा के बाद भी नहीं चली। क्यों नहीं आप इन मिलों को चलाते हैं? मंत्री जी खलीलाबाद और वाल्टरगंज मिलों के बारे में क्यों नहीं एक लाइन बोलते? ये मिलें क्यों नहीं चलाते? सच यह है कि आपका आदेश मिल मालिक नहीं मानते? इस प्रदेश में पूंजीपति शासक है या लोकतांत्रिक सरकार शासन में है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री धनराज यादव–

मिल न चलाने वाले पूंजीपतियों को जेल के सींखचों में बन्द करें। बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। अन्यथा इस्तीफा देकर आप हट जायं। हम लोग आयेंगे, सरकार चलायेंगे। या तो मिलें चलेंगी नहीं तो पूंजीपतियों को जेल में बन्द करो। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशि शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां से गन्ना आन्दोलन के जनक और प्रेरणा-स्रोत श्री गेंदा सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से यह आन्दोलन आगे बढ़ा है वहां से मैं चुनकर आयी हूं। मान्यवर, गन्ना किसानों की रीढ़ है। प्रदेश के लिये और औद्योगिक विकास के लिये यह एक आधारशिला है। इस प्रकार यदि हम इसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के परिपेक्ष्य में देखें तो इस आन्दोलन से पूरे देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लाभ हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस विभाग को जितना ध्यान इस ओर देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। किसान जो सुन्दर सपने लेकर सोता है, किन्तु उसे अन्त में निराशा ही मिलती है। किसान आज कर्जे में डूबता जा रहा है। हमारी सरकार ने एक वायदा किया था कि हम गन्ना किसानों को पेमेंट करेंगे, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं लेकिन अभी भी किसानों के लिये बहुत कुछ करना बाकी है। बीमारी की रोकथाम, सिंचाई की अच्छी सुविधा, अच्छे बीज किसानों को मिल सकें, इसके लिये हमारी सरकार ने प्रबन्ध किया है।

मेरे क्षेत्र में एक गन्ना बीज अनुसंधान संस्थान है लेकिन वहां पर अभी तक डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी है। मैं अनुरोध करूंगी कि गेंदा सिंह इंस्टीट्यूट का विस्तार किया जाय ताकि वह किसानों की सेवा कर सके। मुझे आज दुख इस बात का है कि किसान अपनी पारम्परिक खेती को छोड़ता जा रहा है क्योंकि मिल मालिक उसका शोषण करते हैं। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगी कि हमारे शासन की मंशा अच्छी है लेकिन उसमें कई बार प्रशासनिक तंत्र बाधक बन जाता है। कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हमारी योजनाओं को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और उनकी जिम्मेदारी नियत करें ताकि गन्ने की पैदावार को आगे बढ़ाया जा सके और गन्ना किसानों को राहत पहुंचाई जा सके।

चीनी का उत्पादन घटा है मैं अनुरोध करूंगी कि इस क्षेत्र में सरकार ध्यान दे। नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 21 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिये ऋण देने की योजना है। इसमें साढ़े 11 प्रतिशत पर लोन मिलता है, यह योजना किसानों के लिए लाभकारी है जो पिछले वर्ष लागू हुई थी। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं। मिलों के आधुनिकीकरण के लिए व्यवस्था की गयी है मैं अनुरोध करूंगी कि उसका फायदा मिल मालिकों को न हो बल्कि किसानों का फायदा हो। ऐसा न हो कि मिल मालिक सरकार से पैसा ले लें और आधुनिकीकरण न करें। मेरे

क्षेत्र में छोटे-छोटे सल्फर प्लांट लगाये जायं ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ताकि वहां के किसानों को प्रेरणा मिले अन्यथा ऐसी स्थिति आयेगी कि किसान इस रोजगार को छोड़ कर दूसरा धंधा अपनाना शुरू कर देंगे। इससे देश और प्रदेश का विकास रुक जायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं रिछारिया साहब द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और राम सरन जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राम सरन जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, गन्ना हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है, यह किसान की एकमात्र नकदी फसल है और हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। परन्तु गन्ना किसानों की सरकार द्वारा बराबर उपेक्षा होने के कारण किसान इस काम को छोड़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष इसका क्षेत्रफल सिकुड़ता चला जा रहा है क्योंकि सरकार द्वारा गन्ना किसानों को उत्साहित नहीं किया जाता है और न उसे उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाता है जिसके कारण गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और इस धंधे को छोड़ने के लिए विवश हो रहा है।

चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन सरकार किसान को उन्नतिशील बीज नहीं देती है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1148 कोयम्बटूर बीज जो दिया जाता है वह भी सूखने लगा है लेकिन इनके विभाग के पास दूसरा कोई बीज नहीं है जिसको किसान बो सके। इसी वजह से आज हमारे यहां गन्ना सूखने लगा है उसको काट कर किसान जला रहा है। सरकार जो कटौती देती है उसका फायदा मिल मालिकों को मिलता है उससे किसानों को फायदा नहीं मिल पाता है। गन्ना उत्पादन करने वाला चीनी बनाने वाला सबसे बड़ा, देश हमारा है लेकिन यहां आज चीनी विदेशों से आयात करनी पड़ रही है तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती है। सरकार इस उद्योग से अपनी जेब भर रही है इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती है क्योंकि कोई भी चुनाव होता है या कोई खर्च होता है तो सरकार चीनी मिलों से रुपया लेती है। यही नहीं हमारी सरकार आज सबसे बड़ी मिल मालिक है (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं ?

(श्री हरदेव के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी, आप शांत रहें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, तीसरी बात सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने प्रदेश में जो शोध संस्थान के नाम पर मजाक खड़ा किया है उसको सरकार निर्देशित करे कि पिछले 25 वर्षों में कितनी आपने प्रजातियां निकाली हैं।

मान्यवर, श्री राम सरन जी ने उदाहरण अभी दिया था, मैं लाभकारी मूल्य देने के लिये सरकार को सुझाव दूंगा कि किसान के गन्ने के भुगतान की शीघ्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था करें और गन्ने के भाव ठीक दिलायें। गन्ने से उत्पादित चीजें देश में कहीं भी बेचने पर रोक नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, चौथी बात मिलों द्वारा उत्पादित शीरे को 6 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाता है, इसलिये मेरी मांग है कि सरकार इसका भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाये।

मान्यवर, गन्ने की 10 प्रतिशत रिकवरी के हिसाब से यदि देखा जाये तो भाव 40 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। इसलिये सरकार से मांग है कि यह भाव किसानों को दिलाये जायं।

मान्यवर, आई0ए0एस0 और पी0सी0 एस0 अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी मिलों में प्रशासक बनना चाहते हैं चूंकि वहां पर इनके मजे हैं। मेरे जिले मुजफ्फरनगर में स्थित मोरना चीनी मिल का उदाहरण दूंगा। वहां पर तीन महीने सर्वदलीय आन्दोलन चलाया गया। चूंकि वहां का जी0 एम0 बेईमान था और नादिरशाह था परन्तु सरकार ने कुछ उसकी नहीं सुनी। एम0 डी0 और ज्वाइन्ट एम0डी0 ने रुचि ली और सुना किन्तु वहां का प्रशासक, जो कलेक्टर होता है, ने 4-4 लाख रुपये रिश्वत लेकर मिल को 40 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया क्योंकि कुप्रबंध के कारण मिल की टरबाइन टूट गयी किन्तु जांच के बाद सजा मिली चीफ इंजीनियर, एस0पी0 गुलानी एवं सहायक अभियंता, श्री एन0पी0 सिंह को। एन0 पी0 सिंह की बीबी को जनरल मैनेजर बलात रखता था किन्तु सिंह के मना करने पर वह नाराज हुआ और उसे फंसाया, आप इसकी जांच करा लें। चीफ इंजीनियर इसलिये हटाया गया चूंकि जी0 एम0 भुवनेश्वर द्वारा खरीदे गये 8 लाख रुपये के खराब बैरिंग को सर्टिफाई करने से उसने मना कर दिया था। श्री भुवनेश्वर को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था और एन0 पी0 सिंह जाट था, इसलिये इन लोगों को सजा दी गयी।

इसलिये मेरा सरकार और मंत्री जी से अनुरोध है कि इन अय्याशी के अड्डों की जांच करायें और मिलों का प्रबंध जन-प्रतिनिधियों को सौंपें और शीघ्र चुनाव करायें।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों के गन्ने का भुगतान यदि 14 दिनों के अंदर नहीं होता है तो मिलों को निर्देशित करें कि मय-ब्याज सहित पैसा किसानों को दें। मेरी यह भी मांग है कि मिल के क्षेत्रों में सड़कें बनायी जायं।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री राम सरन द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे बजट का विरोध करता हूं।

*श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए श्री राम सरन द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, गन्ने की फसल के लिये गन्ने की पैदावार के लिये 2-3 बातें मुख्य रूप से आवश्यक हैं। उनमें मुख्य रूप से किसान को अच्छे बीज उपलब्ध करायें जायं, अच्छी खाद और पानी दी जाये और फसल को कीटों की बीमारी से बचाया जाये। तो दो तीन बातें मुख्य हैं। अब किसान की पैदावार इन सब बातों के रहते अच्छी होती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब सवाल है गन्ने की कीमत का, उसे एक अच्छा लाभकारी मूल्य मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी मौजूदा सरकार ने किसान को लाभकारी मूल्य देने की जो कोशिश की है, वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आलोचना के तौर पर विरोध पक्ष का कोई माननीय सदस्य कुछ भी कह सकता है। हमें पिछले दिन भी याद हैं और सभी आंकड़े हाउस में मौजूद हैं। जो हालत गन्ने की उस समय हुई थी, जो दुर्दशा उसकी हुई थी, वह समय अभी दूर नहीं गया है। फिर भी मैं मानता हूं कि आज सभी बातों को महंगाई और किसान की कठिनाइयों को देखते हुए गन्ने का भाव और भी कुछ अधिक बढ़ा दिया जाए, तो यह कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है किसान के लिए। लाभकारी मूल्य उसे मिलना चाहिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में, यह मुख्य फसल है और इसकी आवश्यकता रही है। प्रदेश का विकास इसी पर आधारित है। करोड़ों-करोड़ों लोग इसमें किसान, मजदूर, अधिकारी और कर्मचारी के रूप में लगे हुए हैं। इसके विकास की गुंजायश भी हमारे प्रदेश में है। इसमें दो-तीन यूनिट्स हैं।

गन्ना समितियों की जो आज दुर्दशा हुई है उसको सुधारने की अति-आवश्यकता है और कम से कम 50 पैसा जो कमीशन मिलता था, एक रुपया उसको मिलना चाहिए। वहां सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए धन की आज अति-आवश्यकता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर सड़कें जो गन्ना समितियों द्वारा बनी हैं, उनकी आज मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। या तो स्वयं गन्ना विभाग उसकी मरम्मत कराये या फिर उन्हें पी0डब्लू0 डी0 को ट्रान्सफर कर दिया जाए, क्योंकि मरम्मत भी न हो सकने के कारण लाखों रुपये की लागत से बनी सड़कें बेकार हो रही हैं। हमारे जनपद में केवल 33 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों द्वारा क्रय किया जाता है, बाकी इधर-उधर चला जाता है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे क्षेत्र बघरा में एक भी चीनी मिल नहीं है और वहां के किसानों को 40-40 किलोमीटर दूर तक अपना गन्ना भेजना पड़ता है, इसलिए मेरे क्षेत्र के किताबी नामक स्थान पर एक चीनी मिल की स्थापना कर दी जाए। और फील्ड आफिसर की भी व्यवस्था की जाए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाएं, जो रह गया हो वह लिखकर भेज दीजिएगा।

श्री विष्णु देव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। गन्ना की फसल किसानों की नकदी फसल है। सरकार की जो गन्ना नीति है वह गलत है। जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, बता रहे थे कि किदवाई साहब के समय में जो फारमूला था, उस हिसाब से गन्ने का भाव कम से कम 40 रुपये कुन्तल का मिलना चाहिए। किसान को आज अपने गन्ने का उचित दाम नहीं मिलता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले कि गन्ने का दाम कम से कम 40 रु0 क्विंटल के हिसाब से किसान को मिले।

दूसरी बात, मेरे जिले में दो सहकारी चीनी मिलें हैं, जो घाटे में चल रही हैं। इस घाटे का एक मात्र कारण यह है कि वहां का किसान इस समय गन्ना तो ज्यादा पैदा करता है, लेकिन वह गन्ना मिलों को अपना गन्ने देने को

तैयार नहीं है। वह कोल्हू से गुड़ तैयार करता है। क्योंकि चीनी मिलों को गन्ना देने में अनेक कठिनाइयों के साथ-साथ, उसे अपने गन्ने का दाम भी मिलने में दिक्कत है। गन्ना देने के 15 दिन के बाद उसे दाम मिलता है और क्रय केन्द्रों पर कई तरह की लूट होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दूसरी मांग करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को क्रय केन्द्रों पर ही गन्ने के दाम दे दिये जाया करें।

तीसरा सुझाव, मैं यह देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है, मेरे यहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है गन्ना पहुंचाने के लिये कोई मार्ग नहीं है तो गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये उन क्षेत्रों में सड़कों को बनाने का काम करना चाहिये ताकि किसान का हौसला बढ़े। इसी तरह से किसान को समय पर खाद तथा पानी मिले तो उसका हौसला बढ़ेगा और वह अच्छी पैदावार करेगा। यह दुख की बात है कि सरकार को विदेश से चीनी मंगानी पड़ रही है। जिस देश और प्रदेश में इतना गन्ना पैदा हो सकता हो वहां दूसरे देशों से चीनी मंगायी जाय यह लज्जा की बात है। अगर किसान को फायदा पहुंचाया जाय, उसके गन्ने का सही मूल्य मिले तो वह अपने देश और प्रदेश में इतना गन्ना पैदा कर सकता है कि यहां की चीनी बाहर भेजी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की जो गन्ने के बारे में नीति है वह बदली जाय और किसान को प्रोत्साहन दें, सुविधा दें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करे। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। खास बातें जो मुझे कहनी हैं, वह मैं सुझाव के रूप में कहूंगा। मेरे यह अनूपशहर में एक सहकारी फेडरेशन की मिल है उस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में असावनी के उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु हैं। जो अल्कोहल फैक्टरियां लगी हैं उत्प्रवाह से वैकल्पिक उर्जा को बनाने के लिये 4 संयंत्र आ रहे हैं उनके लिये मैंने पिछले 2 माह से अनुरोध भी किया था और आज भी कर रहा हूं कि मेरे यहां की मिल अच्छी चल रही है आप वहां पर असावनी गंगा नदी के किनारे हैं और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की गंगा के प्रदूषण को दूर करने की बड़ी इच्छा है और तेजी से अभियान चला रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर बाई-प्रोडक्ट्स, अर्थात् उत्प्रवाह प्रयोग का जो संयंत्र है वहां पर देने की कृपा करें। दूसरी प्रार्थना अपने क्षेत्र के बारे में, मैं यह करना चाहता हूं कि वहां पर पायरिला का प्रकोप हुआ था तो उसके लिये काफी कार्य किया गया और लगभग 25 टीमें विभाग ने भेजी थी और उस पर कन्ट्रोल किया था। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जहां गन्ना-काश्तकारी एक व्यवसाय है। कास्तकारों के रोजगार का साधन है, वहां पर अनूप शहर में एक पायरिला कंट्रोल सेंटर को परमानेंट रूप से दे दें ताकि जिस समय वहां पर पायरिला का प्रकोप हो तो उस समय तेजी से काम हो सके। मैंने यह दो सुझाव दिये हैं। अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय राम सरन जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अधिक समय न लेकर 2-3 सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जनपद शाहजहांपुर के अन्दर एक सहकारी मिल पुवायां में लगने जा रही है । तो उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वह मिल जिस स्थान पर लगने जा रही है उसके बारे में काश्तकारों का महीनों से आन्दोलन हो रहा है और शाहजहांपुर के कलेक्टर के कार्यालय के सामने भी धरना दिया गया । वहां के लोग चाहते हैं कि यह मिल जहां पर लग रही है उसी के पास जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर मिल को बनाया जाय । उस बंजर को अधिग्रहीत करके उस पर मिल बनायी जाय और जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनकी जमीन न ली जाय उत्पन्न हो । तो इस तरफ ध्यान देकर इसको कार्यान्वित कराया जाय । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं केवल आलोचना करने के लिये, आलोचना नहीं करना चाहता, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी जहां तक मैं समझता हूं कि आप सदन में सन् 80 में आये हैं लेकिन मैं इस सदन में रहते-रहते बुढ्ढा हो गया हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप बुढ्ढे नहीं हुये हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं बुढ्ढा हो गया हूं । मैं माननीय मंत्री जी को गन्ना विभाग की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जो पहले कभी काफी मात्रा में बकाया हुआ करता था, मैं समझता हूं कि वह अब काफी कम रह गया है और जो रह भी गया है वह भी इसी प्रकार से जल्दी ही हो जायेगा । दूसरे मान्यवर, पायरिला से आज ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं और केन्द्र के एक मंत्री द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जो दवाएं लखनऊ से दी गयी हैं, वह इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी की बताई गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप गन्ना किसानों को काफी नुकसान हुआ और इस सिलसिले में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, आपने जो कदम उठाए ।

दूसरे, मुझे यह जानकारी मिली है उस फर्म का नाम ब्लैकलिस्ट से काट देने के लिए आप पर जोर डाला जा रहा है और यह आदेश हो रहे हैं कि वही फर्म पुन आपको अच्छी दवाई सप्लाई करे । इसलिए मेरा आपसे यही सुझाव है कि इस फर्म को दुबारा दवाओं की सप्लाई के आदेश न दिए जायं और मान्यवर, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि यहां के काश्तकारों की आमदनी जितनी रबी और खरीफ की फसलों से नहीं होती, उतनी एक गन्ने के फसल से आमदनी हो जाती है । यह कैश-क्राप है । अगर इन काश्तकारों को आप प्रोत्साहित करें और इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनकी मदद करें तो इससे आपके मुल्क की आर्थिक-स्थिति भी सुधरेगी और काश्तकारों में भी सम्पन्नता आयेगी, जितना की कम्प्यूटर से आर्थिक-स्थिति सुधरने वाली नहीं है । और मान्यवर, गन्ना सहकारी समितियों के पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रहीं हैं इसलिए इनके चुनाव शीघ्र ही कराने का कष्ट करें और मान्यवर, जितने आपके क्रय केन्द्र हैं, उनमें से कोई ऐसा क्रय केन्द्र नहीं है जो किसानों

का 1-2 क्विंटल गन्ना प्रति गाड़ी मार न देते हों । इसके लिए भी कोई समुचित व्यवस्था करें ।

दूसरे एक बात और मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में जो केन रिसर्च सेंटर है, इसके सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी कहा था कि वहां पर पहले एक एच0 एन0 सिंह डायरेक्टर थे, उनके जाने के बाद वर्षों से वहां कोई डायरेक्टर की व्यवस्था नहीं हुई है वहां पर शीघ्र ही डायरेक्टर की व्यवस्था की जाए । ताकि वहां का रिसर्च का काम अच्छी तरह से हो सके और जिससे वहां की जनता भी लाभान्वित हो सके । एक और सुझाव मान्यवर, देना चाहूंगा कि जिन छोटे-छोटे काश्तकारों को नोयडा के माध्यम से जो खाद्य वितरित की गयी है, मैं समझता हूं कि यह कार्य आपने अच्छा किया है परन्तु इसमें और गति की आवश्यकता है । दूसरे मान्यवर, जो पुवायां में चीनी मिल है, जिसका निर्माण अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है इसमें मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिनके पास बंजर भूमि है, उसी बंजर भूमि पर उस चीनी मिल का निर्माण कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शौनाथ सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने जो मुझे मौका दिया गन्ना बजट पर बोलने का । और माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, इससे पहले आज तक जिसे सभी स्वीकार करते हैं कि इससे अच्छा बजट किसी ने मान्यवर नहीं रखा जैसा कि माननीय गन्ना मंत्री जी ने रखा है

(मेजों की थपथपाहट)

और कटौती का प्रस्ताव जिन्होंने रखा है, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुगुणा जी की सरकार में 1974 में, मंत्री था। 1974 के पहले चौधरी चरण सिंह ने जो गन्ने का भाव तय किया था, जिस समय वह मुख्य मंत्री और मंत्री थे, उन्होंने यह तय किया था कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बुलन्दशहर इन चार जिलों में गन्ने का मूल्य एक रुपया ज्यादा मिलता था और उधर गंगा पार से उत्तर की तरफ बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ तक के जिलों में एक रुपये गन्ने की कीमत कम मिलती थी। मैंने इसके बारे में चौधरी चरण सिंह से कहा कि गन्ने के मूल्य में ऐसा मतभेद क्यों है कि उधर एक रुपया ज्यादा और इधर एक रुपया कम गन्ने का मूल्य मिलता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि खाद, पानी, बिजली, दवा आदि की कीमत सभी जगहों पर एक है, इसलिए भाव भी एक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह मेरा बनाया हुआ कानून है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। उस वक्त राम सरन जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, कहां थे? उस वक्त आप क्या किसान नहीं थे? मैं भी किसान हूं और आप भी किसान हैं, लेकिन उस वक्त आप कहां थे? 1974 में जब मैं मंत्री बना, तो मैंने दिल्ली का जो बोर्ड था, जो गन्ने की कीमत पूरे हिन्दुस्तान की तय करता है, उसमें मैंने यह सुझाव रखा कि गन्ने की कीमत सबकी एक होनी चाहिए, क्योंकि गन्ना

उत्पादन में सबकी लागत बराबर ही आती है। तो बोर्ड ने कहा कि आपका सुझाव सही है। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी उस बोर्ड की चेयरमैन थीं। उन्होंने यह कहा कि आपका सुझाव ठीक है कि इधर एक रुपया ज्यादा और उधर एक रुपया कम नहीं होना चाहिए।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

[ x x x ]

श्री अधिष्ठाता–

यह जो माननीय कुशवाहा ने कहा, यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री शैलनाथ सिंह–

तो उन्होंने बजाय 3 भाग के लखनऊ से पश्चिम और लखनऊ से पूरब दो भाग कर दिये और वह एक रु0 जो अन्तर था, उसे हटा दिया गया, और लखनऊ से पश्चिम वाले जिलों को बराबर कर दिया। यह कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, यह केवल यही गवर्नमेंट कर सकती है। चौधरी चरण सिंह ने तो किया नहीं था, जो आपके लीडर थे। उन्होंने तो यह कह दिया कि यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस सरकार जो है, यही एक ऐसी सरकार है, जिसने एक भाव किया। इससे किसानों को एक रुपया प्रत्येक कुंटल में बढ़ने से कितना फायदा हुआ? माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार इतनी बेहतर और ईमानदार है, जो स्वच्छ शासन प्रदेश को दे रही है। इससे अच्छी सरकार और कोई हो ही नहीं सकती है। यह जो बजट मंत्री जी ने रखा है, इससे अच्छा बजट आज तक किसी ने नहीं रखा। सन् 1947 से मैं गन्ने में चुना हुआ नुमाइंदा अब तक हूं। मेरे साथ गेंदा सिंह भी रहे, वीरेन्द्र वर्मा जी भी मुजफ्फरनगर वाले रहे। वीर बहादुर सिंह की सरकार ने जो आज गन्ने का बजट रखा है, इससे अच्छा बजट किसी सरकार ने नहीं रखा। मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से कि जो ईमानदार अफसर हैं, उनको प्रोमोशन मिलने चाहिए और जो बेईमान हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको सबक मिले। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं माननीय राम सरन जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

* श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस देश और प्रदेश में गन्ने की उपज अधिक होती है वहां यह खेद का विषय है कि सरकार को यहां की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर से चीनी मंगानी पड़ रही है। मान्यवर, 10 लाख टन चीनी इस देश को मंगवानी पड़ रही है, यह इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर ले जा रहा हूं और आज सौभाग्य की बात है कि जिन माननीय मंत्री जी ने गन्ना विकास का बजट प्रस्तुत किया है, वे भी बुन्देलखण्ड के ही रहने वाले हैं। आज तक गन्ना विकास के सम्बन्ध में बुन्देलखण्ड को इस शासन ने पूरी तरह से उपेक्षित

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की भूमि इस गन्ने की खेती के लिए अत्यन्त उपजाऊ है और वहां का वातावरण गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छा है परन्तु इस बजट में वहां गन्ने की खेती के प्रोत्साहन के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं और बुन्देलखण्ड पिछड़ा इलाका जैसे का तैसे पड़ा हुआ है।

सोयाबीन के बारे में कहा गया हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सोयाबीन की खेती के लिए कोई कार्य करें। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए आपने कोई कार्य नहीं किये हैं। वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में गन्ने की खेती के लिए प्रत्येक जिले में जिला गन्ना विकास अधिकारी की नियुक्ति करें और प्रत्येक विकास खण्ड में गन्ना निरीक्षक की नियुक्ति करें जो गांवों में जाकर गन्ने के सम्बन्ध में किसानों को जानकारी दें।

बुन्देलखण्ड में बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है, कोई फसल वहां नहीं हो पाती क्योंकि सिंचाई की वहां कमी है। गन्ने की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे अच्छा उत्पादन होता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बुन्देलखण्ड की तरफ गन्ने के विकास के सम्बन्ध में ध्यान दें और दूसरी बात यह है कि गन्ना विकास के लिए शुगर मिल की आवश्यकता है इसलिए शुगर मिल बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में एक-एक कर दी जाय। इस दृष्टि से भी गन्ने की खेती को प्रोत्साहन हो सकता है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्राइवेट मिलें हैं और बीमार पड़ी हैं माननीय मंत्री जी उन मिलों को अपने हाथ में हैंड ओवर कर लें और उसकी पूरी व्यवस्था करें। इसके लिए एक डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना की जाय और गन्ने की खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। चीनी मिल्स के लिए चेकिंग इन्सपेक्टर की नियुक्ति की जाय जो किसानों और उनके बीच में मध्यस्थता करें।

जिला कृषि अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जो आई0 सी0 आर0 के अन्तर्गत जो दिलकुशा में रिसर्च टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन बना है, प्रदेश के सभी जिला कृषि अधिकारियों को हायर ट्रेनिंग के लिए इसमें बुलवाया जाय ताकि वह अपने जिले में गन्ने की खेती का उत्तम प्रचार और प्रसार कर सकें। धन्यवाद।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय गन्ना मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस प्रदेश में 28 लाख परिवार गन्ने की फसल पर आश्रित हैं। गन्ने की आमदनी से वह अपने बच्चे की पढ़ाई, विवाह, उपचार आदि सब काम करते हैं। 28 लाख परिवार की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। इस तरफ सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ वर्षों में कदम उठाये हैं, गन्ने की खेती के विकास के लिए वह प्रशंसनीय है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश को देश में चौथा स्थान दिलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्यवाही हो रही है, वह स्वागत योग्य है। इस

विषय में, उन्नत प्रजातियां, अधिक चीनी का उत्पादन देने वाली प्रजातियां, प्रशिक्षण, अध्ययन दल द्वारा प्रशिक्षण, अच्छे बीज का उपलब्ध कराना आदि चीजें स्वागत योग्य हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष भुगतान के मामले में विशेष प्रगति हुई है। 90 प्रतिशत भुगतान किसानों को हो चुका है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि सड़कें जो गन्ना विभाग द्वारा बनाई जाती हैं, उनकी दयनीय दशा है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की। इन सड़कों को गन्ना विभाग या मिलों द्वारा ठीक कराया जाय न कि थोड़ा पैसा जो एन0 आर0 ई0 पी0 में दिया जाता है, उसकी तरफ देखा जाय। इन सड़कों को गन्ना विभाग द्वारा बनाया जाय। दूसरा अनुरोध मेरा वह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इस विषय में, कुछ उपेक्षित सा रहा। 3-4 मिलें बन्द हो गईं, या जो बाई प्रोडक्ट के कारखाने, आवसनियां लगाई गयी, वह सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगी है। जबकि अधिक से अधिक गन्ना पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है।

अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर भी ध्यान दिया जाये। एक बात, मैं वाल्टरगंज मिल के बारे में कहना चाहता हूं। उस मिल के क्षेत्र में 21 लाख टन गन्ना पैदा हुआ जबकि 6 लाख टन गन्ना दूसरी मिलों ने अभी तक उठाया है। वहां के मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, कोई उधार देने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस जगह पर या तो सहकारी क्षेत्र की या सार्वजनिक क्षेत्र की मिल लगाई जाय। गन्ना किसानों की मात्र एक फसल वहां गन्ना है। जो नवीन मिलें अगली पंचवर्षीय योजना में लगानी हैं, उसमें से एक बस्ती में अवश्य लगनी चाहिये। इसी प्रकार आवसनियों के भी एक बस्ती जिले में लगाई जाय। बस्ती इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसकी उपेक्षा न की जाय।

दूसरी बात, मैं कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा। इसमें सन्देह नहीं है कि गन्ना ग्राम सेवकों को बढ़ाना चाहिए, परन्तु उनके कार्य के ऊपर अंकुश भी लगाना आवश्यक है। जो गन्ना की पर्चियों की बलैक मार्केटिंग होती है, वह सब इन्हीं गन्ना ग्राम सेवकों के कारण होता है। जिसके पास कम गन्ना है, उसको अधिक पर्ची और जिसके पास अधिक गन्ना है, उसको कम की पर्ची देते हैं। दूसरी बात, मैं मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। मूल्य पर अनुसंधान की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर तुलसीपुर की मिल गन्ना ले जाती है तो अधिक मूल्य देती है और हमारे क्षेत्र की मिल गन्ना लेती है तो कम मूल्य देती है। मान्यवर, एक निवेदन मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में करना चाहता हूं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 15 प्रतिशत का आरक्षण है, वह उनको नहीं मिल रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा भूतपूर्व सैनिकों को 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय रामसरन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का

अवसर दिया । चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है और लाखों किसानों की जीविका का साधन गन्ना खेती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, पूरे भारत में, जितनी चीनी का उत्पादन होता था उसका आधा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। शासन की गलत नीतियों के कारण उत्तरोत्तर चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। 82-83 में 21 लाख टन, 83-84 में 17.27 लाख टन, 84-85 में 14 लाख 78 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस वर्ष 10 लाख एक हजार टन हो रहा है। मान्यवर, आप देखें पिछले 4 वर्षों में चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में आधा हो गया है। मान्यवर, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश शासन की चीनी के प्रति जो नीति है, वह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके कारण चीनी का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। मान्यवर, खबर है कि केन्द्रीय सरकार ने 1985-86 के लिए 10 लाख टन चीनी का आयात किया है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख टन चीनी आयात के लिए लिखकर भेजा हुआ है। उसका प्रबन्ध किया जा रहा है। मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इतना गन्ना पैदा होने के बावजूद विदेशों से चीनी का आयात किया जा रहा है।

मान्यवर, चीनी उद्योग के विकास के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। गन्ना किसानों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो किसान गन्ने की खेती नाम मात्र को करेंगे और गन्ने की खेती धीरे-धीरे नाम मात्र को रह जायेगी । मान्यवर, एक विशेष बात यह है कि गन्ना मूल्य और चीनी के मूल्य के बीच सामंजस्य बनाये जाने की आवश्यकता है। गन्ने का मूल्य 24 रुपये क्विंटल है और चीनी 700 रुपये क्विंटल बाजार में बेची जाती है। तो चीनी के मूल्य को देखते हुए गन्ने का मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल होना आवश्यक है, अन्यथा किसानों में गन्ने की खेती के प्रति बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को आज ही इसकी घोषणा कर देनी चाहिए, अन्यथा गन्ने की खेती काश्तकार कम करेगा। मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व गन्ना किसानों ने अनशन किया था गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए। उस अनशन को शासन ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुचल दिया। यह दुख की बात है कि जहां किसानों की बात सुननी चाहिए थी, वहां उनकी बात सुनना तो दूर रहा, उसको बुरी तरह से कुचल दिया गया।

मान्यवर, मैं आपसे विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि पर्चियां जो सहकारी समितियों से मिलती हैं, उसमें बड़ी धांधली है। इसी प्रकार सही तौल की भी व्यवस्था की जाय। सही पर्चियां दिलवाने की व्यवस्था की जाय। तौल में जो बेईमानी होती है, उसे रोकना आवश्यक है। मैं आपसे बदायूं जनपद के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि वहां की सहकारी गन्ना समिति का विशेष सचिव श्री जफर अली बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसके खिलाफ अनेक शिकायतें हैं । उसने गन्ना किसानों का बहुत शोषण किया है। उसका तबादला किया गया था, लेकिन रोक दिया गया। मैं चाहता हूं कि उस भ्रष्टाचारी अधिकारी का तत्काल स्थानान्तरण किया जाय।

अन्त में, एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। हमारे यहां दातागंज में 164 गांवों में केवल एक ही क्रय

केन्द्र है। मैं चाहूंगा कि वहां पर कम से कम 3 गन्ना क्रय केन्द्रों की और स्थापना की जाय। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने व अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं मंत्री जी के इस सुन्दर बजट के लिए तथा सरकार की उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूं। सरकार ने प्रदेश की मिलों की संख्या 94 से बढ़ाकर 101 की है। सरकार ने लगभग 3 हजार किलोमीटर सड़कों पर मिट्टी का काम किया है और एक हजार किलोमीटर सड़कों पर सोलिंग का काम किया है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि मानकर गन्ने के मूल्यों में वृद्धि की है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं पर अधिक भार न पड़े और उन्हें सस्ती चीनी उपलब्ध हो, इस ओर भी सरकार ने ध्यान रखा है। सरकार ने मिलों के उद्धार और विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, उनके लिए हमारे प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद देहरादून की सरकारी मिल डोईवाला शुगर मिल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर केवल एक ही जर्जर मिल है। वहां जितना गन्ना उत्पादन होता है, सब पेराई होने से रह जाता है। गन्ना लोगों को खेतों में जलाना पड़ता है या सहारनपुर भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस मिल का विस्तार शीघ्र करें। हाल ही में सरकार द्वारा 30 लाख रुपये की श्रमिकों की कालोनी बनाई जा रही है। वहां पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। वहां के प्रधान प्रबन्धक इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

इसी संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस वर्ष जो मिल चली है, प्रधान प्रबंधक की लापरवाही की वजह से अकारण तीन दिन 8 फरवरी, 10 फरवरी और 17 फरवरी को मिल बंद रही। इस कारण गन्ने की समय से पेराई नहीं हो पायेगी। इसी प्रकार इस मिल में 16 दिसम्बर, 1985 को चार हजार लीटर शीरे की चोरी पुलिस ने पकड़ी। प्रधान प्रबन्धक उस चोरी को बचाना चाहते हैं। उनकी शह पर यह चोरी हुई, लेकिन पकड़ ली गयी थी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्रय केन्द्रों पर कम तौलकर तथा संघ के चुनाव न कर किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, इस पर शासन शीघ्र ध्यान देकर उचित कदम उठावे।

मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की चीनी मिल में तमाम अनियमितताएं व्याप्त हैं। प्रधान प्रबंधक दूसरे जनपदों से लोगों को बुलाकर क्लास थ्री और क्लास फोर्थ की पोस्टों पर नियुक्ति कर रहे हैं। इसी कारण समय-समय पर हड़ताल भी हुई। सरकार इस ओर ध्यान दे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को गन्ना बीज की उपलब्धता और पाइरिला जैसी भयंकर बीमारी के रोकथाम व निराकरण आदि से जूझने के लिये उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में गन्ने के अलावा कोई और कैश क्राप नहीं है। हमारे यहां का गन्ना दो मिलों में है । एक रत्ना शुगर मिल और दूसरे मसौदा मिल में जाता है । रत्ना शुगर मिल बीमार मिल है । उसके मालिक आज इस हालत में पहुंच गये हैं कि वे वहां के मजदूरों को वेतन देने में असमर्थ हैं । 10 लाख रु0 से अधिक बकाया है उसका । दूसरे, किसानों का कई लाख बकाया है और फैक्ट्री एक महीने से अधिक नहीं चल पायी है । दूसरी फैक्ट्री जिसमें फैजाबाद जनपद का गन्ना जाता है मसौदा चीनी मिल वह 100 कि0 मी0 से दूर पूर्वी अंचल में है। ऐसी स्थिति में, हमारे यहां एक सहकारी चीनी मिल का प्रस्ताव था। मान्यवर, रत्ना शुगर मिल चन्द दिनों में खत्म होने वाली है । मान्यवर, यह बात कही जाती है कि वहां गन्ने का उत्पादन कम है, पूरा नहीं पड़ेगा । यह बात नहीं है, रत्ना शुगर मिल बीमार है और मर रही है । वहां मान्यवर, यह सहकारी चीनी मिल नहीं खुल सकती है, क्योंकि इसमें वहां के सत्ता धारी पार्टी के लोगों का हित अंतर्निहित है। मान्यवर, सदन के एक मंत्री का साला उस मिल में लायंजन आफिसर है । मान्यवर, इस तरह से जिन्दगी के नाम पर मौत का व्यापार करते हैं । इनकी भ्रष्टाचार की कहानियां पूरे प्रदेश के अंदर हैं । उनका सगा साला वहां लायजन आफिसर है, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि वहां पर सरकारी चीनी मिल खुले। मान्यवर, इनके एक सत्ताधारी पार्टी से सम्बन्धित व्यक्ति श्री जैतली अकबरपुर से खड़े हुए, उनको इस रत्ना शुगर मिल और मसौदा ने चुनाव में पैसा दिया, वह इस आश्वासन पर कि अकबरपुर में सहकारी चीनी मिल नहीं खुलेगी । मान्यवर, आज हमारे जनपद के लाखों किसान, जिनका भविष्य अंधकारमय है, उनकी जिन्दगी के साथ सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग सौदा करते हैं। मान्यवर, यह जो सत्तापक्ष में बैठे हुए हैं, इनके दोहरे चेहरे हैं । जब यह वहां किसानों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि मिल खुलनी चाहिये और जब फैसला लेने की बात आती है तो राय रखते हैं कि वहां गन्ना कम है। मान्यवर, मैं चुनौती दे रहा हूं अगर इस माननीय सदन के बुजुर्ग सदस्य श्री जयराम वर्मा जी यह एलान कर दें कि वहां गन्ना बिल्कुल नहीं है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा । फैजाबाद जनपद के माननीय सीताराम जी यहां मंत्री हैं, अगर वह कह दें कि वहां गन्ना कम है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मान्यवर, आप सदन के किन्हीं तीन सदस्यों की समिति मुकर्रर कर दें, यदि वह यह निष्कर्ष दे देंगी कि वहां गन्ना कम है, सहकारी चीनी मिल नहीं खुल सकती है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय राम सरन जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं धन्यवाद।

*श्रीमती उमा त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । इस वर्ष गन्ना मूल्य को सुनिश्चित कराने के लिये शासन को बधाई देती हूं। किसानों को बकाया धनराशि का भी सरकार द्वारा भुगतान कराया गया है जो गत वर्षों में कभी नहीं कराया गया । पाइरिला के संबंध में जो भी काम किए गये हैं वह बहुत ही सराहनीय है यह रोग फैल न पाये इस संबंध में विभाग के उच्चाधिकारी ने काफी अच्छा काम किया है और साथ ही जो दोषी व्यक्ति थे उनको दंडित भी किया है । माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ और कुशल प्रशासन बनाने की प्रतिज्ञा को पूरा किया है।

मान्यवर, इस समय गन्ना विभाग के अंतर्गत चार बीज निगम आते हैं यह चारों बीज निगम पहली बार फायदे में चल रहे हैं मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन निगमों को वह नाबार्ड स्कीम में ले आयें ताकि किसानों को समय पर उचित बीज उपलब्ध हो सके और साथ ही अन्य सुविधायें भी । हरदोई का जो चीनी मिल है इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि उसका आधुनिकीकरण किया जाये और साथ ही उसमें डिस्टिलरी की भी स्थापना की जाये। किसानों का हरदोई चीनी मिल के ऊपर जो पैसा बकाया है शासन द्वारा उसका तुरन्त भुगतान कराया जाये । इस संबंध में जो भी कानूनी अड़चनें आती हैं उससे किसान को बचाया जाये । गन्ना विभाग की कार्यकुशलता के कारण इस वर्ष गन्ने की पैदावार प्रति हैक्टेयर बढ़ी है जो कि पिछले वर्षों से काफी ज्यादा है । इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं । गन्ना किसानों के सड़कों का सम्पर्क मार्ग से जो जोड़ने की योजना है इसके लिये शत प्रतिशत आधार पर अनुदान दिलाया जाये ताकि गन्ना किसानों को इससे लाभ मिल सके। इसके साथ ही कर्मचारियों का जो प्राविडेन्ट फंड का पैसा बकाया है उसका भुगतान भी तुरन्त किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री बालेश्वर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राम सरन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया एक ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक चीनी मिलें हैं । पडरौना में 9 चीनी मिलें हैं जिसमें दो मिलें कानपुर शुगर वर्क्स की हैं जो पिछले साल के बकाये का भुगतान इस सत्र के 22 नवम्बर को शुरू होने के बाद तक की है ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

आज भी पडरौना मिल पर 2 करोड़ रु0 बकाया है, जो इस सीजन का है । वह भुगतान 15 जनवरी तक का ही कर रहे हैं। इस तरह से हमारा गन्ना किसान इतना त्रस्त हो गया है कि वह गन्ने की बोआई छोड़ने की स्थिति में है और सारी गन्ना मिलें बेकार हो जायेंगी । जहां एक ओर जल जमाव के कारण किसान तबाह था वहीं दूसरी ओर भुगतान की स्थिति खराब होने के कारण और तबाह हो रहा है । गन्ना समिति के लोग निष्क्रिय हैं। गन्ना ग्राम सेवक पर्चियों को बेचने का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं । भुगतान के मसले को लेकर आज तक किसान सड़कों पर नहीं आया था लेकिन 2 करोड़ रु0 किसानों का बकाया है जिसकी वजह से

उसे सड़कों पर आने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ।

हमारे भाई सत्ता पक्ष के श्री राम शकल तिवारी जी ने कहा कि गन्ना किसान खुशहाल है । मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया का किसान जितना त्रस्त है, शायद ही कहीं का होगा । छोटा किसान छोटे-छोटे क्रेशर लगाकर अपना काम कर रहा है, लगभग एक हजार क्रेशर लगे हैं, जिस पर 4-5 हजार वर्कर्स काम कर रहे हैं । गुड़ पर प्रतिबन्ध लगाकर इस सरकार ने किसानों का अहित किया है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गुड़ पर लगा प्रतिबन्ध हटाया जाय । यह दो तरह की नीति सरकार द्वारा की जा रही है । गन्ना समिति द्वारा गन्ना किसान को अक्टूबर के महीने में जो बीज और खाद दी जाती है, उस पर दो बार सूद लगता है, और गन्ना किसान को पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ है, तो उस पर कोई सूद नहीं दिया जाता है । मेरी मांग है कि इन पर्चियों को गन्ना किसान के कर्ज में समायोजित किया जाय । इसी के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक पुराने समाजवादी नेता और खड़ी बोली के प्रबुद्ध व्यक्ति माननीय राम सरन जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

माननीय गन्ना मंत्री जी ने पिछले वर्ष का लेखा-जोखा रखा और अन्य सम्बन्धित बातों पर प्रकाश डाला । इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रति वर्ष किसान अपने गन्ने के बकाया के लिये कहता था । पिछले वर्ष का करीब 99 प्रतिशत गन्ना किसानों को अदा कर दिया गया है । मेरे अपने क्षेत्र में जो मिल है, उसमें करीब-करीब सारे ही किसानों का पेमेण्ट हो गया है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । नाबार्ड स्कीम के जरिये जो 19 करोड़ रु0 दिया गया है, निश्चित रूप से उससे किसानों को फायदा हुआ है। माननीय राम सरन दास जी ने कई चिन्तायें व्यक्त की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों की चिन्तायें थीं । लेकिन एक तरफ वह मंत्री हैं, वह दल है, जो किसानों की समस्याओं के प्रति जागरूक है, एक दल वह है उसका भी शासन रहा, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को नकारता रहा किसानों की बात सुनना भी पसन्द नहीं करता था । इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पायरिला की महामारी फैली, तो हमारे गन्ना मंत्री जी ने पूरे मेरठ जनपद में छपरौली से खरखोदा तक का दौरा किया । जब किसानों ने कहा कि केन्द्रीय स्तर का भी कोई मंत्री होना चाहिये तो मा0 बूटा सिंह जी ने मा0 नरेन्द्र सिंह जी के साथ सैकड़ों खेतों पर जाकर पायरिला को देखा और उसका निदान किया । यह प्रकृति का प्रकोप था लेकिन यह कहने से नहीं चूकना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने, गन्ना मंत्री ने और मा0 मुख्यमंत्री ने जो अटूट कण्ट्रोल इस महामारी को रोकने के लिये किया, वह प्रशंसनीय है ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी जातियां और उपजातियां बोनी चाहिये, वह नहीं बोयी जाती हैं इसके लिये मेरठ में एक गन्ना शोध केन्द्र होना चाहिये । इसके साथ ही मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जिन अधिकारियों व किसान प्रतिनिधि मण्डल

ने आस्ट्रेलिया जाकर जो इस संबंध में जानकारी हासिल की थी, उसका फायदा भी उन संस्तुतियों को लागू करके, यहां प्रदेश के किसानों तक पहुंचाने की कृपा करें। जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाय, इसकी फर्टीलिटी को कैसे बढ़ाया जाय ? यह भी देखने की जरूरत है।

मैं चाहूंगा कि मेरठ में गन्ना अधिक पैदा होता है तो गन्ना के बाय-प्रोडक्ट पर आधारित, उद्योग लगाया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

इसके साथ ही मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे रिछारिया साहेब ने जो झूठा-सच्चा बजट रखा है, यह बहुत सीधे-साधे व्यक्ति हैं, न जाने कैसे चीनी के चक्कर में पड़ गये ? मैं समझता हूं कि गन्ना के विषय के प्रकाण्ड पंडित माननीय राम सरन दास जी से इन्हें राय लेनी चाहिये थी। मैं मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का विरोध करता हूं।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने का मूल्य कम है, किसानों के विकसित किस्म के गन्ने की कीमत वह बहुत ही कम है। इसके अलावा सूखा रोग हर साल उसमें लग जाता है, किसी किस्म से आप इसको समाप्त नहीं कर पाये हैं जिससे की किसान कुछ राहत महसूस कर सके और इससे मुक्त हो सके। पायरिला के लिये तमाम दवाइयों का छिड़काव कराया गया लेकिन उसके बाद भी गन्ना किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। मान्यवर, गन्ना की कीमत सुन कर तो हंसी आती है। इसके बदले अगर एक आदमी जंगल में जाकर दिन भर सूखी लकड़ी काटे तो उसे एक कुन्तल लकड़ी का मूल्य 60 या 70 रु0 मिल जायेंगे, लेकिन गन्ने की कीमत कुल 24 रु0 कुन्तल रखी गयी है। वह किसान जो साल भर गन्ना पर मेहनत करता है तब उसको उसकी कीमत मिलेगी केवल 24 रु0 कुन्तल और यदि एक आदमी केवल एक दिन जंगल से सूखी लकड़ी लाने में मेहनत करता है तो उस दिन की कमाई होगी 70 रु0 से लेकर 100 रु0 तक।

मान्यवर, इतनी कम कीमत होने के बाद भी गन्ना किसान का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा नहीं होता है। चीनी मिल मालिकान किसानों का शोषण कर रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं। गन्ने से कई चीजें बनती हैं जैसे चीनी बनती है, शीरा बनता है। एक कुन्तल गन्ने से जो चीजें उत्पादित होती हैं अगर उन सब चीजों को बेच दिया जाय तो आपको 54 रु0 का भुगतान होगा। उसमें से आप 24 रु0 किसानों को भुगतान के लिये देते हैं और 30 रु0 का लाभ चीनी मिल मालिकों को होता है। सारी चीजों को समायोजित करके जो 30 रु0 मुनाफा होता है उसका आधा किसानों को दिया जाना चाहिए और आधा मिल मालिकों को लेना चाहिये।

मैं मैनपुरी से चुन कर आया हूं। जब-जब वहां किसी विशिष्ट व्यक्ति का दौरा हुआ है, वहां श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह ने और श्री नारायन दत्त तिवारी जी ने भी दौरा किया था, सबने वायदा किया था कि मैनपुरी डाकू ग्रस्त इलाका है, यहां चीनी मिल लगेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैनपुरी में एक चीनी मिल की स्थापना करायें। इसके साथ ही, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भीखा राम–

मान्यवर, आपने जो सम्मानित सदन के सम्मुख मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, यह किसानों के लिये लाभकारी एवं सराहनीय है, इसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और जो विरोध पक्ष से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं प्रबल विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत एक खाण्डसारी मिल है, जो लगभग 4 साल से बन्द है और जो वहां के किसानों का बकाया है, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि उस खाण्डसारी मिल को चालू किया जाये और जो किसानों का रुपया बकाया है, उसका भुगतान कराया जाये। हमारे क्षेत्र से लगी हुई शाहगंज की चीनी मिल है। उसकी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। किसानों का पैसा बकाया है, मजदूरों की मजदूरी बकाया है जिसके कारण वहां के गन्ना किसानों का मनोबल गिरता जा रहा है। यह गन्ने वाला क्षेत्र है। वहां के गन्ना किसानों का जो रुपया बकाया है, उसका भुगतान कराया जाये और कर्मचारियों और मजदूरों का जो वेतन बकाया है, उसका भुगतान कराया जाये।

*श्री श्याम बिहारी सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, बरेली जिले के आंवला क्षेत्र से चुनकर मैं आता हूं। यहां पर गन्ना अधिक होता है और कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया कि यहां पर एक चीनी मिल की स्थापना की जाये, जिससे वहां के किसानों का गन्ना अच्छी तरह से पड़ सके। मान्यवर, हजारों बीघे में गन्ना खड़ा रह जाता है और उसको किसान जला देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आंवला क्षेत्र में मझगवां में एक चीनी मिल की स्थापना की जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गन्ने के सेन्टर कम हैं जिससे गन्ना नहीं पड़ पाता है। मान्यवर, जो पर्ची दी जाती है, उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से की जाये। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेश चन्द्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं गन्ना बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं केवल दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो हमारे क्षेत्र में जो खटीमा चीनी मिल है, उसमें अलकोहलिक बेस्ड उद्योग खोले जायें। जहां पर खोले गये हैं वहां पर बहुत लाभ हो रहा है। गोलापार और चोरगलिया का गन्ना 40 किलो मीटर दूर ले जाना पड़ता है, जबकि सितारगंज की मिल यहां से केवल 25 किलोमीटर पड़ती है। यहां का गन्ना किच्छा शुगर मिल को जाता है, तो मेरा निवेदन है कि यहां का गन्ना सितारगंज मिल में जाने की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस मिल का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां पर रिजरवेशन का कोटा पूरा नहीं है, इसको पूरा किया जाये ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस (आई0) प्राइवेट लि0 फर्म है और उसके नेता हैं [***] मान्यवर, दो महीना पूर्व वह देहात में दौरे पर गए थे और गेहूं के पेड़ को गन्ने का पेड़ कहने लगे। तो मान्यवर, जब उनको गन्ने के पेड़ के बारे में ही पता नहीं है, तो वह गन्ने का विकास किस प्रकार से करेंगे? और देश का विकास किस प्रकार से करेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम यहां पर नहीं लिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा समय इसी में जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप गन्ने पर बोलिये।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह उचित नहीं है, मैं इसे कार्यवाही से निकलवाता हूं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, हमारे कानपुर देहात में एक गन्ना मिल लगी है तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारे संदलपुर, रसूलाबाद, झीझक और डेरापुर में क्रय केन्द्र खोलने की कृपा करें। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण न तो गन्ने का विकास हो रहा है, न और किसी चीज का। जब तक दिल्ली की गद्दी पर किसान का बेटा नहीं बैठेगा तब तक न तो गन्ने का विकास हो सकता है और न किसी और चीज का। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इन गलत नीतियों के कारण गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। गलत नीतियों के कारण चौधरी चरण सिंह ने जवाहर लाल जी से अलग होकर जन कांग्रेस बना लिया। यह मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यह चरण सिंह की नीतियों को लागू करें और लोकदल की घोषणा को लागू करें तो लोकदल सरकार से अलग रहकर भी सरकार की मदद करेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

हमारे प्रदेश में जो क्रय केन्द्र खुले हुए हैं इनमें कम तौल होती है कृपया इसको दिखलावें ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और मा0 गन्ना मंत्री जी ने और उनके मेहनती और कुशल प्रदेश के अधिकारियों ने इस विभाग की उन्नति सफलता की छवि को बढ़ाया है और काफी विकास हुआ है। सबसे पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को इस विभाग से मिटाया है इसके लिए हमारी सरकार और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। क्रयकर वसूली में कीर्तिमान स्थापित किया गया है और गन्ने का मूल्य किसानों को समय से भुगतान किया गया है। हमारे प्रदेश में इस समय चीनी मिलें अच्छी दशा में चल रही हैं। गन्ना विकास कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से सफल बनाया गया है और कृषकों को समुचित ढंग से खाद और उन्नतिशील बीज का वितरण हुआ है और भविष्य में भी देने की व्यवस्था की जा रही है। चीनी का उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा काफी अधिक हुआ है। मान्यवर, इस विभाग में चीनी निगम ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। उ0 प्र0 चीनी की मिल निगम से 71-72 की तुलना में 8 गुना अधिक पेराई क्षमता बढ़ी है। वर्ष 71-72 में निगम की मिलों में पेराई क्षमता 4784 टन थी जो बढ़कर 84-85 में 38054 टन प्रतिदिन हो गयी। और इस प्रकार चीनी का उत्पादन 24 हजार टन से बढ़कर 290 हजार टन हो गया जो कि पहले के चीनी उत्पादन से बारह गुना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बिराजें।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, पिछले सत्र की तुलना में 15 फरवरी, 86 तक निगम की मिलों में 15 लाख कुन्तल गन्ना अधिक पेरा गया, इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 1.36 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन निगम की मिलों में अधिक हुआ है। आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण में भी चीनी निगम में अच्छा कार्य किया गया है। इसी तरह से पेराई की क्षमता में 8 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। लोग जानबूझ कर इसके बारे में जानकारी न होने से विरोध करते हैं। हमारे नेता विरोधी दल और भाई राम सरन जी बिना इसकी जानकारी के बोलना चाहते हैं। आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण में भी निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। मान्यवर, अब मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक "दि किसान सहकारी चीनी मिल" है। हमारी सरकार ने इसके पुनर्गठन के लिये 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी जिसमें से डेढ़ करोड़ रुपया आपने दे दिया है और जो डेढ़ करोड़ रुपया शेष है, उसे भी शीघ्र देने की कृपा करें। . . (व्यवधान)। इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जो रह गया हो उसे आप लिखकर मंत्री जी को भेज दें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है. . .

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि आपने विस्तार से रोशनी तो डाल ही दी है। 5 बजे से पहले इसको समाप्त भी करना है इसलिए आप बहुत संक्षेप में. . . .

*श्री राम सरन–

मान्यवर, बजट पेश किया है माननीय रिछारिया जी ने और कटौती का प्रस्ताव रखा है मैंने । इधर से भी लोग बोले और उधर से भी लोग बोले। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य बोले हों बल्कि ज्यादातर उधर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का विरोध तो किया है लेकिन विरोध करने के बाद फिर रोने लगे । क्या कहने लगे कि 4 साल से हमारे यहां की फैक्ट्री बन्द है। फिर कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत आप क्यों कर रहे हो? हमारे यहां चीनी मिल लगनी चाहिए, हमारे यहां यह नहीं हुआ, हमारे यहां वह नहीं हुआ, पर्चियों में घपला हो रहा है , हमारे यहां से ज्यादा उधर की तरफ से इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। यह सब बातें कह कर अन्त में उन्होंने बजट का समर्थन कर दिया। फर्ज अदायगी के लिये आप जो चाहें कहें।

मान्यवर. मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने, लक्सर की शुगर फैक्ट्री के बारे में जब मैंने गन्ना किसानों का मामला उठाया था तो उन्होंने इसी सदन में कहा कि हमारा यह निर्देश है कि 15 दिन से पहले फैक्ट्री का पेमेन्ट हो जाना चाहिए। ऐसे निर्देश सरकार के हैं कि किसी पर बकाया नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज उसका परिपालन नहीं हो रहा है। अभी सन्डे (इतवार) की शाम को मैं लक्सर स्टेशन पर गया तो वहां पर किसानों ने मुझे घेर लिया। यह मालूम हुआ कि 22 दिसम्बर से आज तक उन्होंने पेमेन्ट नहीं दिया। अब शायद इधर 1, 2 दिन के बाद हो सकता दे दिया हो। 3 करोड़ रुपया लोगों का उनके ऊपर बकाया है और वह भी इसी सीजन का है। लगभग 3 महीने का है । तो जो आपके निर्देश हैं उनका परिपालन फैक्ट्री के लोग कर रहे हैं, इसको आप दिखवा लें।

श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे बहुत से साथियों ने उधर से भी और इधर से भी, यह कहा कि हमारे क्षेत्र में चीनी मिल नहीं है, लगनी चाहिए। अगर चीनी मिल हर क्षेत्र में लगा दी जाय तो चमोली में भी लगवा दीजिये, देवप्रयाग में भी लगवा दीजिये तो फिर देख लीजिए, क्या भट्ठा बैठेगा। मेरा निवेदन यह है कि फैक्ट्री लगें लेकिन कहां लगें? कितनी लगें? इसका हिसाब होना चाहिए। उदाहरण के लिये यह नहीं होना चाहिए कि राय-बरेली की फैक्ट्री में घाटा चल रहा है । घाटमपुर फैक्टरी को पिछले साल तक गन्ना दिया। जिसके चारों तरफ ऊसर ही ऊसर जमीन हो, घाटे पर नहीं चलेगी तो क्या होगा ? क्योंकि वह गलत जगह पर लगी, इसलिए घाटा हुआ। जिस जगह पर वह फैक्ट्री नहीं चल सकती है वहां पर वह न लगे। दूसरी फैक्टरी आप वहां पर लगा दें। यही हाल घाटमपुर फैक्टरी का है। आप घाटमपुर में फैक्ट्री लगा दो मैं शर्त लगाता हूं वह फैक्ट्री चल नहीं पायेगी, वह गन्ना एरिया नहीं है गन्ना वहां हो नहीं सकता है यह बात आप सरकार के कानों में डाल दीजिये। गन्ना फैक्ट्री वहां लगे जहां गन्ना उपलब्ध हो सके, जहां जमीन अच्छी हो, सिंचाई के साधन अच्छे हों तो वही फैक्ट्री चल सकती है । मेरे सहारनपुर जिले में 7वीं योजना में एक चीनी की फैक्ट्री देने जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 6 फैक्ट्री लगने वाली हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वहां पर आप किस जगह पर फैक्ट्री लगायेंगे इसकी जांच करा लीजिये, अपने कमिश्नर से या विभाग के दूसरे अधिकारियों से जांच करा लीजिये कि कौन से एरिया में फैक्ट्री कामयाब हो सकती है? गन्ना नकुड एरिया में ज्यादा होता है। इस बात को आपके केन कमिश्नर जानते हैं वह हमारे यहां एस0 डी0 एम0 रहे हैं। तो जैसा मैंने पढ़ा कि 7 वीं योजना में सहारनपुर

को एक फैक्ट्री दे रहे हैं तो उसका एरिया गंगोह और नकुड़ के बीच में बैठता है। या फिर आप कहीं दूसरी जगह पर लगायेंगे या शिवालिक क्षेत्र में लगायेंगे तो वह फैक्ट्री नहीं चल पायेगी। फैक्ट्री वहीं लगाइये जहां जमीन अच्छी हो, सिंचाई के साधन हों इसका ध्यान रखना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप करें।

श्री राम सरन—

मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा। किसानों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि उनको नयी वैरायटी के बीज उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। आपके प्रदेश में तो इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान नहीं होता है, विभाग के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन कोयम्बटूर आदि में कुछ अच्छे बीज मिल सकते हैं वहां से नई वैरायटी के बीज मंगाइये। पहले 1148 नम्बर का गन्ना बोया जाता था जो अच्छा माना जाता था लेकिन अब वह भी बैठने जा रहा है। वह काफी दिनों तक चला है हर चीज की एक लाइफ होती है कि इतने दिनों तक वह चलेगा उसके बाद दूसरी वैरायटी देनी पड़ती है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे बीज मंगाइये जिससे किसानों को फायदा हो।

खाद के संबंध में भी एक बात कहना चाहता हूं, अधिकारी भी सुन लें यह जो मिक्सचर खाद देते हो इसे बन्द कर दो। सबसे ज्यादा मिलावट इस मिक्चर खाद में होती है और ऊपर से मिट्टी मिला देते हैं, वह किसान अपने आप बना लेगा। इसलिए इस मिक्सचर खाद पर पाबन्दी लगा दी जाय, नहीं तो किसान मर जायेगा।

एक बात कीटनाशक दवाओं के बारे में कहूंगा जो आप दवा लें, वह अच्छी कंपनियों की लें, जो सब-स्टैंडर्ड न हो, उनसे लें जिनके पिछले कारनामे खराब न हों जो ब्लैकलिस्टेड न हों, जिन्होंने किसानों को लूटा न हो। अच्छी फर्मों से दवा मंगायें और उसका दुबारा आप टेस्ट कराइये, तब किसानों को दीजिये क्योंकि उनको इसके दाम देने पड़ते हैं।

एक बात सट्टे के संबंध में कहूंगा। सट्टा जो आप करते हैं उसमें पहले यह होता था कि 3 साल का एवरेज निकाला जाता था किसान जो तीन साल तक गन्ना देता था उसको जोड़ कर 1/3 से भाग देकर निकलता था अब उसे आपने 4 साल का कर दिया है। इसलिए आप 3 ही साल का कराइये चार साल वाले में बड़ी परेशानी होती है।

एक बात और कहनी है, पूर्वी जिलों में 25 क्विंटल गन्ना जिस छोटे किसान के पास होगा और पश्चिम जिलों में 40 क्विंटल गन्ना जिस छोटे किसान के पास होगा जो एक या दो बुग्गी होती है उसके गन्ने को आप 90 दिन के अंदर लेंगे तो 25 और 40 क्विंटल गन्ना एक किसान का तीन महीने में लेंगे, तो किसानों के साथ क्या रियायत कर दिया ? मेरे कहने का मतलब है कि यदि जिसके पास एक दो बुग्गी गन्ना है तो उसको पहले हफ्ते में ले लें तभी वह गेहूं बो सकता है जिससे लाभ होगा वरना 90 दिन, तीन महीने में, कोई फायदा नहीं होगा।

इसलिए निवेदन है कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको मानें और यह भी कहूंगा कि आपके माननीय सदस्यों और श्री शौनाथ सिंह को भी हम लोगों के साथ चुनाव लड़ना है, यदि आप और चौधरी शौनाथ सिंह

24 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सन्तुष्ट हैं तो मुझे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं सन्तुष्ट नहीं हूं और शौनाथ सिंह जी आपके क्षेत्र बिजनौर के लोग एवं आपका लड़का भी शायद इससे सन्तुष्ट न हो। इसलिए गन्ने का भाव 10-15 रुपए और बढ़ा दें तो जाते-जाते भलाई ले लें।

अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब श्री रामसरन जी बोल रहे थे और उनको आप बीच-बीच में टोक रहे थे, बोलने के लिए तो जब वह अन्तिम वाक्य कह रहे थे तो मुझे एक कहावत याद आ गई और उसी से संदर्भित अभी एक विधायक श्री धनराज यादव ने एक बात कही थी कि वह मेरे बजट का इसलिए विरोध करना चाहते हैं कि मैंने सार गर्भित, संक्षेप में बात कही है और कटौती के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करना चाहता हूं कि निरर्थक लम्बी बातें कहीं हैं। लेकिन आप जो श्री राम सरन जी को बीच-बीच में टोक रहे थे, तो एक मिसाल मुझे याद आई कि आमतौर से हर "पोलीटीशियन" के बारे में मिसाल मशहूर है और वह विपक्ष के बारे में है कि "पोलीटीशियन" का अंतिम वाक्य पूरा नहीं होता है। तो आप चाहते थे कि वह अपना अंतिम वाक्य पूरा करें, उन्होंने वह किया, इसलिए उनको धन्यवाद।

मान्यवर, श्री राम सरन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रदेश है जो कुल गन्ने के उत्पादन का 30 प्रतिशत ही केवल चीनी मिलों में उपयोग किया जाता है। अन्य कुछ राज्यों में देखें—आन्ध्र प्रदेश 44.9 प्रतिशत गन्ने का उपयोग चीनी के लिए करता है, कर्नाटक 41.3 प्रतिशत, तमिलनाडु 47.4 प्रतिशत और पंजाब 22.4 प्रतिशत गन्ने का उपयोग चीनी के लिए करते हैं। इन प्रदेशों का नाम इसलिए लिया कि उनसे इनका बड़ा लगाव है। आप देखें जो राज्य इनके पास हैं, वह भी गन्ने का पूरा जितना उत्पादन होता है, उसको पूरा चीनी मिलें उपयोग नहीं कर पाती हैं। अपने प्रदेश में श्रीमन्, खांडसारी और गुड़ में गन्ने का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि गुड़ का उपयोग गांव का गरीब किसान करता है। बात यह जरूर गरीबों की करते हैं, लेकिन मदन में यह चाहते हैं कि उसके मिठास की कोई चीज रह न जाए। आप चाहते हैं कि गुड़ का उत्पादन पूरा बन्द हो जाए, लेकिन यह कैसे हो सकता है। गुड़ भी बनना चाहिए और सल्फर या भूरा भी बनना चाहिए और जो चीनी उपयोग करते हैं, उनके लिए चीनी भी बननी चाहिए। आपने एक बात यह कही कि हर वर्ष गन्ने का रकबा और उत्पादन घट रहा है, इसमें आप देखें कि चीनी का औसत उत्पादन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 12.97 लाख मी0 टन था, जो बढ़कर पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त में 14.63 हो गया। और श्रीमन् छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में वह बढ़कर 14.78 हो गया और इसे बढ़ाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 27 लाख मी0 टन करने का हमारा प्रस्ताव है।

उसी तरह से आप रकबे की बात को देखें, तो 55-56 में 7 लाख हेक्टर जमीन पर गन्ना बोया जाता था और अब बढ़ते-बढ़ते 14 लाख 70 हजार हेक्टर जमीन में गन्ना बोया जाता है। इसलिए गन्ने के रकबे और उत्पादन के बारे में इनका कथन किसी प्रकार भी सही नहीं है। इसी तरह से आपने एक बात और की थी, जब माननीय सदस्य खड़े हुए तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, रामसरन दास अब कटौती

का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रामसेवक से संबंधित एक बात कही थी। श्रीमन्, पंचतंत्र में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जो इस प्रकार है कि एक सीधा साधा आदमी अपने कंधे पर एक बकरी लेकर जा रहा था, तो उसे रास्ते में चार सयाने आदमी मिले। उन्होंने कहा यह मरी हुई गाय लेकर तुम कहां जा रहे हो। उसने कहा दिखाई नहीं देता, यह मरा हुआ बछड़ा नहीं बकरी है। फिर जब वह आगे बढ़ा तो शतरुद्र प्रकाश जैसे एक आदमी ने कहा अरे भाई यह तो गदहे का बछड़ा लेकर तुम... (व्यवधान) बछड़ा नहीं बच्चा सही, कहां जा रहे हो तो उसने फिर उससे कहा कि यह गदहे का बच्चा नहीं बकरी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा कि यह मरी हुई भेड़ है...

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को पहचानती खूब है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मैं नहीं चाहता कि शतरुद्र प्रकाश इस बिरादरी में शामिल होते। तो तीसरे आदमी ने भी कहा कि यह मरी हुई भेड़ है तो वह सीधा-साधा आदमी सोचने लगा कि कहीं वास्तविकता यही तो नहीं है, जो कहा जा रहा है। तो जो ग्रामसेवक और उसको आपने बताया कि वह ग्राम विकास अधिकारी हो गया है, कुछ ने उसका समर्थन किया, जबकि गन्ना विकास विभाग में वह व्यक्ति आज भी ग्रामसेवक ही है। तो कुछ लोग एक चीज को, एक मिथ्या चीज को बार-बार कहकर सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा ?

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात उठाई थी और कहा था कि सख्त कार्यवाही भ्रष्टाचार के संबंध में की जानी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि 31 जनवरी, 86 तक जो कार्यवाही की गई है उसमें वर्ग—1 के कर्मचारियों में, 6 ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षकों के ऊपर कार्यवाही की गई है और उनमें से 2 को निलम्बित किया गया है और 4 के ऊपर डिसिप्लनरी एक्शन लिया गया है। इसी प्रकार से वर्ग—2 में, निरीक्षक संवर्ग में 10 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और 11 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। 3 को चेतावनी दी गई है और 9 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 2 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। इसी प्रकार से गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग में 23 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। 14 को बिना निलम्बित किए हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और 10 आदमियों को चेतावनी दी गई है और 4 के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। इसी तरह से 60 ग्राम सेवकों को निलम्बित किया गया है और 32 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। 92 ग्राम सेवकों के मामले चल रहे हैं इनमें से 30 के मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। मान्यवर, माननीय सदस्य अब कहेंगे कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तो मैं कहना चाहूंगा कि एक मुख्य अभियंता, 3 रसायन विदों और एक मुख्य लेखाकार तथा एक उप मुख्य लेखाकार और एक सहायक अभियन्ता की सेवाएं समाप्त की गई हैं। उनके खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थीं इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त की गयीं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, बेकार भाषण करवा रहे हैं। पास करायें, ले जायें। खायें पियें मौज करें।

एक सदस्य–

प्रशासकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुन लीजिए ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इनको मैंने एक किस्सा सुनाया था, अब एक लाइन सुनाता हूं । रामायण हो गई है और इनको पता नहीं रावण राक्षस था या राम राक्षस थे । तो उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसको मैं बता रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया सूक्ष्म कर दीजिए ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसी तरह से राज्य चीनी निगम की जो मिलें हैं उनमें जो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है वह देखें। 2 सामान्य प्रबन्धक, एक मुख्य अभियन्ता, एक मुख्य रसायनिक (चीफ केमिस्ट) की सेवायें उनके अनियमित कार्यों की वजह से समाप्त की गई हैं । इसी तरह से मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कार्यवाही की गई है । तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम उठाये गये हैं और सख्त कार्यवाही की गई है । इसीलिए हमारी तारीफ की गई है । अभी वर्मा जी के आसन पर सत्यपाल जी बैठे थे तो उन्होंने तारीफ की, अगर कार्यवाही किसानों के हित में न की गई होती तो वह तारीफ कैसे करते । मान्यवर, अभी पायरिला सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि सब-स्टैण्डर्ड दवायें ली गईं तो जिन कम्पनियों की दवायें सब-स्टैंडर्ड पाई गईं, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, आई0 एस0 आई0 को लिखा गया है और निदेशक उद्योग विभाग से कहा गया है कि उनके ऊपर कार्यवाही करें, वह उनके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं । समय नहीं है, नहीं तो, मैं दवाओं के बारे में लिस्ट को पढ़ता । आप चाहें तो पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब न पढ़ें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि मैंने कहा था कि 101 मिलें चालू हैं, लेकिन बहुत सी मिलें चालू नहीं हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि एक को छोड़कर, पूरी 100 मिलें चली हैं । मेरे पास लिस्ट है कि किस डेट को मिल चलनी प्रारम्भ हुई और किस डेट को बन्द हुई हैं। ईस्टर्न जोन में 41 मिलों में से 10 बन्द हो गई हैं । ईस्टर्न जोन में 23 में से 9 बन्द हुई हैं और सेन्ट्रल जोन में 36 में 9, इस प्रकार से केवल 18 बन्द हुई हैं और इसी प्रकार से एक बात और कई मा0 सदस्यों द्वारा कही गई कि कोआपरेटिव मिलों में ज्यादा प्राफिट नहीं हो रहा है, मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, इस ओर भी काफी प्रयास हमारी ओर से किए गए हैं, जिसका नतीजा भी हमारे सामने है । कोआपरेटिव सेन्टर में वर्ष 1983-84 में जो हमारा ग्रास प्राफिट है, वह ननौता में 163.71 लाख रु0, अनूपशहर में 124.20 लाख रु0, रमाला में 89.72 लाख रु0 तथा सरसवा में 85.59 लाख रु0 है । और मान्यवर, इसी प्रकार से सन् 1984-85 में क्रमशः सेमीखेड़ा, ननोता, सितारगंज, बाजपुर, बेलारयान, अनूपशहर, वीसलपुर, रमाला और सरसवा मिलें भी जो 9 हैं, ग्रास प्राफिट में आई हैं । इसी प्रकार से वर्ष 1983-84 में निगम की पहले दो मिलें ग्रास प्राफिट में थीं, एक छाता दूसरी चांदपुर, जो वर्ष 1984-85 में बढ़कर 5 हो गयीं एक

खड्डा, डोइवाला, महोली, छात और चांदपुर आदि हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 मंत्री जी अब अपनी बात को कृपया संक्षिप्त कर दें क्योंकि अभी दो घन्टे की चर्चा भी होनी है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो इस पक्ष का नहीं हूं कि ज्यादा बात करूं, लेकिन श्रीमन् केवल एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आदरणीय राम सरन जी और अन्य मा0 सदस्यों ने बहस में जो हिस्सा लिया और अपने-अपने सुझाव दिए व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। केवल कुछ मा0 सदस्यों के अलावा कोई ऐसे सुझाव नहीं आए, जिनसे कोई रचनात्मक लाभ होता, फिर भी जो सुझाव आए हैं उन पर मैं विचार कर लूंगा। अतः क्या मा0 सदस्य जिन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह वापस लेंगे ?

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,46,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,24,52,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं। उसमें से श्री अशोक बाजपेयी जिन्होंने उ0प्र0 पंचायत राज एवं विकास निगम द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितता की सूचना दी है, को स्वीकार किया गया है और इसके अतिरिक्त श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, जिन्होंने पत्रकारों को विचलित करने के उद्देश्य से सरकारी खजाने के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो सूचना दी है, उसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

**अलीगढ़ जनपद के अतरौली में पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग के सम्बन्ध में चर्चा**

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आज सदन में एक बड़ी गम्भीर और दर्दनाक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अतरौली में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काण्ड हुआ जिसने एक गरीब कुम्हार के 10वीं कक्षा के बच्चे को हमेशा के लिए उसकी मां की गोद से छीन लिया और

उसके परिवार वालों को बेसहारा छोड़ दिया। दिनांक 24-1-86 को अतरौली में पुलिस के द्वारा बर्बर गोली काण्ड किया गया। मान्यवर, छात्रों का कोई कसूर नहीं था, अगर कसूर था तो मात्र इतना कि परीक्षा के दिन निकट आने के कारण बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से चले और मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाय, यह मांग कर रहे थे। इसके 10-12 दिन पहले वहां के परगनाधिकारी को वहां के छात्रों ने प्रार्थनापत्र दिया था कि उनकी परीक्षा निकट है, बिजली की सप्लाई ठीक न होने के कारण और मिट्टी का तेल न मिलने के कारण परीक्षा के दिनों में काफी कठिनाई आ रही है, इस नाते इन दोनों चीजों की व्यवस्था करने का कष्ट करें। हाकिम परगना ने उस कागज पर कोई ध्यान नहीं दिया। छात्रों में उत्तेजना स्वाभाविक थी। मान्यवर, 24-1-86 को बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से वे छात्र एस0डी0एम0 के सामने जाना चाहते थे, इन दोनों चीजों की मांगों को लेकर। इससे पहले प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा कि हम अधिकारियों से बात करके इस सम्बन्ध में व्यवस्था करायेंगे। हम इसके लिए प्रयास करेंगे. पर छात्रों ने कहा कि हम तो मात्र अपना ज्ञापन देने जाना चाहते हैं। हम लोगों ने 10-12 दिन पहले एस0डी0एम0 को लिख कर दिया था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग शान्ति पूर्वक जायेंगे और एस0डी0एम0 को अपना ज्ञापन देंगे। मान्यवर, एस0डी0एम0 के आफिस में यह सूचना भी करा दी गयी कि छात्र ज्ञापन देने के लिए एस0डी0एम0 के पास जाना चाहते हैं। एस0डी0एम0 के बाबू ने वह पत्र प्राप्त किया और वह पत्र शायद थाने में भेज दिया गया। उसके बाद थाने से पुलिस तुरन्त दौड़ पड़ती है। दर्दनाक कहानी की शुरूआत यहां से होती है। एस0के0 सिंह, एस0आई0, जीत सिंह, यदुबीर सिंह, राम बाबू थाने से पहुंचते हैं। जीत सिंह पहले से लड़कों से चिढ़े हुए थे। वह पहले भी स्कूल में गये थे और वहां पर जाकर लड़कों से ऊल-जलूल बातें कही थीं। उस पर लड़कों ने ही-ही, हू-हू कर दिया था, उसने समझा कि हमारा अपमान कर दिया। यह मौका उसे बदला लेने के लिए 24-1-86 को मिला। जीत सिंह ने कालेज में जाकर बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी झगड़े के फायरिंग कर दिया। जो लड़के क्लासेज में पढ़ रहे थे, उनको क्लासेज से खींच कर मारा, अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किया। जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अध्यापकों को गाली-गलौज दिया। कुछ लड़के क्लासेज में थे, कुछ बाहर थे, वे गोली के आतंक से डर गये। जीत सिंह कालेज से चल कर, थाने से और पुलिस लेकर वहां पर पहुंचा। कुछ छात्र कालेज से जुलूस बनाकर निकल रहे थे। कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई नारे गलत नहीं लगा रहे थे परन्तु चूंकि जीत सिंह के अहम को चोट लग चुकी थी, एस0 डी0एम0 वहां पर मौजूद था, दरोगा ने उनसे कहा कि गोली चलाने के आदेश दो, उन्होंने आदेश नहीं दिया। अगर गोली चलाना आवश्यक होता तो मैजिस्ट्रेट निश्चित रूप से गोली चलाने का आदेश देता।

हमारे माननीय मंत्री जी सुरेन्द्र सिंह चौहान ध्यान दें कि एस0डी0एम0 ने गोली चलाने का आदेश देने से इन्कार कर दिया, लेकिन आपके दरोगा का अहम था और उसकी तुष्टि होनी चाहिए थी। जब दरोगा ने देखा कि लड़के भाग रहे हैं तो उसने गोली चला दी। एक लड़का गोली से घायल हो गया और गिर गया। गिरने के बाद उसके साथ जो व्यवहार किया गया उससे तो पशुता भी शर्मा जायेगी, दरिन्दगी भी शर्मा जायेगी। ब्रिटिश जमाने के अत्याचार की बातें हम सुनते हैं लेकिन इस मामले

में ब्रिटिश सरकार से भी ज्यादा अत्याचार देखने में आया। वह लड़का जब गिर गया तो उसे तुरन्त उपचार की आवश्यकता थी परन्तु उसकी टांगें पकड़कर अतरौली में एक बरगद का पेड़ है, वहां तक उसको पकड़कर खींचा। उसके सिर जमीन पर लड़-खड़ा रहा था। गोली लगने के कारण उसकी आंतें निकल आई थीं। गोली पीठ में लगी थी। पुलिस ने उसकी निकली हुई आंतों को बूटों से कुचला, डंडों से पीटा, उसको पीटा जो मरणासन्न था। उसके बाद एक तांगे में, जहां आपने देखा होगा सामान बांधने की जगह बनी रहती है, उस स्थान पर उसको रस्सियों से बांधा गया और थाने में ले जाया गया और थाने में ले जाकर रस्सी खोलकर उसको फर्श पर पटक दिया गया जैसे कोई निर्जीव चीज हो, जैसे कोई आलू का बोरा हो, जैसे ही उसको रस्सी से खोला गया वह फर्श पर गिर गया। उस समय, वहां पर श्री महेश चन्द्र दीक्षित, जो कि एक अच्छे वकील हैं, उस लड़के के पास गये और काफी कहा सुनी तथा काफी देर के बाद उसको अलीगढ़ ले जाने की व्यवस्था की गई और अलीगढ़ ले जाते समय हरदुआगंज थाने के आस-पास वह दम तोड़ गया। अगर उसके तुरन्त उपचार की व्यवस्था की गई होती तो उस गरीब दसवीं क्लास के छात्र के प्राणों को बचाया जा सकता था।

[ समय 5 बजकर 20 मिनट ]

उसके बाद अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए एक और कहानी पुलिस ने गढ़ डाली। वहां पर थाने के आस-पास वकीलों के कुछ झोपड़े हैं जहां उनके तख्त और कुछ और सामान रखा रहता है, वहां पर पुलिस ने आग लगा दी स्वयं आग लगा दी। यह कहानी गढ़ने के लिए कि जो आरोप लगाया जा रहा है, वह छिप सके। आप देखें कि थाने की छत पर से बराबर गोली चल रही है, बराबर राइफलें [illegible] रही हैं, उस समय जनता का कोई भी आदमी कैसे दुस्साहस कर सकता है कि वह झोपड़ों के पास आग लगाने जाय। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने आग लगाई और जो सामान इधर-उधर पड़ा था वह पुलिस ने राइफल की संगीन से कूड़े-कबाड़े से इधर-उधर से बटोरकर जलते झोपड़ी में डाला। 70 वकीलों की झोपड़ियां जल कर खाक हो गयीं। 75 हजार रुपये का नुकसान हुआ। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है। वहां के संभ्रात नागरिक थाने गये, उस दर्दनाक कहानी के खिलाफ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए नागरिकों ने न्याय मांगना चाहा। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं कि जीत सिंह का अहम इतना बढ़ गया था और वह इतना पागल हो गया था कि एस0एस0पी0 रैंक के अफसर की मौजूदगी में भी उन संभ्रात नागरिकों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। लोगों को पकड़कर थाने में बैठाला गया और 4 घंटे बाद पुलिस ने एक कहानी तीन पेज की बनाई, जिसकी फोटो स्टेट मेरे पास है। साढ़े 12 बजे से साढ़े 4 बजे तक, 4 घंटे उन लोगों को थाने में बैठाला गया और इसलिये बैठाला गया कि इनकी रिपोर्ट ठीक साढ़े 4 बजे अंकित की गई है। 4 घंटे की विलम्ब को कहीं न कहीं तर्क कुतर्क से सही सिद्ध करना था। किसी गांव से कोई आदमी एक दो किलोमीटर चल कर जायेगा तो एक दो घंटे लग सकते हैं। किन्तु जीत सिंह तो थाने में ही मौजूद था उसकी रिपोर्ट में 4 घंटे का विलम्ब हुआ, इसमें कोई तर्क काम नहीं कर रहा है। एस0एस0पी0 की मौजूदगी में संभ्रात नागरिकों पर लाठी चार्ज क्यों? एक बात कही जाती है कि पुलिस ने आत्म रक्षा के लिये गोली चलाई। आज, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री के बारे में कुछ

नहीं कहना चाहूंगा। आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, भीड़ भाग रही है, भागते हुये छात्रों पर जो गोली चलाई गई, उसमें मृतक छात्र की पीठ में गोली लगी है, इसकी फोटो स्टेट है, उसकी पीठ में गोली लगी है, पीठ पर गोली लगी है, इसका अर्थ है कि छात्रों की भीड़ भाग रही थी। लाश का फोटो स्टेट मेरे पास है। भागने वालों से पुलिस को अपनी जान का खतरा था, यह बात समझ में नहीं आती है। एस0डी0एम0 मौके पर मौजूद था। उसने कोई खतरा छात्रों की ओर से नहीं माना क्योंकि वास्तव में खतरा नहीं था इसलिये एस0डी0एम0 ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, गोली चलाई गई। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था। जो आत्म रक्षार्थ पुलिस वालों ने गोली चलाने की एक कहानी और गढ़ी कि हमें बहुत चोटें आयीं, हम गोली न चलाते तो मारे जाते। मान्यवर, पुलिस वालों को कितनी तथा कथित गम्भीर चोटें आयी है, उनका विवरण मेरे भी पास है। मेरे पास संयोगवश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली का मूल पर्चा है, जिसमें इनकी डाक्टरी की गई और डाक्टर ने दवा लिखी। एक हैं जीत सिंह, एस0 आई0 इनके पर्चे में लिखा है इंजरी नोटेड सी0एण्ड डी0 और उस गम्भीर चोट के लिये दवा क्या लिखी गई। एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार। एक हैं वेदपाल सिंह, एस0आई0 इंजरी नोटेड, सी0 एण्ड डी0 दवा क्या लिखी गई, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार। एक हैं एस0 के0 सिंह, एस0 आई0 इंजरी नोटेड सी0 एण्ड डी0 दवा इनको भी वही एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार लिखी गई। किसी के पर्चे में इंजरीज नहीं है, सब में इंजरी लिखा गया है। चौथे हैं गनेश पाल सिंह, इंजरी नोटेड, सी0 एण्ड डी0 दवा, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार, एक हैं विजय सिंह कांस्टेबिल इनके पर्चे में भी वही लिखा है इंजरी नोटेड, सी0 एण्ड डी0 दवा, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार, एक हैं लाल सिंह, कांस्टेबिल इंजरी नोटेड, सी0 एण्ड डी0 दवा एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार। यदुबीर सिंह, कांस्टेबिल इंजरी नोटेड सी0 एण्ड डी0 दवा, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार। एक और हैं, संतोष कुमार कान्स्टेबिल, इन्जरी नोटेड क्लीनिंग एण्ड ड्रेसिंग, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार अन्त में सूर्यपाल सिंह कान्स्टेबिल, इन्जरी नोटेड, क्लीनिंग एण्ड ड्रेसिंग, एस्पिरीन की गोली दिन में तीन बार। इन 9 पुलिस कर्मियों को इतनी कम चोटें आयी हैं जिनकी जान का खतरा बताया गया है। सबको एक-एक इन्जरी लिखी गयी है। क्लीनिंग दण्ड ड्रेसिंग लिखी गयी है और दवा भी एक ही दी गयी है। आप तो डाक्टर हैं, एस्पिरीन की गोली तो मामूली से दर्द के लिये दी जाती है। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा बतायी गयी यह थ्योरी कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गयी, झूठ है और बेबुनियाद है। भागते हुए लड़कों पर गोली चलाई गयी।

(इस समय 5 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

9 पुलिस कर्मियों के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली के डाक्टर की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस वालों को कोई गम्भीर चोट नहीं है, जिसका बहाना लेकर आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाकर एक छात्र की जान ले ली।

मान्यवर, इतना ही नहीं। मस्जिद हमारे यहां थाने से लगी हुई है। थोड़ा सा फासला है। ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर। नमाज पढ़कर नमाजी लोग अपने घरों को जा रहे थे। काजीपाड़ा एक मुहल्ला है। इन नमाज पढ़ने वालों के ऊपर वहां के डी0वाई0

एस0पी0 चतुर्वेदी की प्रेरणा से, बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। घरों में घुसकर मारा। महिलाओं को मारा। एक बूढ़ी महिला अपने बच्चे को पिटता देखकर बच्चे के ऊपर गिर गयी, यह सोचकर कि पुलिस वालों को शायद रहम आये और उसे और उसके बच्चे को छोड़ दें। लेकिन पुलिस का अहम। बच्चा अगर पिटने से बच गया तो पुलिस की लाठियों, जूतों और बूटों से मां नहीं बच पायी। उसके सर पर जूते मारे गये। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। काजीपाड़ा में अलीमुद्दीन की किवाड़ बंदूक की बूटों से तोड़ी गयी। मजीदन पत्नी अब्दुल मजीद उम्र 60 वर्ष के बाएं पैर पर बन्दूक के बूट की चोटें की गयी। अब्दुल मजीद के मकान पर ऊपर चढ़कर छोटे-छोटे बच्चों को वहीं उठाकर पटका। गुलाम रसूल पुत्र फैज मोहम्मद, रिटायर्ड कान्स्टेबिल के सीने व दोनों पैरों पर काफी चोटें हैं। शेर मोहम्मद पुत्र चेर खां की दुकान को तोड़कर सामान लूटा गया। नेत्रपाल हलवाई की रोडवेज बस स्टैण्ड की दुकान का त्रिपाल ले गये। मुबीना बेगम पत्नी गुलाम रसूल को बूट से मारा और गंदी गालियां दीं। सलीम पुत्र अल्लमहर उम्र 12 साल मुहल्ला ऊंचान के सर में चोटों के निशान दिखे। उस 12 साल के बच्चे से पुलिस को खतरा पैदा हो गया था। घमण्डी लाल, रिटायर्ड जे0ई0 के पैर तोड़ डाले। अल्लाउद्दीन पुत्र अजमेरी रिक्शा चालक की दाहिने हाथ की हड्डी तोड़ डाली। अब्दुल सलाम पुत्र नन्ने खां को मारा और उनके 8 साल के बच्चे अबरार की उनके सामने ही दोनों टांग पकड़कर धड़ से फेंक दिया। यह काजीपाड़े की घटना है जिसमें सी0ओ0 चतुर्वेदी की मुख्य भूमिका रही। अब आगे चलते हैं। जिस छात्र को गोली लगी थी। चरनसिंह उर्फ चौधरी सिंह पुत्र तुलाराम उसे उसी दिन अलीगढ़ पहुंचाते हैं और अलीगढ़ ले जाकर रात में ही उसके पोस्टमार्टम करने का इन्तजाम किया जाता है। मान्यवर, उस लड़के की लाश को अज्ञात लाश करार दिया जाता है। जबकि सत्य यह है कि उस लड़के की जेब में कालेज का आइडेन्टिटी कार्ड और साइकिल का टोकन मौजूद था। पुलिस ने उसका अपने यहां नाम अंकित किया है चरन सिंह पुत्र श्री तुला राम कुम्हार, निवासी सिरसा थाना बरला, जिला अलीगढ़। अब आप देखें यह नाम कैसे उनके पल्ले पड़ गया। मान्यवर, पोस्टमार्टम की भी अजीब कहानी है। वहां एक लाश और रखी थी उसके पोस्टमार्टम की ज्यादा जरूरत नहीं समझी। उसके बारे में, मैं यहां ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। थाने का प्रभारी निरीक्षक कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखता है। वह मेरे पास मूल रूप में मौजूद है। वह इस प्रकार है—"सेवा में, श्रीमन्, जिलाधिकारी महोदय, जनपद अलीगढ़,

महोदय, आज थाना हाजा की पुलिस पर स्कूल के छात्रों द्वारा पथराव किया गया जिसके दौरान एक छात्र की मृत्यु हो गयी है।

अतः आपसे निवेदन है कि मृतक छात्र का आज ही पोस्टमार्टम कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

ह0—
प्रभारी निरीक्षक
अतरौली 24-1-86

मान्यवर, आप देखें कहीं पर यह भी नहीं लिखा है कि आज पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है, कोई समस्या खड़ी हो सकती है। मान्यवर, इस थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर न एस0डी0एम0 की रिपोर्ट मांगी गयी न एस0एस0पी0 की रिपोर्ट मांगी गयी और न कोई जांच पड़ताल

करायी गयी। यह रिपोर्ट सीधे डी0एम0 को थानेदार द्वारा लिखी गयी और डी0 एम0 ने सीधे ही उस पर यह आदेश किये वह इस प्रकार है:—

"पोस्ट मार्टम बी कैरीड आउट इन दि नाईट विथ दि हेल्प आफ पेट्रोमेक्स लाइट सफीशियन्ट एज डे लाइट"

एस0 डी0 एस0 एन0 झा,
डी0 एम0
24-1-86

मान्यवर, उन्होंने कहा कि पोस्ट-मार्टम आज ही रात को पेट्रोमेक्स की रोशनी की सहायता से किया जाय। रोशनी इतनी होनी चाहिये कि लगे दिन की रोशनी है।

मान्यवर, 24/25 की रात को 3 बजे पुलिस सिरसा में जाती है और वहां से उसके पिता श्री तुला राम को पकड़कर के लाती है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्यान सिंह जी से एक जानकारी यह चाहता हूं कि इनके दाहिने हाथ में जो चोट लगी है और प्लस्तर लगा है, यह कैसे लगी है चोट?

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रति हमदर्दी दिखायी। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उस झगड़े से इस चोट का कोई ताल्लुक नहीं है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि रात को 3 बजे पुलिस सिरसा से तुलाराम को पकड़ लायी। जब पहले से वह लाश अज्ञात थी, तो रात को 3 बजे कैसे पता लग गया कि यह लड़का सिरसा का है। मान्यवर, पहले उसे मलखान नगर लाया गया उसके बाद उसे चीड़घर लाया गया। जहां उसे सीलबन्द लाश दिखायी गयी और कहा गया कि यह तुम्हारा लड़का है। लाश 25 को फुकवा दी गयी। मान्यवर, इतनी भी शालीनता नहीं बरती गयी कि उसका एक भाई गाजियाबाद में रहता था, उसके आने का इन्तजार किया जाता।

माननीय राजेन्द्र सिंह जी इगलास के विधायक हैं वे भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन उन लोगों को यह जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि इनको जो अपने पाप छिपाने थे, इसलिये उस लड़के का इन्होंने भाई के आने का इन्तजार किये बगैर उसे पच्चीस तारीख को फुंकवा दिया। यह सारा घटनाक्रम इस बात को बता रहा है कि यह एक दिन दहाड़े हत्या का मामला है। आन्दोलन चला। बारह दिन तक आगरा कमिश्नरी के पांचों जिलों के सभी विद्यालय बन्द रहे। बारह तेरह दिन तक वकीलों ने कोर्ट्स का बहिष्कार किया। अध्यापकों ने मौन जुलूस निकाले। वकीलों ने मौन जुलूस निकाले। यहां तक कि अतरौली कस्बे में इतने लम्बे दिन तक कभी भी हड़ताल नहीं चली। वह भी बारह दिन तक हड़ताल में डूबा रहा। लोगों ने क्रमिक अनशन किये और आमरण अनशन हुए सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अतरौली के इस दुर्दान्त काण्ड के विरुद्ध सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा संघर्ष किया गया। है। इसमें निरंकुश प्रशासन एक ओर और आम जनता जिसमें सभी लोग मौजूद हैं एक ओर है। सत्ता पार्टी के लोगों ने भी आमरण अनशन में भाग लिया। माननीय राजेन्द्र सिंह जी लोक दल के भी वहां पहुंचे। लोकदल के अन्य लोग भी वहां पहुंचे। माननीय श्री राम नरेश भी वहां पहुंचे।

सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे और कांग्रेस आई0 के एम0 पी0 श्री पूरनचन्द्र जी वहां पहुंचे। पूरन चन्द्र जी ने भी कहा जो कुछ भी पुलिस ने वहां किया है उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। जितनी भी उसकी निंदा की जाये वह थोड़ी है। उन्हीं के शब्दों में, मैं बताना चाहता हूं, "अतरौली की जनता को पूरा-पूरा न्याय दिलवाऊंगा और इं0 कां0 को बदनाम करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा।" पूरन चंद सांसद अलीगढ़ 28 जनवरी—क्षेत्रीय सांसद श्री पूरन चंद ने आज अतरौली हत्या काण्ड के सम्बन्ध में अतरौली क्षेत्र का दौरा किया तथा वह उस गांव सिरसा में भी गये जिस गांव का निवासी चरन सिंह पुत्र तुलाराम था जो कि पुलिस की बर्बरता का शिकार आज से ठीक 4 दिन पूर्व दिनांक 24 जनवरी को हुआ था। इस सम्बन्ध में सांसद महोदय ने क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मुलाकात की तथा मृतक के पिता एवं भाइयों की अश्रुपूरित आंखों से आंसू देख स्वयं भी आर्द्र हो उठे। पूरे सर्वेक्षण के उपरान्त श्री पूरनचन्द्र ने कहा कि "क्षेत्र की जनता तथा पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बयान से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस काण्ड के लिए जनपद के पुलिस अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जहां तक चरण सिंह की हत्या का प्रश्न है, यह अतरौली पुलिस के माथे पर लगा कलंक है जिसे किसी भी प्रकार नहीं धोया जा सकता। सांसद महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस की जितनी भर्त्सना की जाय कम है।" यह उन्होंने समाचार पत्र दैनिक प्रकाश में कहा है जो अलीगढ़ से छपता है। माननीय मंत्री जी को, इसके बारे में पता है। आमरण अनशन हुआ पहली तारीख से और उनसठ लोगों ने आमरण अनशन में बैठने का निर्णय लिया। जब देखा कि न्याय नहीं मिल रहा है, धरना असफल रहा, क्रमिक अनशन असफल रहा, बाजार बन्द असफल रहा, मौन जुलूस असफल हुआ, कालेज का बन्द रहना असफल रहा और तीस तारीख को पूरे जिला अलीगढ़ का बन्द रहना असफल रहा। जब इन सारे उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया था, न्याय पाने के लिये, सिर्फ इसके कि अपने प्राणों की बाजी लगा दें। आमरण अनशन में मैं भी बैठा।

अब मैं घटना के अन्तिम चरण में आ रहा हूं। आमरण अनशन 1 तारीख को शुरू हुआ। पूरे जिले में बड़ा असन्तोष था, क्षोभ था। लोग अस्थि-कलश निकालकर गांव-गांव घूमना चाहते थे। अलीगढ़ के डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 3 तारीख को अतरौली गये और जाकर उन्होंने आन्दोलन वापस लेने की अपील की और इसके साथ-साथ उन्होंने लगभग 25 हजार लोगों के सामने सार्वजनिक कमिटमेंट किया। वचन दिया और यह कहा कि जो भी धारा 302 के मुल्जिम हैं, उनको गिरफ्तार किया जायगा, जेल भेजा जायगा। अगर यह बचने की कोशिश करेंगे तो आगे की जो कानूनी कार्यवाही होती है गिरफ्तारी वगैरह की, वह की जायगी और पुलिस ने जिन नागरिकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये हैं, उन सारे मामलों को खत्म किया जायगा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था भीड़ में से, बाद में पता चला कि छात्र एक भी नहीं था। एक छात्र था लेकिन वह भी के0 एम0 वी0 इण्टर कालेज का नहीं था। तीन नाम अतरौली के

और लिख दिये। बोले, इन सारे मामलों को हम खत्म करा देंगे। उनके इस आश्वासन और बचन देने पर यह आन्दोलन वापस हो गया।

आपको याद होगा कि पिछली बार जब 11 फरवरी को इस विषय को मैंने उठाया था तब भी मैंने कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं इसलिये मा0 राज्य गृह मंत्री शायद इसे भले ही न मानें, लेकिन अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो मुझे बुला लें उन्हीं के चैम्बर में जाकर, यह टेप रिकार्ड मैंने किया था, जिसमें एस0 एस0 पी0 ने क्या कहा था, यह भरा हुआ है। डी0 एम0 एक वाक्य बोले कि एस0 एस0 पी0 ने जो कहा है, मैं उसकी ताकीद करता हूं। एस0 एस0 पी0 ने कहा है – जीत सिंह, एस0 आई0, एस0 के0 सिंह, एस0 आई0, यदुवीर सिंह, कान्स्टेबिल और राम बाबू, कान्स्टेबिल और पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें एस0डी0एम0 को भी धारा 302 में एक मुलजिम माना है, इन सभी को जेल भेजा जायगा। माननीय राज्य गृह मंत्री बैठे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। इन्हीं ने अपने बयान में कहा था कि निष्पक्ष जांच हो जाय इसलिये एस0 डी0 एम0 को हटा दिया है। वही अतरौली का एस0 डी0 एम0, आपके जिले के अधिकारियों ने उसे अतरौली का लिंक अफसर बना दिया है।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)– पोस्ट तो दूसरी हो गयी।

श्री कल्यान सिंह–

आप अतरौली के नहीं हैं, अगर आप वहां के होते तो आप स्थिति समझते। माननीय गृह मंत्री इसको समझ रहे होंगे। आज वह लिंक अफसर बना हुआ है।

इसमें दो-तीन मुद्दे हैं। एस0 के0 सिंह और यदुवीर सिंह, ये तो अदालत में हाजिर हो गये। दो दिन जेल में भी रहे, उसके बाद उनकी जमानत हुई। जीत सिंह और राम बाबू, जो मुख्य अभियुक्त हैं वह जेल से बाहर हैं। आधार क्या बताया जा रहा है? आधार यह बताया जा रहा है कि सी0 आई0 डी0 के आदेश हो गये हैं कि इसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जायगी, तब तक उनको एरेस्ट नहीं किया जायगा। हमने होम सेक्रेटरी से पूछा कि सी0 आई0 डी0 से जांच के आदेश आपने किया है क्या? उन्होंने कहा, नहीं शासन स्तर पर कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है। जब एस0 एस0 पी0 से पूछा तो वह कहते हैं कि हमने तो नहीं लिखा है सी0 आई0 डी0 के आदेश के लिये। फिर मैं 20 फरवरी को मुख्य मंत्री जी से मिला था तो वहां डाइरेक्टर जनरल पुलिस भी थे और संयोग से राजेन्द्र सिंह भी पहुंच गये थे। तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि हमने आदेश दिया है और उन सभी मुलजिमान को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जायेगा। उस पर डाइरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि इसके लिये तो होम सेक्रेटरी से आज्ञा लेनी होगी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब हम कह रहे हैं तो होम सेक्रेटरी क्या मुझसे बड़ा है? होम सेक्रेटरी भी वहां मौजूद बैठे थे।

अब सी0 आई0 डी0 के आदेश के लिये किसने पहल की? मरने वाले के पिता तुलाराम ने तो सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग नहीं की थी। यह सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग कहां

से निकल आयी? जांच इस बात की होनी चाहिये कि सी0 आई0 डी0 के आदेश किस स्तर पर हुए? जांच के बहाने से जीत सिंह और रामबाबू को, जो कि इस केस के मुख्य अभियुक्त हैं, उनको छोड़े रखने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी दोषी पुलिस कर्मियों को बचाना चाहते हैं अन्यथा इतनी बड़ी हिम्मत जीत सिंह नहीं कर सकता कि उल्टे मुझे गोली मारने की धमकी दे। जिला कचेहरी में उसने कहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा ही, लेकिन कल्यान सिंह को और उनके परिवार को गोली से उड़ा कर जेल जाऊंगा।

मान्यवर, जब मुझे पता लगा तो मैं परसों वहां गया था, इसीलिये कि देखें उसकी बहादुरी। हमारे इलाके में, इस बात का बड़ा हल्ला है। मैंने कहा कि इसकी चिन्ता न करो। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। यदि हमारी जिन्दगी इसमें चली भी जायेगी तो मुझे खुशी होगी कि एक गरीब को न्याय दिलाने में हमने अपना जीवन दे डाला।

इतनी बड़ी बात जीत सिंह बिना वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से नहीं कह सकता है। अतरौली में एक हार्डिन्ड क्रिमिनल है, उसके पिता ने लिख कर दे दिया है कि इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। अखबारों में भी लिख कर दे दिया है कि यह जो कुछ भी करेगा इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन वहां जो नया दरोगा आया है, सुदर्शन सिंह नेगी वह उस बदमाश को अपने साथ अतरौली ले गया है उस बदमाश का सगा भाई जो है उसने उनसे कहा कि यह हमारा भाई बदमाश है, हार्डिन्ड क्रिमनल है, आप इसे अपने साथ लाये हैं, यह आपने क्या किया? यह तो मेरे जान का खतरा हो जायेगा। इस पर सुदर्शन सिंह नेगी इंस्पेक्टर ने कहा अपनी बकवास बन्द करो, यह यहीं रहेगा, ज्यादा बोलोगे तो तुमको बन्द कर दिया जायेगा।

अतरौली क्षेत्र में, मेरे गांव में मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कोई गम्भीर वारदात की साजिश रची जा रही है परन्तु मैं सरकार से अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगता हूं। बचाने वाला ऊपर वाला है। मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। बदमाश की बदमाशी देखी जायेगी, लेकिन क्या जनजीवन इसी तरह से सुरक्षित रह सकेगा। क्या किसी की हत्या हो जायेगी तो 12-12 दिन तक बाजार बन्द रहेंगे, कालेज बन्द रहेंगे, तब कहीं जाकर सुनवाई होगी। मैं किसी प्रकार की धमकी के कारण अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। चार दिन ज्यादा जियें तो क्या और चार दिन कम जियें तो क्या ? अन्याय के विरोध में यह कदम नहीं रुकेगा। मान्यवर, जन जीवन में एक आतंक व्याप्त है, सरकार को उस आतंक को दूर करना चाहिये।

मैं 3–4 मांगें रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उन मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। माननीय राज्य गृह मंत्री जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मुझे गर्व होता है और कभी-कभी बड़ी तकलीफ भी होती है। आप गृह राज्य मंत्री हैं। मुझे अफसोस जरूर है कि आपने ठीक नहीं किया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो वहां पर बदमाश भेजे गये हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिये, उस का नाम खालिद है। मैं जानना चाहता

हूं कि एस0 डी0 एम0 को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? वह 302 का मुलजिम है। उसको लिंक आफीसर बना दिया गया है। उसको समाप्त किया जाना चाहिये। सी0 आई0 डी0 के आदेश किसने दिये ? हमने तो उसकी मांग की नहीं और आज भी नहीं कर रहे रहे हैं, कि जांच की जाये और इस बहाने उनकी गिरफ्तारी रोक दी गयी है, सी0 आई0डी0 के आदेश कर दिये गये, आप उसको वापस लें और स्थानीय पुलिस से कहें कि तीनों मुलजिमों को जो बैठे हैं, गिरफ्तार किया जाये। एस0 डी0 एम0 मुलजिम है, जीत सिंह दरोगा मुलजिम है और राम बाबू मुलजिम है, इनको जेल भेजो, और अदालत को फैसला करने दो। साबित किया जायेगा और अगर साबित नहीं होगा तो बहुत से केस छूट जाते हैं, यह भी छूट जायेगा। जनता में विश्वास बना रहे कि शासन अपराधियों को बचाने के लिये प्रयास नहीं कर रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है उस सम्बन्ध में जो साक्ष्य हैं, उसको प्रस्तुत किया जायेगा। साक्ष्य प्रस्तुत होगा और सन्देह के परे सिद्ध हो जायेगा कि गोली चलाने में इनका हाथ है, तो सजा पायेगा नहीं साबित होगा तो बहुत छूटते हैं, वह भी छूट जायेगा। मान्यवर, ब्राड डे लाइट मर्डर हुआ है, तो जांच किसकी करा रहे हैं? अगर अज्ञात लोग होते तो सी0 आई0 डी0 की जांच कराते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में 14 फरवरी, 18 फरवरी और 20 फरवरी को मिला, आज गृह राज्य मंत्री जी से बात हुई। बात तो रोज कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि पूरा शासन अन्याय के लिये कटिबद्ध है। मुख्य मंत्री जी की बात सुनें तो लगता है कि अत्याचार नहीं होने देंगे। डी0 जी0 को मेरे सामने आदेश दिया जाता है। मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिया और गृह राज्य मंत्री जी कहते हैं कि जेल जायेगा, लेकिन किसी आदेश का परिपालन नहीं होता है और प्रक्रिया उल्टी चलती है।

मैं आशा करता हूं कि जब गृह राज्य मंत्री जी जबाब देने के लिये खड़े होंगे तो मैंने 3-4 मुद्दे जो उठाये हैं इस पर वे अपनी स्पष्ट घोषणा करेंगे। एक मेरा निवेदन है कि यह पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है। यहां न विपक्ष का प्रश्न है न सत्ता पक्ष का। हम सब एक हैं जनता के हितों के लिये। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सम्भालने में, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन साझेदारी के तौर पर विपक्ष भी जिम्मेदार कम नहीं है। हम दोनों सदन में आये हैं कि जनता के हित की लड़ाई लड़ें, इसलिए दलगत भावना में बंधकर किसी जिद के कारण फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे उसकी चिन्ता आपको जितनी है उतनी हमको भी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखना शासन का काम है और शासन को पूरा-पूरा सहयोग देना विपक्ष पर है। लेकिन राजनीति की काली छाया को मिटाइये। मान्यवर, पुलिस निरंकुश हो रही है। इस पर नियंत्रण लगाया जाय। बार-बार कहा जाता है कि पुलिस के खिलाफ कुछ किया जायेगा तो उसका मनोबल टूट जायेगा। आप पुलिस का मनोबल कितना बढ़ाना चाहते हैं। आज हो यह रहा है कि जब तक पुलिस खून न कर दे उसका मनोबल नहीं बढ़ता है। आप कितना खून कराना चाहते हैं। सभ्य सरकार

के लिए, सभ्य समाज के लिए, सबसे पहले आवश्यक है कि जनजीवन की सुरक्षा की जाय । जो सरकार जन-जीवन को सुरक्षा न दे सके जो नागरिकों को सुरक्षा न दे सके वह सफल और सभ्य सरकार नहीं कहलाती है।

हम सहयोग करना चाहते हैं और विपक्ष के सभी लोग सहयोग करना चाहते हैं, इस बात पर कि जनजीवन की सुरक्षा रहे। मतभेद के हमारे 50 मुद्दे हो सकते हैं लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था को कायम रखने की समस्या है वहां पर हम पैर से पैर बांधकर सहयोग कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ जो मैंने 3-4 मुद्दे उठाये हैं उसके साथ मैं अपनी बहस पर विराम चाहता हूं कि इस विषय पर जब माननीय गृह राज्य मंत्री बोलेंगे तो कुछ स्पष्ट घोषणा करेंगे।

**कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव**

श्री उपाध्यक्ष–

एक सूचना देनी है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 12 मार्च, 1986 में गुरुवार दिनांक 13 मार्च, 1986 के सदन की बैठक के बारे में निम्नलिखित संस्तुति की है–

1–दिनांक 13 मार्च, 1986 को सदन की बैठक प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ हो।

2–उक्त तिथि को शून्य प्रहर नहीं होगा तथा नियम 51, 56 301 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।

3–प्रश्नकाल 10 बजे से 11.20 बजे तक होगा।

4–पूर्वाह्न 11.20 से अपराह्न 2 बजकर 50 मिनट तक पूर्व निर्धारित विभाग के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

5–अपराह्न 2.50 से अपराह्न 4.50 तक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण ।

6–अन्य वक्तव्य आदि अपराह्न 4.50 बजे के पश्चात् निर्धारित किये जायं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अलीगढ़ जनपद के अतरौली में पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)**

*डा0 बंगाली सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कल्याण सिंह जी ने जो विशेष जानकारी चरण सिंह हत्याकांड की दी है उसके सम्बन्ध में दो-चार बातों का उल्लेख मैं भी करना चाहता हूं। मान्यवर, यह हत्या जब 24 तारीख को हो गई तो हमें अखबारों के माध्यम से 25 तारीख को मालूम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ। उसके बाद मैं, माननीय राजेन्द्र सिंह और माननीय जगदीश सिंह विधायक अतरौली पहुंचे तो वहां पर देखा कि पुलिस के अत्याचार से जनता भयभीत थी। सारे शहर और उसके आस-पास के लोग सभी भयभीत थे। वहां ऐसा वातावरण था कि हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। मान्यवर, शाम के टाइम जब हम सिरसा गांव गये तो हमें बताया गया कि उसकी लाश का चन्दनिया के शमशान घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया है। थोड़ी देर में हमें सूचना मिली कि उसकी लाश सिरसा गांव ले जायी जा रही है। जब हम लोग फिर सिरसा गांव पहुंचे तो हमने देखा कि एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 के पहुंचने के तुरन्त बाद उस लाश का दाह संस्कार किया जाने वाला था। हमने तुरन्त फोटोग्राफर बुलाया और उसका फोटो खिंचवाया। जब हमने उस लाश को देखा तो उसको गोली पीठ की तरफ से मारी गई थी। मान्यवर, आज पता नहीं हमारी सरकार में बैठे हुए लोग, आये दिन पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, डकैती पुलिस डालती है, हत्या पुलिस करती है और उसके बाद भी, हमारे मंत्री लोग या हमारी सरकार यह कहती है कि हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे साथ में यह भी कहती है कि पुलिस का मनोबल न टूटे। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता पिटती रहे और सरकार में बैठे हुए लोग कहें कि पुलिस का मनोबल गिर जायेगा।

मान्यवर, जिस चरण सिंह की हत्या की गई वह बैकवर्ड क्लास के थे। उसको गोली से इसलिये मारा गया कि उसने मिट्टी के तेल की मांग की। यह सरकार मिट्टी के तेल के ऊपर गोली चलायेगी तो इस सरकार में बैठे हुए लोग खुद कितने ईमानदार और कितने सतर्क हैं, यह जनता जानती है। मान्यवर, पुलिस का आतंक अतरौली में था। अतरौली की जनता भयभीत थी। उसके बाद 30 तारीख को पूरे जिले के सभी कस्बे, टाउन एरिया, नगर पालिका आदि बन्द रहीं। कोई भी दुकान पान, चाय, बीड़ी की नहीं खुली। हर तरफ से आवाज आयी कि अतरौली कांड के दोषी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया जाय। उसके बाद माननीय कल्यान सिंह जी के साथ हजारों लोग आमरण अनशन पर बैठे। तब एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 ने कहा कि हम 302 का मुकदमा लिखेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। मान्यवर, मुझे दुख है कि अभी तक जीत सिंह और राम बाबू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कल्यान सिंह जी के लिये यह कहा जा रहा है कि उनको मारकर ही हम जेल जायेंगे। मान्यवर, यह हिम्मत पुलिस कर्मियों की अलीगढ़ में है। उसके बाद मुर्तान थाने में दिन के 12 बजे एक हरिजन महिला के साथ वहां के दरोगा और दो सिपाहियों ने बलात्कार किया...

श्री उपाध्यक्ष–

अतरौली के बारे में कहें।

डा0 बंगाली सिंह–

हाथरस में एक किसान जो ट्रैक्टर लेकर अपना गल्ला बेचने के लिये जा रहा था, उसके बाद अपने गांव जा रहा था तो पुलिस के सिपाहियों ने उससे 10 रुपये मांगे। और 10 रुपये न

देने पर उस आदमी को इतना मारा कि मारते-मारते वह बेहोश हो गया और उसे 3 जगह फ्रैक्चर कर दिया। उसने सिर मुंडवा दिया और मूछें मुंड़वा दी। इस तरह का आतंक राजाराम पाल, जो सब-इंस्पेक्टर है, ने किया जहां-जहां वह रहा चंदौसी, मुरादाबाद आदि में, उसने भले आदमियों को मारा और बदमाशों को छोड़ दिया। अलीगढ़ में पुलिस का आतंक है, पुलिस उसकी यह हिस्ट्री रही है। आज पूरे आज निरंकुश हो गयी है सिकन्दराराऊ में 9-9 इनकाउंटर फर्जी दिखाये गये, मुरसान में हरिजन महिला के साथ बलात्कार होता है, हाथरस में विद्यार्थियों पर गोली मारी जाती है, अलीगढ़ में पुलिस राज है और यह सरकार बैठी हुई है। जब से आप गृह मंत्री बने हैं तभी से अलीगढ़ में पुलिस के अत्याचार अधिक हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपकी छवि खराब हो रही है। आप गृह मंत्री हैं इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करिये। जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक आपके कार्य-कलापों से अलीगढ़ की जनता नाराज रहेगी। आज चाहे अलीगढ़ हो या और जिले हों पुलिस गलत काम कर रही है इसलिए आप उनको सख्त से सख्त सजा दें। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय कल्यान सिंह जी ने जो बातें कही हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय कल्यान सिंह जी ने जो भी बातें इस सन्दर्भ में कही हैं उनसे इस विषय में प्रश्न चिह्न लगता है। मैं निवेदन करूंगा आज इस लोकतंत्र में जिसमें हम लोग इस सदन के अन्दर बैठे हैं, आज प्रदेश में जहां भी कोई समस्या पैदा होती है उसमें लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने कोई बात कहना चाहते हैं उन पर गोली चलायी जाती है तो इसमें महात्मा गांधी के युग की कल्पना करना असंगत है। जब लोग अपनी मांग लेकर आते हैं तो सरकार उनके ऊपर गोली चलाती है और उसके बाद जो घटना पैदा होती है उससे सिर शर्म के मारे झुक जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस घटना से जिसमें छात्र चरन सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद और पूर्व में सारी समस्या पैदा हो गयी। इस घटना की पूरी जानकारी सरकार को और मुख्य मंत्री जी को है। फिर इसमें गुप्तचर विभाग से जांच कराने की बात कहां से आ गयी किसकी मांग पर आदेश हुआ फिर उसमें आप कौन से नये तथ्य प्रकट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं, उनको इस घटना की सारी जानकारी है। जैसा माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा कि एस0 एस0 पी0 ने पूरी घटना की जांच कर ली, जिलाधिकारी ने पूरे परिपेक्ष्य में जांच कर ली और नागरिकों के सम्मुख घटना के बारे में दुख व्यक्त करते हुए नेताओं को आश्वासन दिया और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कहा और आश्वासन दिया कि इन पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। वह कार्यवाही कहां पर होगी। सवाल यह आता है कि वह कार्यवाही अदालत में होगी। जब मुकदमा 302 के अन्दर प्रागदर्शन के बाद तय हो गया। तमाम लोगों ने सत्याग्रह किया, तमाम बाजार बन्द रहे और मांग यही थी कि मुकदमा चलना चाहिये तो फिर सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश कैसे हो गये उसकी जांच होनी

चाहिये। सी0 आई0 डी0 की जांच कराने से मालूम पड़ता है कि जुर्म करने वाले लोग फिर से छूट जायं बच जायें। इससे उन्हें राहत मिलेगी। माननीय मंत्री जी की नियत पर हमें कोई शक नहीं है लेकिन जो प्रक्रिया बन गयी है, उससे शंका होने लगी है। मैं निवेदन करूंगा कि सी0 आई0 डी0 की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। और जनता के जो निर्दोष लोग इसमें गिरफ्तार किये गये हैं, जो छात्र भी नहीं हैं उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की घोषणा माननीय मंत्री जी करें, जो निर्दोष लोग पकड़े गये हैं उनके खिलाफ मुकदमा वापस होना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री कल्यान सिंह जी एक नेता हैं, राजनैतिक दल के नेता हैं, और मैं तो कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आज इस समय में, यदि किसी भी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस प्रकार की धमकियां देना उसके परिवार को खतरे में डालकर, जो उसकी भावनाओं को कुंठित करने का काम हो रहा है उसको देखते हुए चाहे इधर या उधर कोई भी माननीय सदस्य हों उनको धमकियां दी जायं, तो इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाना आवश्यक है। श्री कल्यान सिंह जी के जीवन की सुरक्षा की गारन्टी सरकार की है, वह अलग बात है, लेकिन शासन के समक्ष विचार करने की बात है कि जो डराने और धमकाने की भावना पुलिस कर्मचारियों में पैदा हो रही है उस पर अंकुश लगायें और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की योजना बनायी है और जिन बदमाशों के नाम श्री कल्यान सिंह ने गिनाया है उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने का सरकार की तरफ से आश्वासन मिलना चाहिए। मान्यवर, आज की स्थिति में प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर एक ही अपेक्षा मैं शासन से करता हूं कि इस मामले पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करें जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनआक्रोश जो जनता में पैदा हो रहा है, उससे बचने के लिए जरूरी है कि इस घटना के दोषी व्यक्तियों को अदालत में दण्ड देने की प्रक्रिया अपनाई जाये जो उचित कदम होगा।

श्री किशन लाल दिलेर–

मान्यवर, मैं 25 तारीख को लखनऊ से चला और 26 तारीख को अतरौली पहुंच गया तो देखा कि वहां बड़ा सन्नाटा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सूचना मिली और लगभग 200 लोगों ने मुझे उस स्थिति को दिखाया जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और जो श्री कल्यान सिंह ने कहा है वह सही है और वह जनता की आवाज है। मान्यवर, वहां जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है वैसा स्वराज्य मिलने के बाद कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है और माननीय गृह राज्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि चूंकि माननीय कल्याण सिंह का बयान 11 तारीख को यहां सदन में हुआ था तो गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों को असत्य बोलने की आदत पड़ गयी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य क्या है? आखिर उन्हें भी जनता के बीच जाना है। इसलिये मंत्री जी से अपील करूंगा कि सत्य

जाहिर करके ग्रह राज्य मंत्री के पद की गरिमा को इतिहास में अपने नाम को वह कायम करें कि सत्यता पर कितने आप हैं । मान्यवर, मुझे उम्मीद है और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज का वक्त जो है, कहीं विधायक पीटा जा रहा है, कहीं उसका अपमान किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं (व्यवधान) अपनी बात को एक शेर कहकर समाप्त करना चाहता हूं- "मौत ही मौत है, अब जिन्दगी है कहां । अय अन्धेरे तू ही बता, रोशनी है कहां ।" जब यह आलम है तो न किसी माननीय सदस्य के सम्मान व जान की खैर है, न मंत्री के जान व सम्मान की खैर है । स्थिति बड़ी गम्भीर है, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब दो-दो मिनट देने का सवाल नहीं है, मंत्री जी को कह दिया है अब वह जवाब दे रहे हैं । कमिश्नरी के हिसाब से इसमें नहीं चलेगा । आखिर इसकी कोई सीमा होनी चाहिए ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उत्तर देना चाहूंगा जो हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे विद्मान बड़े भाई कल्याण सिंह जी ने उठाई है, कहीं है । मान्यवर, यह कहना कि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करना चाहता था, यह बात सत्य से परे है। मैं बहुत ही संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं । वहां के प्रधानाचार्य का पत्र अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि जुलूस-प्रदर्शन करने वाले छात्र कितने उत्तेजित थे, कितने आक्रोश में थे । यह पत्र मैं आपके सामने हूबहू पढ़ देता हूं "निवेदन है कि अतरौली नगर में प्रातः एवं सायंकाल बिजली न रहने एवं मिट्टी का तेल भी अधिक समय से सुलभ न होने के कारण विद्यालय के छात्र परीक्षा की तैयारी के योग्य अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, इससे उनमें असन्तोष व्याप्त है । बोर्ड की परीक्षायें नजदीक आ रही हैं । विद्यार्थियों को आज मैंने तथा मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने बहुत अधिक समझाया, किन्तु छात्रों की आक्रोशमयी उत्तेजना समाप्त नहीं हुई । अतः आपसे अनुरोध है कि छात्रों की उक्त कठिनाई की ओर ध्यान देकर अविलम्ब व्यवस्था करें । विद्यार्थी जुलूस की शक्ल में आपसे मिलने जा रहे हैं ।" तो मान्यवर, इस पत्र को पढ़ने का मेरा आशय यह है कि यह कहना कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालना चाहते थे, यह बात सत्य से परे है .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कल्याण सिंह जी आपको मौका मिलेगा, अभी नहीं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैं थोड़े में उत्तर दे रहा हूं । छात्र आक्रोश में थे और उत्तेजना में थे और इतने थे कि वहां के प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापकों के समझाने बुझाने के बावजूद वह नहीं रुक रहे थे । माननीय कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि लाश को करीब डेढ़ सौ मीटर निर्दयता पूर्वक खींचकर ले गये और आलू के बोरे की तरह इक्के पर लादकर ले गये । यह भी सही नहीं है, वास्तविकता यह है कि तांगा स्टैण्ड वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से थोड़ी दूर पर है, डेढ़ सौ मीटर नहीं 25–30 मीटर पर है, तो वहां तक उसको जमीन पर रख-रख कर ले गये थे, खींचकर नहीं ले गये थे। जो आपने कहा कि वकीलों की झोपड़ियां पुलिस ने जला दीं, यह भी सत्य से परे है बल्कि किसी कुछ-अवांछित तत्व ने, जब उत्तेजना का वातावरण था, इस कार्य को कर दिया, जलता हुआ फेंक दिया और उससे वकीलों की 28/30 झोपड़ियां जल गईं।

इन्जरी की जो आपने बात कही है कि इन्जरीज नोटेड, तो एक ही इन्जरी नहीं है। लाठी मारने की रिपोर्ट है। एक से अधिक चोटें हैं, कहीं दो हैं और कहीं तीन चोटें हैं। उन्होंने एस0 डी0 एम0 या परगनाधिकारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि उसके कितनी चोटें आई हैं। मैंने स्वयं जाकर उसकी चोटों को देखा है। परगनाधिकारी के मौके पर बहुत बड़ी चोट थी मान्यवर, एस0 डी0 एम0 की बांयी आंख की तरफ सूजन थी और कमर पर भारी चोटें थीं। उसको छड़ों से मारा गया किसी तरह से उसने भाग कर जान बचायी। इंस्पेक्टर प्रभारी के कमरे में जब वह घुसे तो किवाड़ तोड़ डाले गये और विंडो में जो सींखचे थे, उनको भी तोड़ा गया। तो एस0 डी0 एम0 को बुरी तरह मारा पीटा गया है। इसके अतिरिक्त जो आपने कहा कि काजीपाड़ा मुहल्ले में घुसकर कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ मारपीट की गयी और ज्यादती की गयी तो यह सत्य नहीं है। किसी मुस्लिम भाई के साथ ज्यादती नहीं हुयी है। जहां तक पोस्टमार्टम की बात है कि सब इंसपेक्टर की प्रार्थना पर कलेक्टर ने आदेश कर दिया तो यह अनियमित बात नहीं है। ऐसा वातावरण था, उत्तेजना थी तो ऐसे हालात में सदैव प्रशासन यही करता है। पोस्टमार्टम रात को भी करते हैं और असाधारण परिस्थितियों में यही होता है तो जिलाधिकारी ने कोई अनियमित बात नहीं की है।

मान्यवर, आपने कहा कि 12 दिन तक तमाम आगरा कमिश्नरी के स्कूल और कालेज बंद रहे तो ऐसी बात नहीं है। अलीगढ़ में 3-4 दिन कुछ स्कूल और कालेज बंद रहे और अतरौली में भी 3-4 दिन बंद रहे। हमारे वरिष्ठ साथी स्वयं 3-4 दिन के लिये दक्षिण भारत की यात्रा पर गये थे वह स्वयं नहीं थे तो इस बीच इस तरह की बात नहीं हुयी थी। विद्वान सदस्य जब दक्षिण भारत की यात्रा से लौटे तो तेजी से स्थिति ने उग्र रूप धारण किया और जिले में गड़बड़ी फैलाने का कुछ अन्य लोगों ने प्रयास किया। मान्यवर, यह बात शोभनीय नहीं थी कि उसकी हड्डियों को, अस्थि कलश को लेजाकर जिले-जिले में घुमाया जाता लेकिन मैं आभारी हूं कि प्रशासन की बात आपने स्वीकार कर लिया और जिले भर में अस्थि कलश को नहीं घुमाया, नहीं तो वातावरण बेहद दूषित और बुरा हो जाता। माननीय विधायक अतरौली ने कहा कि एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 ने भीड़ के सामने, जनता के सामने आपसे वायदा किया था उसको नहीं निभाया तो मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक सब इंसपेक्टर एस0 के0 सिंह और कांस्टेबिल यदुवीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तो जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया यह बात सत्य नहीं है। इसके अलावा जो आपने लास्ट में कहा है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा

और जो व्यक्तिगत बातें हुई हैं उनकी भी घोषणा करूंगा ।

एक सदस्य–

बता दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह जो कहा गया कि मिट्टी का तेल नहीं था तो मिट्टी का तेल वहां काफी मात्रा में उपलब्ध था । जो राशन की दूकानें हैं तो किसी दूकान पर 28 हजार, किसी दूकान पर 24 हजार और किसी दूकान पर 20 हजार लीटर मिट्टी का तेल था । वास्तविकता यह थी कि कुछ लोग इसके पीछे थे कि उत्तेजना फैलाने के लिये छात्रों का इस्तेमाल किया जाय । हुआ यह था कि शासनादेश के मुताबिक मिट्टी के तेल के सब-एजेंटों को खत्म कर दिया गया था तो उनमें बड़ा गुस्सा था कि हमारा काम धंधा, कारोबार शासनादेश के तहत रोका गया । वह मान नहीं रहे थे और अपना धंधा चला रहे थे । एस0 डी0 एम0 अतरौली ने कहा कि आप अब यह व्यापार शासनादेश के मुताबिक नहीं कर सकते तो उन्होंने छात्रों का इस्तेमाल किया, कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, जिसको सभी जानते हैं ।

आपने जो सुझाव दिया है तो उसके अनुसार सी0 आई0 डी0 की जांच को वापस ले लिया जायगा और इंसपेक्टर जीत सिंह और कांस्टेबिल राम बाबू को गिरफ्तार करके जेल भेजा जायगा । जहां तक एस0 डी0 एम0 को जेल भेजने का प्रश्न है, वह मौके पर पहुंचे और उनके पहुंचने के पूर्व ही स्थिति उत्तेजनापूर्ण थी । उन पर हमला किया गया, जीप पर ईंट, पत्थर फेंके गये । छड़ों से उसको मारा गया, जीप छीनने का प्रयास किया गया फिर भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है, तफ्तीश होगी और जो भी परिणाम होंगे, वैसे एस0 डी0 एम0 की खुद भी काफी पिटाई हो चुकी है, इसलिए उसे जेल भेजे जाने का जो प्रश्न है, उचित नहीं दूसरे आपकी ओर से जो मुकदमें वापस लेने की बात कही गयी है, उसके बारे में गुण और दोष के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी मुकदमों की वापिसी की और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जैसा कि मा0 कल्यान सिंह जी ने कही, वह हमारे लिए भी बहुत अफसोस की है और अगर किसी भी दरोगा ने ऐसी बात कही है और धमकी दी है कि मा0 कल्यान सिंह और उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे तो इसको मैं दिखवाऊंगा और आपके लिए व परिवार के लिए कोई ऐसी बात नहीं होने पायेगी । और जैसा कि कहा गया कि सुदर्शन सिंह, इन्सपेक्टर खालिद बदमाश को रोके रहना चाहता है, यदि ऐसी कोई बात है, तो इसको भी दिखवा लिया जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और मा0 कल्यान सिंह जी की सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 गृह राज्य मंत्री जी ने दो घोषणाएं कीं कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी वापस ले ली जायेगी, तथा जीत सिंह और राम बाबू को गिरफ्तार किया जायेगा मेरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि वे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। यह घोषणाएं जो की हैं वह वहां के मामले और स्थिति को देखकर अन्य बातों को दबाने का अच्छा प्रयास किया है। मा0 कल्यान सिंह जी ने बड़ी विस्तार से सारी बातें कहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल

इतना कहना अवश्य चाहूंगा कि जब कभी भी हमारे सामने की बेंचों पर बैठने वाले मा0 मंत्रियों द्वारा व स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अक्सर यह घोषणाएं होती रहती हैं कि "कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा और उसने अगर गुनाह किया होगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा," तब मेजें थपथपाई जाती हैं लेकिन मान्यवर, अतरौली कांड में जो कुछ भी वहां पर हुआ है और उसके बाद जिस तरह की बातें हुई हैं इस सम्बन्ध में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सदन में बैठे हुए तमाम मा0 मंत्रियों से कि इसने उनकी और शासन की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिह्न लगाने का काम किया है, एक ओर मा0 मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी बराबर आश्वस्त करते हैं कि गिरफ्तारी होगी, उधर फिर जिस प्रकार से इस मामले में सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी बीच में लाई गयी, वह बहुत ही निन्दनीय। (शोर) किसके कहने पर किसकी प्रार्थना पर और आदेश पर यह आई।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मा0 गृह राज्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जीत सिंह और उस कान्स्टेबिल को तुरन्त गिरफ्तार किया जाये और साथ ही जो भी आश्वासन मा0 मंत्री जी ने दिये हैं, उनसे मुझे बड़ी खुशी है कि इसी प्रकार से काम करना चाहिए कि जहां पर कोई गलत काम हो, वहां पर ऐसे ही तुरन्त निर्णय लेने चाहिए पर दूसरी एक बात मान्यवर, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं और इनकी जो भी रिपोर्ट होती है, यह शासन उन्हीं रिपोर्टों को सही मानकर जो अड़ा रहता है। यह जिद की जो प्रवृत्ति है, यह छोड़ना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, पुलिस वास्तविक रूप में इतनी निरंकुश हो चुकी है, उसमें इतना अहम पैदा हो चुका है कि वह अपने खिलाफ कोई भी बात लेश-मात्र सहन नहीं कर सकती है। आज की पुलिस इस प्रकार से हो गयी है, जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासन में पुलिस निरंकुश हुआ करती थी। तो मैं शासन से चाहता हूं कि पुलिस में जो यह निरंकुशता है, इसे समाप्त करने की माननीय मंत्री जी कृपा करें।

*श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने माननीय कल्यान सिंह जी एवं उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में बात कही है और जीत सिंह और राम बाबू को जेल भेजने की बात कही है और सी0 आई0 डी0 की जांच वापस लेने की जो बात कही है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे सकता हूं। जब पुलिस कोई अपराध कर बैठती है, तो वह प्राय: अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखाती है। ऐसे ही इस मुकदमें में किया गया। लेकिन इस घटना में एक बात यह साफ आ जाती है कि एस0 डी0 एम0, अतरौली ने पुलिस को गोली चलाने के लिए आज्ञा नहीं दी। यह एस0 डी0 एम0 का कथन है कि मैंने पुलिस को गोली चलाने की आज्ञा नहीं दी। पुलिस ने गोली चला करके गलत काम किया है। इससे यह साबित हो गया कि पुलिस ने गोली चला कर अत्याचार किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

तभी तो पुलिस को सजा मिल रही है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, देश की आजादी प्रदर्शनों और सत्याग्रहों के सहारे मिली है। इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के लिए जो सत्याग्रह जनता करती है, उसमें जब तक इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो जाय कि गोली चलाना जरूरी है, तब तक बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गोली नहीं चलाई जायगी। इस प्रकार का आश्वासन माननीय राज्य मंत्री देंगे?

*डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया, माननीय कल्याण सिंह के भाषण के बाद, उसमें उन्होंने सदन में बताया कि जो सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आदेश दिये गये थे, वह वापस ले लिया जायगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आदेश किस स्तर से और किस अधिकारी के द्वारा निर्गत किये गये थे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

वह महानिदेशक ने 20 तारीख को अपने यहां से भेजा और 25 तारीख को सी0 आई0 डी0 आफिस से जारी हुआ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि किसके आदेश पर, किस स्तर से और किस अधिकारी द्वारा सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आदेश निर्गत किये गये?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसे देख लेंगे। इसकी सूचना नहीं है, मान्यवर।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने एस0 डी0 एम0 को मारा-पीटा है और एस0 डी0 एम0 की गाड़ी को क्षति पहुंचाई है, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं मात्र दो-तीन बातों की ओर ध्यान खींचने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तो यह कहना सही नहीं है कि एस0 डी0 एम0 की गाड़ी में आग लगा कर, तोड़-फोड़ हुई। यह बात तथ्य के नजदीक भी नहीं है। मान्यवर, यह कहना भी सही नहीं है कि मिट्टी के तेल की व्यवस्था सही थी। मान्यवर, सही तो यह है कि यह एस0 डी0 एम0 जो वहां के मोनोपालिस्ट हैं, उनके खास रिश्तेदार जो मिट्टी के तेल व डीजल के विक्रेता हैं, यह उन्हीं के कारण सारा घपला हुआ। अगर पूछिये तो मिट्टी के तेल के वितरण में ही सारा घपला हुआ, क्योंकि उस वितरक को एस0 डी0 एम0 ने संरक्षण दिया। इसमें जो तथ्य हैं हम बता दें। यह कहना सही नहीं है कि मार्केट दो दिन बंद रहा पूरे 12 दिन बाजार बन्द रहा। चाय की दुकान, पान की दुकानें तक बन्द रहीं। वकीलों ने बन्द रखा। 30 जनवरी को पूरा अलीगढ़ बन्द रहा। मान्यवर, जिन प्रिंसिपल के किसी पत्र की बात कहते हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आक्रोश छात्रों में था, यह तो मैंने भी कहा कि जब मिट्टी का तेल नहीं था, बिजली नहीं थी तो उनमें आक्रोश भी था, असंतोष भी था। मान्यवर, यह जब पुलिस कालेज में पहुंची है तो इस प्रकार की कोई उत्तेजना इसलिए नहीं थी क्योंकि पुलिस ने पहले ही फायरिंग करके उन्हें डरा दिया था, इतना आतंकित कर दिया था कि वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ कर ही नहीं सकते थे । यह जो वर्जन माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह वर्जन सही नहीं है । आपने कहा है कि उनके गुण और दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी तो क्या किसी तकनीकी कारण से माननीय मंत्री जी ने इस भाषण का प्रयोग किया है ? यदि उन्होंने किसी तकनीकी कारण से इस भाषा का प्रयोग किया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन एस0 एस0 पी0 ने जो कहा है वह असंदिग्ध है कि जनता के लोगों के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है, उसको समाप्त कर दिया जायेगा । आगे कोई हेरेसमेन्ट नहीं होगा तो यह बात तो ठीक है कि आगे कोई हेरेसमेन्ट नहीं हुआ है। एस0एस0पी0 ने खुद कहा, डी0 एम0 की मौजूदगी में कहा और 25 हजार लोगों के सामने कहा है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस0डी0 एम0 को जेल भेजा जाना बड़ा कठिन है है । मैं इस पर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप उसको अलीगढ़ से तो हटा सकते हैं। वहां से हटा लीजिए क्योंकि लिंक आफिसर रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है, मुकदमें पर । गवाहियां बिगड़ेंगी, साक्ष्य बिगड़ेंगे क्योंकि सबका काम पड़ता रहता है । आप कहीं दूसरी जगह उसको भेज दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

मान्यवर, वह लिंक आफिसर अतरौली में नहीं रहेंगे ।

श्री कल्यान सिंह –

आज मंत्री जी बड़ी समझदारी का परिचय दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष –

आपकी संगत का असर है ।

श्री कल्यान सिंह –

मान्यवर, यह जो छात्र मरा है, वह बड़े गरीब परिवार का है । रिक्शा चलाने वाले का है, मैं उसके घर गया हूं, बिल्कुल टूटा फूटा झोपड़ा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सब बिलख रहे थे, रो रहे थे । यह तो ठीक है कि आपने 10 हजार आर्थिक सहायता के रूप में दिया है । मैं चाहता हूं कि वहीं कहीं आस-पास ग्राम समाज की भूमि में से 5-7 बीघा जमीन उसको दे दें क्योंकि वह भूमि-हीन है । उसको 5 बीघा या 7 बीघा जमीन दिलवा दीजिए । दूसरी, जो आपने 10 हजार रु0 की धनराशि देने की बात कही है, उसको बढ़ाकर 25 हजार कर दीजिए क्योंकि वह बहुत गरीब है, कौम का कुमार है । रिक्शा चलाता है । उसका बुरा हाल है । एक चीज और सुनिश्चित कर लीजिएगा, कोर्ट से मामला इधर से उधर हो । चाहे कोर्ट छोड़ दे या सजा दे । यह मामला अदालत तक जाय । इसी में शासन की प्रतिष्ठा और शान है । आप ईमानदारी से इसको कर रहे हैं तो ईमान-दारी दिखानी भी चाहिए । अदालत को निर्णय करने दें । इस मामले में फाइनल रिपोर्ट न लगाई जाय । फैसला अदालत करे । इसमें चार्ज शीट लगना जरूरी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं, जिला प्रशासन ने इसको पहले से ही मान लिया था और इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी गई थी । वह भूमि हीन है, ग्राम समाज की भूमि दी जायेगी, उसके परिवार का कोई व्यक्ति जिस नौकरी के योग्य होगा नौकरी दी जायेगी, 5 हजार रुपया और दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष –

अब हम उठते हैं, कल 10 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
12 मार्च, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर।)

| क्रम-संख्या | थोक कोल अभिकर्ता का नाम | वर्ष 1983-84 में स्पांसर्ड मात्रा (मे0 टन में) | | | वर्ष 1984-85 में स्पांसर्ड मात्रा (मे0 टन में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्लैक कोल | साफ्ट कोल | स्टीम कोल | स्लैक कोल | साफ्ट कोल | स्टीम कोल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मेसर्स प्रभात कोल कम्पनी उन्नाव | 4975 | 1059 | 225 | .. | .. | .. |
| 2 | ,, माधव कोल ट्रेडर्स, उन्नाव | 2521 | .. | 500 | 2070 | 7 | .. |
| 3 | ,, लक्ष्मी कोल एजेंसी, उन्नाव | 1000 | .. | 379 | .. | .. | .. |
| 4 | ,, श्याम कोल एजेंसी, उन्नाव | 1925 | 647 | 629 | .. | .. | .. |
| 5 | ,, राजू इन्टर प्राइजेज, उन्नाव | 1000 | 500 | 145 | .. | .. | .. |
| 6 | ,, आनन्द कोल ट्रेडर्स, उन्नाव | 6079 | 710 | 161 | .. | .. | .. |
| 7 | ,, प्रकाश कोल डिपो उन्नाव | 2114 | .. | 13 | 714 | .. | 16 |
| 8 | ,, गणेश ट्रेडर्स, उन्नाव | .. | 42 | 64 | 2844 | .. | .. |
| 9 | ,, जितेन्द्र कोल सप्लायर्स, उन्नाव | 2010 | .. | .. | 200 | .. | .. |
| 10 | ,, सुदर्शन कोल ट्रेडर्स, उन्नाव | 1925 | .. | .. | 1707 | .. | .. |
| 11 | ,, दुर्गा कोल सेल्स कारपोरेशन | 9486 | .. | 45 | 400 | .. | 17 |
| 12 | ,, यू0पी0 कोल कारपोरेशन, उन्नाव | 3904 | 12 | 16 | 571 | .. | 17 |
| 13 | ,, पाण्डेय ब्रदर्स | 3062 | .. | .. | 3486 | 18 | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर।)

अवधि जनवरी, 81 से दिसम्बर, 1983 के मध्य गाजियाबाद में भवन निर्माणार्थ दिए गए सीमेंट की सूची--

| क्रम-सं0 | पत्रावली पंजीकरण | प्रार्थी का नाम व पता | निर्गत सीमेंट का विवरण | |
|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक | मात्रा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पी0 78 | श्री रामकुमार पुत्र महेश्वर सिंह, | 1-6-83 | 100 |
| | | आर0 2/230 राजनगर। | 27-6-83 | 100 |
| 2 | पी 349 | सत्यपाल शर्मा, | 10-8-83 | 100 |
| | | आर0 1/35 राजनगर। | 30-8-83 | 100 |
| 3 | पी0 353 | श्री श्रीमति लता शुक्ला, | 5-8-83 | 100 |
| | | आर0 9/32 राजनगर। | 22-8-83 | 100 |
| 4 | पी0 389 | श्रीमती सुरेन्द्र देवी, | 20-9-83 | 100 |
| | | ए/4 सूर्यनगर। | 28-9-83 | 100 |
| 5 | पी0 443 | ए0एस0 गोयल, | 1-11-83 | 100 |
| | | बी0 132 रामपुरी। | 25-11-83 | 100 |
| 6 | पी0 462 | अर्चना मित्तल, | 27-12-83 | 100 |
| | | के0बी0 74, कविनगर। | 30-12-83 | 100 |
| 7 | पी0 466 | आर0एस0 माथुर, | 8-12-83 | 100 |
| | | आर0 6/221 राजनगर। | 12-12-83 | 100 |
| 8 | पी0 468 | श्रीमति दर्शन कौर, | 23-12-83 | 100 |
| | | बी0 153 सूर्यनगर। | 31-12-83 | 100 |
| 9 | ए0 2322 | एम0एल0 सबलोक, | 9-12-83 | 100 |
| | | ए0 236 सूर्यनगर। | 22-12-83 | 100 |
| 10 | सी0 868 | कौशल्या देवी, | 9-12-83 | 100 |
| | | 434 तुराब नगर। | 30-12-83 | 100 |
| 11 | सी0 774 | श्रीमती कमला शर्मा, | 7-12-83 | 100 |
| | | के0ई0 109 कविनगर। | 22-12-83 | 100 |
| 12 | सी0 577 | श्री अशोक कुमार अग्रवाल, | 22-12-83 | 100 |
| | | ए0 236 सूर्यनगर। | 9-12-83 | 100 |

यू0एस0यू0पी0--एल0 62 वि0सभा (102)--1986--813।